



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102022-239943  
CG-DL-E-29102022-239943

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944

No. 274]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2022

**विषय :** कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

**फा. सं. 6/8/2021 – डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ(पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए)नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

- निर्दिष्ट प्राधिकारी को कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी) (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है)

के अनुसार इंडिया ग्लोइकोल्ज लिमिटेड (आई जी एल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से आवेदन प्राप्त हुआ।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत एक विधिवत दस्तावेज वाली याचिका और प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे अगर लेवी किया गया हो तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना फाइल सं. 6/8/2021 – डी जी टी आर जारी किया।

#### ख. प्रक्रिया

3. यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांचों के संबंध में किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने कुवैत, सउदी अरब और यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 28 जून, 2021 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित रूप में और तरीके से तथा इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किये जाने पर अनुरोध करने की समय सीमा 7 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई थी।
- घ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह देने के लिए भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार अपने अनुरोध अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर देते हुए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने संबंधी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की :
  - i. इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी, कुवैत
  - ii. द कुवैत ओलेफाइन्स कंपनी, सउदी अरब
  - iii. अरबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
  - iv. इस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), सउदी अरब
  - v. जना जुबेल केमिकल इंडस्ट्रीज कं., सउदी अरब
  - vi. जुबेल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी] सउदी अरब
  - vii. रबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी] सउदी अरब
  - viii. सारदा केमिकल कंपनी] सउदी अरब
  - ix. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एस ए बी आई सी)] सउदी अरब
  - x. सउदी कल्याण पेट्रोकेमिकल कंपनी] सउदी अरब

- xi. सउदी मेकेनिकल इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड] सउदी अरब
  - xii. सउदी यानबु पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
  - xiii. यानबु नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब
  - xiv. फॉर्मोसा प्लास्टिक, यू एस ए
  - xv. लोटे ग्रुप, यू एस एस
  - xvi. एमई ग्लोबल अमेरिकाज इंक., यू एस ए
  - xvii. शेल केमिकल्स गेसमर । एंड II, यू एस ए
- छ. निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- i. अरबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेमया), सउदी अरब
  - ii. इस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), सउदी अरब
  - iii. इक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी] कुवैत
  - iv. एक्सान मोबाइल केमिकल एशिया पसिफिक, सिंगापुर
  - v. जुबेल यूनाटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाटेड), सउदी अरब
  - vi. एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफजेडई, यू ए ई
  - vii. मित्सुबिशी केमिकल एशिया पसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
  - viii. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापान
  - ix. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, अमेरिका, यू एस ए
  - x. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, टेक्सास, यू एस ए
  - xi. राबीघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
  - xii. एस ए बी आई सी एशिया पसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
  - xiii. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एस ए बी आई सी), सउदी अरब
  - xiv. सउदी कल्याण पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
  - xv. सउदी यानबु पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), सउदी अरब
  - xvi. एस पी डी सी लिमिटेड, जापान
  - xvii. द कुवैत ओलफेइंस कंपनी के एस सी सी (टी के ओ सी), कुवैत
  - xviii. यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब
- ज. इसके अलावा, सादरा केमिकल कंपनी ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया कि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था।
- झ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं :
- i. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - ii. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  - iii. चिरिपाल पोली फिल्मस लिमिटेड
  - iv. डी एन एच स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
  - v. डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

- vi. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
- vii. फूटूरा पोलियस्टर लिमिटेड
- viii. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
- ix. गोकुलानंद पेट्रोफाइबर्स
- x. इंडोरमा सिंथेटिक्स लिमिटेड
- xi. आई वी एल धुनसेरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
- xii. जे बी एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xiii. जिंदल पोली फिल्मस
- xiv. के एल जे रिसोर्स लिमिटेड
- xv. रशमी पोलीफेब प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xvii. श्री दुर्गा सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xviii. शुभलक्ष्मी पोलियस्टर्स लिमिटेड
- xix. एस आर एफ लिमिटेड
- xx. स्टारकेम पोलिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. स्टारलॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
- xxii. सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxiii. द बॉम्बे डायनिंग एंड मेनिफेक्चरिंग कं. लिमि.
- xxiv. वेलनॉन पोलियस्टर लिमिटेड
- ज. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत किया है।
  - i. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  - ii. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड
  - iii. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड
  - iv. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड
  - v. आई वी एल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  - vi. जिंदल पोली फिल्म लिमिटेड
  - vii. के एल जे रिसोर्स
  - viii. सनातन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
  - ix. द बॉम्बे डायनिंग एंड मेनिफेक्चरिंग कं. लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित संघों को उनके सभी सदस्यों को सूचित करने और उत्तर/ टिप्पणियां, यदि कोई हों को प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचना भी भेजी।
  - i. एसोसियेटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोचेम)
  - ii. केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मेनिफेक्चर्स एसोसियेट (सी पी एम ए)
  - iii. कंफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज (सी आई आई)

## iv. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)

ठ. निम्नलिखित संघों ने पत्र/ अनुरोध प्रस्तुत किये हैं और वर्तमान जांच में भाग लिया है :

i. टेक्सटाइल एसोसिएशन (इंडिया) – दिल्ली

ii. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन

ड. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान सउदी अरब के साम्राज्य की सरकार और कुवैत राज्य के दूतावास से भी लिखित अनुरोध प्राप्त हुए थे।

ढ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 9 दिसंबर, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये, से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित अनुरोधों और उसके बाद प्रतिउत्तर अनुरोधों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने लिखित अनुरोधों का अपना अगोपनीय रूपांतर साझा किया।

ण. नियम 17 (1)(क) के अनुसार, केंद्र सरकार ने जांच के विस्तार के लिए समय अवधि का तीन महीने तक 27 सितंबर, 2022 तक विस्तार किया।

त. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण की अवधि में 2017 –2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 और जांच की अवधि शामिल है।

थ. जांच की अवधि और उससे पूर्व के तीन वर्षों के लिए सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े, डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

द. आगे की सूचना आवश्यकता के अनुसार आवेदक से मांगी गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का स्थल पर सत्यापन किया गया था।

ध. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उसमें सभी को इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था कि उसे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किये जाने लायक नहीं थी।

न. घरेलू उद्योग ने अपने चार्टर्ड/ कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार और सामान्य: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, ईष्टतम उत्पादन की लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन के कमतर पाटनरोधी शुल्क, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान, जहां तक वे साक्ष्य के साथ और वर्तमान जांच के लिए संगत पाई गई है, द्वारा प्रदान की गई सूचना पर इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और जहां तक यह संभव हुआ, घरेलू उद्योग प्रस्तुत आंकड़ों/ दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है।

ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीय के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता पर विचार किया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

- भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या जांच बहुत हद तक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।
- म. यह नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 23 सितंबर, 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का निवारण इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों को केवल दोहराया गया है। हालांकि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में की जा रही है।
- य. इन अंतिम जांच परिणाम में \*\*\*, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- कक. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 यू एस डॉलर = 74.99 रु. है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

*"3. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद मोनो इथीलीन ग्लाइकोल है जिसे एम ई जी अथवा इथीलीन ग्लाइकोल के रूप में भी जाना है। मोनो इथीलीन ग्लाइकोल एक साफ, रंगरहित, वास्तविक रूप से गंधरहित और मामूली रूप से चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह पानी, एल्कोहल और अनेक ऑर्गेनिक कम्पाउण्ड के साथ मिश्रण किये जाने योग्य है। इसका रासायनिक सूत्र सी<sub>2</sub>एच<sub>6</sub>O<sub>2</sub> है। इसका भंडारण स्टेनलैस स्टील, एल्यूमिनियम अथवा लाइंड ड्रम, टैंक कार्स अथवा टैंक ट्रक्स में किया जा सकता है। इसकी 1.114 का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है और 110 डिग्री से. का फ्लैस प्वाइंट है (क्लोज्ड कप)।"*

#### ग. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. आई जी एल द्वारा उत्पादन किये गये और बिक्री किये गये बाँयो-एम ई जी उत्पादन प्रक्रिया में अंतर पर विचार करते हुए एक अलग उत्पाद है। आर आई एल नेप्था अथवा ईथेन का उपयोग करते हुए एम ई जी का उत्पादन करता है जबकि आई जी एल मोलास का उपयोग करते हुए बाँयो-एम ई जी का उत्पादन करता है।
- ख. बाँयो- एम ई जी की सामान्य तौर पर बिक्री भारत में नहीं की जाती है बल्कि उन कंपनियों को निर्यात की जाती है जो कार्बन क्रेडिट अर्जित करना चाहते हैं, और इस कारण से आर आई एल और आई जी एल उन्हीं ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर रहा है।
- ग. सउदी अरब में उत्पादकों ने भारत को बाँयो-एम ई जी का निर्यात नहीं किया है।
- घ. प्राधिकारी कृपया कच्चे मालों में अंतर और बाँयो- एम ई जी और एम ई जी की उत्पादन प्रक्रिया पर विचार करते हुए क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से पी सी एन का निर्माण करने की आवश्यकता का विश्लेषण करें।

#### ग. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं -

- क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने तीन तरह के एम ई जी अर्थात् फाइबर ग्रेड, तकनीकी/ गैर-फाइबर ग्रेड और बाँयो-एम ई जी का उत्पादन किया है। जबकि फाइबर ग्रेड और तकनीकी/ गैर फाइबर ग्रेड एम ई जी का उत्पादन इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए किया जाता है, बाँयो-एम ई जी का उत्पादन बाँयो इथेलॉन से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए किया जाता है।
- ग. आई जी एल द्वारा उत्पादित बाँयो- एम ई जी वही है जो आर आई एल द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयात किये गये फाइबर ग्रेड और तकनीकी / गैर फाइबर ग्रेड एम ई जी भौतिक और तकनीकी विशेषताओं तथा अंतिम उपयोगों के संदर्भ में है।

- घ. इथीलीन जो प्रमुख कच्चा माल है के उत्पादन के लिए उपयोग किये गये इनपुट्स में अंतर मात्र इस उत्पाद को चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के मामले में प्राधिकारी की कार्यपद्धति के अनुसार असमान उत्पादों के रूप में इस उत्पाद को नहीं बना सकता है।

### ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद मोनो इथीलीन ग्लाइकोल है जिसे एम ई जी अथवा इथीलीन ग्लाइकोल के रूप में भी जाना है। मोनो इथीलीन ग्लाइकोल एक साफ, रंगरहित, वास्तविक रूप से गंधरहित और मामूली रूप से चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह पानी, एल्कोहल और अनेक ऑर्गेनिक कम्पाउण्ड के साथ मिश्रण किये जाने योग्य है। इसका रासायनिक सूत्र सी<sub>2</sub>एच<sub>6</sub>O<sub>2</sub> है। इसका भंडारण स्टेनलैस स्टील, एल्यूमिनियम अथवा लाइंड ड्रम्स, टैंक कार्स अथवा टैंक ट्रक्स में किया जा सकता है। इसकी 1.114 का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है और 110 डिग्री से. का फ्लैस प्वाइंट है (क्लोज्ड कप)।
8. मोनो इथीलीन ग्लाइकोल का प्रमुख रूप से उपयोग पोलियस्टर फाइबर, पोलियस्टर फिल्म और रेसिंस जैसे पोलिथिलीन टैरेफ्थलेट (पी ई टी) के उत्पादन में एक केमिकल इंटरमीडिएट के रूप में किया जाता है। पी ई टी को प्लास्टिक बोतल में परिवर्तित किया जाता है, जलका उपयोग वैश्विक स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा, एम ई जी का भी उपयोग इसके आर्द्रक गुणों के कारण टेक्सटाइल्स के फाइबर आशोधन, कागज उद्योग और चिपचिपा रसायन पदार्थ, इंक और सेलोफेन में किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस पाइप लाइन में निर्जलीकरण एजेंट के रूप में भी किया जाता है, जहां यह गैस प्राप्त किये जाने और उसका पुनः उपयोग किये जाने के पूर्व प्राकृतिक गैस क्लेरेट के निर्माण को रोकता है।
9. मोनो इथीलीन ग्लाइकोल का सामान्य तौर पर उत्पादन दो मूल कच्चे माल, इथीलीन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए किया जाता है और ऑक्सीजन को मल्टी-ट्यूबलर केटोलिटिक रियेक्टर में इथीलीन ऑक्साइड (ई ओ) का उत्पादन करने के लिए मिलाया जाता है। अत्यधिक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया को प्रोपराइटी और वैज्ञानिक डिजाइन के द्वारा विकसित प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के साथ नियंत्रित किया जाता है। रिएक्टर में उत्पादित किये गये ईओ को उच्च गुणवत्ता के शुद्ध किये हुए ईओ से अलग किया जाता है और/ अथवा इसे आगे फाइबर ग्रेड मोनो इथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी) तथा डाई और ट्राई इथीलीन ग्लाइकोल (डी ई जी, टी ई जी) का उत्पादन करने के लिये प्रसाधित किया जाता है।
10. इस दावे के संबंध में कि बाँयो-इथालॉन से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित बाँयो-एम ई जी इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित एम ई जी से अलग है। यह नोट किया जाता है कि बाँयो-एम ई जी में इथेन, प्रोपेन, बूटेन, नेप्था आदि से निर्मित इथीलीन का उपयोग करते हुए उत्पादित एम ई जी के रूप में आवश्यक रूप से एक जैसी तकनीकी/ भौतिक विशेषताएं हैं। दोनों उत्पादों का उत्पादन एक ही कच्चे माल अर्थात् इथीलीन का उपयोग करते हुए किया जाता है। यह तथ्य कि कच्चे माल, इथीलीन के उत्पादन की प्रक्रिया अलग है, संगत नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दोनों प्रकार के एम ई जी का उपयोग एक जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और विभिन्न ग्राहक दोनों प्रकारों के एम ई जी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। इस कारण से, यह नोट किया जाता है कि इथेन/ प्रोपेन/ बूटेन से उत्पादित बाँयो-एम ई जी और एम ई जी अलग अलग उत्पाद नहीं हैं।
11. जहां तक एक पृथक पी सी एन-वार जांच के लिए अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की शुरुआत की सूचना के उत्तर में यह अनुरोध नहीं किया है। बल्कि पी सी एन-वार विश्लेषण के लिए अनुरोध प्रतिउत्तर अनुरोधों के बाद के चरण में ही अर्थात् सभी उत्तरों और अन्य सूचना के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही किया गया है। इसके अलावा, बाँयो-एम ई जी और एम ई जी के बीच इस तरह का कोई अंतर नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं पाते हैं कि पी सी एन-वार विश्लेषण किया जाए।
12. विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2905 31 00 के अंतर्गत अध्याय 29 के अधीन वर्गीकरण किये जाने योग्य है। सीमा शुल्क केवल संसूचक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तु विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ग्राहक इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले ग्राहकों ने भी घरेलू उद्योग से उसकी खरीद की है। उसको देखे हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

**घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार****घ. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध**

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. प्राधिकारी को आई ओ सी एल से सूचना अवश्य मंगानी चाहिए, जैसा कि पी टी ए के मामले में किया गया है, जहां सूचना प्रकटन विवरण के जारी किये जाने के एक दिन पूर्व प्रस्तुत की गई थी।
- ख. प्राधिकारी को वी पी सी एल को भी अपनी परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराने, उन संभावनाओं का विश्लेषण करने का भी अवश्य अनुरोध करना चाहिए जो उत्पादक ने देखा है और कथित वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के गंभीर खतरे के बावजूद निवेश करने का निर्णय लिया है।

**घ. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध**

15. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. यह आवेदन इंडिया ग्लाकोल्स लिमिटेड (आई जी एल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) द्वारा दायर किया गया है, जिसका देश में कुल घरेलू उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- ख. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी विदेशी उत्पादक/निर्यातक या संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से उसका कोई संबंध नहीं है।
- ग. आवेदकों की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संबद्ध वस्तुओं का अन्य उत्पादक और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, से मांगी जा रही किसी सूचना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

**घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”*

- 17. यह आवेदन इंडिया ग्लाकोल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इन आवेदकों का संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से न तो संबंध है और न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इस देश में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने न तो वर्तमान जांच का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है।
- 18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के दौरान यह अनुरोध किया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को इस जांच में भाग लेने तथा अपनी सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी अथवा आवेदक जांच में भाग लेने तथा सूचना प्रस्तुत करने के लिए किसी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। प्राधिकारी से केवल यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि क्या आवेदक का उत्पादन कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में यह दावा करते हुए पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें भी मध्य पूर्व देशों से पाटित आयातों के कारण हानि हो रही है।
- 19. कुल घरेलू उत्पादन का निर्धारण आवेदकों द्वारा दिये गये ब्यौरे के आधार पर किया गया है। आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, किसी भी अन्य उत्पादक ने वर्तमान जांच का समर्थन अथवा विरोध नहीं किया है। इस कारण से प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के मामले में आधार के मानदंड को पूरा करता है।



**ड. गोपनीयता****ड. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध**

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह संबद्ध देशों में उत्पादकता, निर्यात कीमत, आर एंड डी खर्च, उघाई गई निधियां, निवेश पर प्रतिफल, कथित क्षमता विस्तार और घरेलू उद्योग की लागतों का गोपनीय सार उपलब्ध नहीं करा पाया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने संरचित सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- घ. घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों द्वारा निर्माण की प्रक्रिया, उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो व्यापार सूचना संख्या 1/2013 और 10/2018 का उल्लंघन है।
- ङ. खंड VI में निहित खरीद, बिक्री, लेखांकन, लागत लेखांकन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित नीतियों और सूचना को बिना किसी कारण के गोपनीय होने का दावा किया गया।
- च. जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए यूटिलिटी की खपत उत्पादन की लागत, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री की खपत से संबंधित सूचना अनुक्रमित रूप में भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- छ. घरेलू उद्योग निश्चित रूप से संगत व्यापार सूचना के अंतर्गत अनुरोध की गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही एक कार्यपद्धति है।
- ज. प्राधिकारी घरेलू उद्योग से गोपनीय सूचना का सार्थक सार का अनुरोध करने में असफल रहे हैं जिसने अनुच्छेद 6.5.1 का उल्लंघन किया है और सउदी अरब के साम्राज्य के बचाव करने के अधिकार को नुकसान पहुंचाया है।
- झ. न तो प्राधिकारी और न ही घरेलू उद्योग ने अब तक सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक्सिसल में लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराये हैं जो एक्सोटिक डेकोर प्रा. लिमि. और अन्य बनाव निर्दिष्ट प्राधिकारी में लिये गये निर्णय का उल्लंघन है।
- ञ. भारतीय ग्राहकों की विशिष्टताओं और आपूर्ति चैन से संबंधित सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग संभावित प्रतिस्पर्धी हैं जिसके प्रकटन के परिणामस्वरूप मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन के व्यापार हेतु को नुकसान पहुंच सकता है जो इण्डोनेशिया और सिंगापुर से "अनकोडिड कोपियर पेपर" में लिये गये दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि, कॉर्पोरेशन के हित में मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन अब यह कह रहा है कि यह भारत में असंबंधित अंतिम प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करता है।
- ट. चूंकि मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन विशुद्ध रूप से एक ट्रेडिंग कंपनी है, अतः इसका ऑपरेटिंग मार्जिन व्यापार संवेदनशील और अत्यधिक गोपनीय सूचना है जिन्हें प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग कंपनियों से संरचित किये जाने की आवश्यकता है और इस कारण से एम ई जी की कार्यनिष्पादन बिक्री कीमत और लागत प्रकट नहीं किया गया है। हालांकि, इस प्रकार की सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है और इस प्रकार वह जांच को बाधित नहीं करता है और न ही हितबद्ध पक्षकारों के हित को हानि पहुंचाता है। व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार प्राधिकारी उसमें निहित दिशानिर्देशों से हटने की अनुमति दे सकते हैं।
- ठ. व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार बिक्री और वितरण के चैनल को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ड. आवेदकों ने इक्सोनमोबिल द्वारा सांझा न की गई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी सूचना के संबंध में रिकार्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- ढ. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने पूरी सूचना प्रस्तुत की है। संबंधित पक्षकार के लेन-देन जैसी कुछ सूचना अगोपनीय रूपांतर में उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि वह प्रकृति से व्यापार संवेदनशील है।
- ण. वूड मेकेजि की रिपोर्ट सांझा नहीं की गई है यद्यपि व्यापार सूचना 1/2013 में इस बात का उल्लेख है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना प्रकट की जानी चाहिए। चूंकि प्राधिकारी अर्द्ध-न्यायिक हैं अतः उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है।

- त. कच्चे माल और इनपुट्स की खरीद के संबंध में सूचना को प्रकट नहीं करने के दावे के बारे में यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।
- थ. घरेलू उद्योग इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाये हैं कि सेबिक की कॉर्पोरेट संरचना से संबंधित सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

## ड. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

### 21. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. उत्तर देने वाले कुछ उत्पादकों ने वितरण के अपने समग्र चैनल को गोपनीय के रूप में दावा किया है जिसने घरेलू उद्योग को मूल्य श्रृंखला के पूरा होने पर टिप्पणी करने से रोका है।
- ख. मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन ने अपने समग्र कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंडों को गोपनीय के रूप में दावा किया है।
- ग. बिक्री की मात्रा, बिक्री कीमतों आदि से संबंधित रुझानों के प्रकटन के फलस्वरूप मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन की किसी गोपनीय व्यापार प्रोप्राइटी सूचना को प्रकट नहीं कर सकते हैं।
- घ. उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों ने इस तथ्य के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है कि क्या कच्चे माल की खरीद की जाती है अथवा उसका कैप्टिव रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल और यूटिलिटी की खरीद के संबंध में सूचना को भी गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।
- ङ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संदर्भ में दावा किये गये समायोजनों को भी गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- च. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने (i) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल संबंधित कंपनियां, (ii) अपनी कंपनी अथवा होल्डिंग ग्रुप का स्वामित्व, (iii) वित्तीय और संविदागत संपर्क, (iv) उत्पादन किये गये उत्पादों की सूची और (v) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, जहां इस प्रकार की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी है, के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- छ. विदेशी उत्पादकों ने व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन करते हुए निर्माण की प्रक्रिया का राइट-अप तथा उपयोग किये गये कच्चे माल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- ज. विदेशी उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाओं, स्टार्ट-अप लागत के लिये समायोजन और बीजक बनाये जाने के बाद छूट, यदि कोई हो, के बारे में ब्यौरे के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- झ. घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री, मात्रा और मूल्य, उत्पादन तथा लागतों से संबंधित सूचना को प्रकट किये जाने से परस्पर प्रतिस्पर्धा, अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा और कीमतों का मोल भाव करने की अपनी क्षमता में घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, जीसीसी – टीएसएआईपी अपने आप में इस तरह की सूचना को गोपनीय के रूप में मानता है।
- ञ. चूंकि आर एंड डी खर्च तथा उधारी गई निधि की पहचान संबद्ध वस्तुओं के लिए पृथक् रूप से नहीं की जा सकती थी, अतः उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय विवरणी से लिया जा सकता है।
- ट. चूंकि संरचित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर है, उसके प्रकटन से घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों को बहुत अधिक नुकसान होगा।
- ठ. लेनदेन-वार संबंधित आयात आंकड़े व्यापार सूचना 7/2018 के अंतर्गत यथाअपेक्षित पी डी एफ प्रपत्र में दिया जाता है। इसके अलावा, एक्साटिक डिंकोर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट के आदेश जारी किये गये थे जब प्राधिकारी सीधे डी जी सी आई एंड एस से आंकड़े प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अधिकृत नहीं किया।
- ड. घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत और रेंज में क्षति मार्जिन प्रकटन किया है।
- ढ. चूंकि देश में केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक है अतः उस उत्पादक के उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने के फलस्वरूप अन्य उत्पादक का वास्तविक आंकड़ा प्रकट हो जायेगा। इस प्रकार कुल भारतीय उत्पादन का विधिवत प्रकटन किया गया है।

ण. खंड VI में निहित सूचना व्यापार प्रोप्राइटरी सूचना है और उसे हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

### ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच, गोपनीय के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होकर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना की गोपनीयता पर विचार किया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक दूसरे को ई-मेल के माध्यम से अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को साझा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया है।

24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने खंड VI में निहित क्षमता, उत्पादन, बिक्री, निवेश पर प्रतिफल, लागत और सूचना के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह की सूचना गोपनीय प्रकृति की है और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार किया है।

25. अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य के संबंध में सूचना के बारे में यह नोट किया जाता है कि आवेदकों को छोड़कर देश में एम ई जी का केवल एक अन्य उत्पादक है, ऐसे उत्पादक के उत्पादन की मात्रा के प्रकटन के फलस्वरूप ऐसे उत्पादक की वास्तविक सूचना का प्रकटन होगा जो उत्पादक के प्रतिस्पर्धी हित के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि, कुल घरेलू उत्पादन प्रकट नहीं किया गया।

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग अपने निर्माण की प्रक्रिया बताने में असफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोग किये गये कच्चे माल के साथ निर्माण की प्रक्रिया का एक संक्षिप्त राइट-अप इस याचिका के अगोपनीय रूपांतर में दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने आर एंड डी खर्च तथा उघाई गई निधियों को प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की सूचना वित्तीय विवरणी में विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक रूप से पहचान किये जाने लायक नहीं था। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी सूचना को प्रकटन न कर उन्हें हुई क्षति को भी स्पष्ट नहीं किया है।

27. डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आंकड़ा भारत में निर्यात करने वाले देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों ने लेनदेन-वार आयात आंकड़े की पूरी सूची उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयात आंकड़े साझा करने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित किया गया है और प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अब अपनाई जा रही प्रक्रिया सभी हितबद्ध पक्षकारों और जांचों में एक समान और सतत है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करता है।

28. संरचित सामान्य मूल्य के प्रकटन नहीं करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की चरण में निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के परिवर्तन पर आधारित थी। इस प्रकार की सूचना के प्रकटन का घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसी भी स्थिति में इस प्रकार के सामान्य मूल्य के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन रेंज में दिया गया है।
29. इस दावे के संबंध में की घरेलू उद्योग अगोपनीय अनुरोधों के साथ वुड मेकेंजी रिपोर्ट उपलब्ध कराने में असफल रहा है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह रिपोर्ट तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे प्रकट करने का अधिकार इसके पास नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस आधार पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है।
30. उत्तर देने वाले विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों के द्वारा किये गये गोपनीयता संबंधी दावे की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

## च. विविध मुद्दे

### च. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क. जांच की शुरुआत उपयुक्त नहीं थी क्योंकि घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह प्रथमदृष्ट्या मामले का समर्थन करने के लिए तर्कसंगत रूप से संबंधित आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराये।
- ख. जैसा कि गवाटेमाला – सीमेंट II में पैनल द्वारा फैसला दिया गया था, जांच की शुरुआत तभी की जा सकती है कि उसे न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों, जो इस मामले में मौजूद नहीं था। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए पर्याप्त सूचना का प्रकार उस प्रकार की सूचना है जिसे जांच की शुरुआत करने के लिए अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार का दृष्टिकोण यूएस – स्टॉफवुड लंबर एंड मेक्सिको – स्टील पाइप एंड ट्यूब्स में पैनल द्वारा भी अपनाया गया था।
- ग. घरेलू उद्योग ने बिना अतिरिक्त आधार जो इस प्रकार की जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता हो बिना उसी उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांच को अपनी इच्छा से समाप्त करने का अनुरोध करने के बाद केवल चार महीने की जांच की शुरुआत का अनुरोध किया है। चूंकि उसी उत्पाद से संबंधित बार-बार जांचों का व्यापार को कम करने का प्रभाव पड़ता है और बाजार पहुंच की स्थिरता और पूर्वानुमान को प्रभावित करता है। प्राधिकारी को जांच की शुरुआत करने के पूर्व आर्थिक, वाणिज्यिक और नीतिगत समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए।
- घ. कुवैत के विरुद्ध बैक-टू-बैक जांचों की शुरुआत व्यापार को बर्बाद करता है।
- ङ. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई नयी याचिका पूर्व की जांच की समाप्ति के ठीक बाद उन्हें आयातों को लक्षित कर रहा है यद्यपि प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में कोई पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध नहीं पाया।
- च. भारत ने विशेष रूप केमिकल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए सउदी अरब से आयातों के संबंध में 24 जांच शुरू की हैं जबकि जी सी सी ने भारतीय आयातों के विरुद्ध केवल 2 जांच शुरू की हैं। इससे सउदी अरब का निर्यात प्रभावित हुआ है और इसने प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ को समाप्त कर दिया है।
- छ. भारत सउदी अरब से अधिकांश निर्यात करने का लक्ष्य रखता है क्योंकि इसने उतनी जांच शुरू की हैं जितनी डब्ल्यू टी ओ के सभी अन्य सदस्यों ने मिलाकर की हैं। पाटनरोधी तंत्र का उपयोग केवल आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और जब पाटनरोधी करार में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता हो।
- ज. सउदी अरब भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एक बड़ा उर्जा आपूर्तिकर्ता है। ईंधन को छोड़कर, भारत के पास सउदी अरब के साथ व्यापार आधिक्य है और भारत से सउदी अरब में निर्यात पिछले तीन वर्षों में बढ़ता आ रहा है।
- झ. जांच और पूर्व वर्ष 2019-20 की अवधि में तीन समान महीने हैं। आंकड़ों के दो समान समुच्चयों की तुलना एक पक्षपात रहित तस्वीर पेश नहीं करता है और मेक्सिको - चावल पर पाटनरोधी शुल्क में अपीलीय निकाय के जांच परिणामों के अनुरूप है।

- ज. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि तथा कैलेंडर वर्ष 2017-2018 और 2019 की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए थे जो एक वस्तुपरक आकलन प्रदान करेगा।
- ट. निर्धारित जांच की अवधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह कोविड-19 और उसके अनुसरण में लगाया गया लॉकडाउन के द्वारा प्रभावित हुआ है।
- ठ. घरेलू उद्योग को जांच के किसी भी चरण में अनुरोध प्रस्तुत करने जैसा कि यह चाहता है कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संघ के नाम पर विचार किये बिना, सदस्य एम ई जी के प्रयोक्ता और आयातक हैं और वे वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार हैं।

## च. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

### 32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने प्राधिकारी के समक्ष और न्यायालयों के समक्ष जांच में पी टी ए यूजर्स और न कि एम ई जी यूजर्स के एक संघ के रूप में भाग लिया है।
- ख. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन ने घरेलू उद्योग द्वारा इसके दर्जे के संबंध में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसका उपयोग केवल गलत तरीके से आधारहीन आपत्तियों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- ग. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन ने प्राधिकारी को पोलियस्टर टेक्सटाइल्स और अपरेल एसोसिएशन के रूप में अपने आप की पहचान कर प्राधिकारी को भ्रमित किया है क्योंकि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य पोलिस्टर टेक्सटाइल्स अथवा अपरेल का प्रयोक्ता नहीं है बल्कि अप-स्ट्रीम उत्पाद का उत्पादक है। इसके अलावा, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति पोलियस्टर टेक्सटाइल और अपरेल का एक प्रयोक्ता है लेकिन संघ का सदस्य नहीं है।
- घ. पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन का पोलियस्टर टेक्सटाइल और अपरेल एसोसिएशन के रूप में अपने आप की पहचान करना पी टी ए यूजर्स के एसोसिएशन के रूप में प्राधिकारी और उच्चतर न्यायालयों के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किये गये तथ्यों को गलत तरीके से दर्शाने के बराबर है।
- ङ. एसोसिएशन के उपनियमों की जांच यह सिद्ध करने के लिए अवश्य की जानी चाहिए कि क्या इसे एम ई जी यूजर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है।
- च. उत्तर देने वाले उत्पादकों / निर्यातकों को उत्तर की संपूर्णता स्थापित करने के लिए एक विस्तृत चेक लिस्ट अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए और प्राधिकारी को उत्तर से परे किसी नई सूचना को जोड़े जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो बहरीन और मिस्त्र से ग्लास फाइबर संबंधी जांच में मामला रहा है।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, प्राधिकारी ने अपने आप को स्वयं जांच की शुरुआत के चरण में इस याचिका में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता के बारे में अपने आप को संतुष्ट किया।
- ज. जांच की शुरुआत में प्राधिकारी की प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट ही अपेक्षित है जैसा कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशालय में राजस्थान उच्च न्यायालय और हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यायाधिकरण द्वारा सही माना गया था।
- झ. घरेलू उद्योग से केवल यह अपेक्षित है कि वह इसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान करे जिसे यू एस – साफ्टवुड लंबर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार स्वयं याचिका में साझा किया गया था।
- ञ. जांच की समाप्ति के बाद नई जांच की शुरुआत को किसी कानून के अंतर्गत निषिद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा, जबकि भारत ने पहले ही 1919 और 2002 में प्रस्ताव किया था कि बैक-टू-बैक जांच को हतोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन उसे सउदी अरब सहित डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा अस्वीकार किया गया था।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में पाटन अथवा क्षति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया और यह जांच स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा वापस ली गई थी।

- ठ. जबकि भारत ने सउदी अरब के विरुद्ध 24 जांच की शुरुआत की है, इसने केवल कुछ उत्पादों के विरुद्ध शुल्क लगाये हैं।
- ड. सउदी अरब के विरुद्ध अनेक व्यापार उपचारात्मक जांचों की शुरुआत इन देशों के बीच अत्यधिक व्यापार और भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के कारण हुई है, जिसके कारण अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों की अत्यधिक संभावना बन जाती है।
- ढ. भारत को सउदी अरब से निर्यात भारत से सउदी अरब के निर्यात का लगभग 4 गुणा है और इस कारण से भारत को ईंधन, उर्वरक, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में व्यापार घाटा हुआ है।
- ण. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच की शुरुआत के कारण कोई बड़ा लाभ जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, नहीं कमाया है क्योंकि यह अभी भी संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण बहुत कम दर पर प्रतिफल अर्जित कर रहा है।
- त. जांच की अवधि और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि व्यापार सूचना सं. 2/2021 और 2/2004 के अनुरूप है, जो क्षति की अवधि के बीच कोई अंतर सुनिश्चित नहीं करने के लिए जांच की अवधि और पूर्व वर्षों के बीच ओवरलेप की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि क्षति की अवधि में पिछले तीन वित्तीय वर्ष अवश्य होने चाहिए।
- थ. जबकि संबद्ध देशों की सरकारों ने क्षति की अवधि के तीन महीनों की ओवरलेपिंग अवधि के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं और क्षति की अवधि के रूप में समान अवधि पर विचार करना, भारत से टाइल के संबंध में अपनी जांच में जीसीसी - टीएसएआईपी ने समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।
- द. मेक्सिको - बीफ और राइस में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय की टिप्पणियां वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि जांच की अवधि का निर्धारण बिलकुल हाल की समयावधि पर किया गया है और कोई भी अवधि क्षति के विश्लेषण से चयनित रूप से नहीं हटाया गया है।
- ध. जबकि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के पूर्व की विशेष बाजार की स्थिति के संबंध में तर्क दिये हैं, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे दावे का खंडन करने के लिए कोई तथ्यात्मक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया।

### च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की उपयुक्तता पर प्रश्न उठाया है और यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को प्रथमदृष्ट्या मामले का समर्थन करने के लिए संगत साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए था।
34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत उचित साक्ष्य के आधार पर की गई थी आगे यह नोट किया जाता है कि शुल्क लगाये जाने अथवा नहीं लगाये जाने के संबंध में निर्धारण उस सूचना के आधार पर है जो जांच की प्रक्रिया के दौरान आती है। इस करार के अनुच्छेद 5.2 में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन में सूचना अवश्य होनी चाहिए जो आवेदक को तर्कसंगत रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा, जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी से केवल यह अपेक्षित है कि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने आप को साक्ष्य से प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट करें। ग्वाटेमाला - सीमेंट-11 में डब्ल्यू टी ओ के पैनल की टिप्पणियों की व्याख्या करते समय राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशालय[2002 (149) ई. एल. टी. 45 (राज.)] के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सही ठहराया था।

*“37. ...साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता को देखने वाले पैनल ने यह टिप्पणी की कि यदि आवेदन में आपूर्ति की गई सूचना वे सभी हैं जो आवेदक को अनुच्छेद 5.2 द्वारा यथाअपेक्षित तर्कसंगत रूप से उपलब्ध है, जांच करने वाले प्राधिकारी इस जांच की शुरुआत करने में न्यायोचित हैं। जांच की शुरुआत के औचित्य के चरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे विस्तृत जांच करें लेकिन उन्हें प्रथमदृष्ट्या इस तथ्य को संतुष्ट करना है कि क्या इस आवेदन का समर्थन पाटन, क्षति तथा पाटित आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में साक्ष्य द्वारा किया गया है।”*

35. माननीय सेस्टेट ने भी ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति उसी गुणवत्ता और मात्रा की नहीं हो सकती है जो शुल्क को अंतिम रूप से लगाये जाने के लिए अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, आवेदकों ने सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत किया जो तर्कसंगत रूप से उन्हें उपलब्ध था। इसके समक्ष रखे गये प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी पूर्व में शुरू की गई जांच के समाप्त होने के शीघ्र बाद वर्तमान जांच की शुरुआत के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, जांच की समाप्ति और उसी उत्पाद के विरुद्ध जांच की तदनंतर शुरुआत के बीच समय के अंतराल के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के बारे में कोई जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांच में नहीं किया गया था और उसे घरेलू उद्योग के अनुरोध पर याचिका को वापस लेने के कारण समाप्त कर दिया गया था।
37. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि इस प्रकार के जांच का व्यापार कम करने संबंधी प्रभाव है और हाल की जांच की समाप्ति के बाद जांच की शुरुआत घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान करती है, प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ के सदस्यगण को पाटन जब और जैसे ही यह होता हो के कारण उद्योग को हुई क्षति का उपचार करने के लिए पाटनरोधी जांच आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के क्षेत्राधिकार में की गई पाटनरोधी जांचों को डब्ल्यू टी ओ करारों के अंतर्गत दी गई किसी रियायतों का उल्लंघन करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। पाटनरोधी जांच और तदनंतर शुल्कों का उद्देश्य व्यापार को प्रतिबंधित करना अथवा उसमें बाधा उत्पन्न करना नहीं है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से केवल यह सुनिश्चित होगा कि कोई अनुचित लाभ घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करते समय पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है और वह बाजार में उचित कीमत पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
38. जांच की अवधि और क्षति की अवधि से संबंधित मुद्दों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इस नियमावली के नियम 5(3क) में यह प्रावधान है कि जांच की अवधि जांच की शुरुआत के चरण में छः महीने से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, दिनांक 12 मई, 2004 की व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के अनुसार, क्षति की अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अवश्य होनी चाहिए जो ऐसी अवधि के दौरान किसी अंतरों के बचने के उद्देश्य से ओवरलेप कर सकता है। जांच की अवधि और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि पाटनरोधी नियमावली और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई व्यापार सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
39. इस तर्क के संबंध में की घरेलू उद्योग ने बाजार की विशेष स्थिति के मुद्दे को बहुत देर से उठाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में मुद्दा घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में उठाया गया था और इस मुद्दे को जांच की शुरुआत संबंधी सूचना में ही विधिवत नोट कर लिया गया था। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये ये अनुरोध की बाजार की विशेष स्थिति का मुद्दा बहुत देर से उठाया गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
40. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पी टी एक यूजर्स एसोसिएशन द्वारा भागीदारी के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। यह दावा किया गया है कि इस प्रकार का एसोसिएशन एक हितबद्ध पक्षकार नहीं हो सकता है क्योंकि यह पी टी ए यूजर्स और न कि एम ई जी यूजर्स का एक संघ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस एसोसिएशन के सदस्य केवल एम ई जी के यूजर्स हैं और इस कारण से पी टी ए यूजर्स एसोसिएशन का इस जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

#### छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

##### छ. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
- क. पिछले जांच जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के वापिस लिये जाने के कारण समाप्त कर दिया गया था कि तुलना में बाजार की विशिष्ट स्थिति के संबंध में आरोपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग ने अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत सांविधिक अपवादों को न्यायोचित ठहराये बिना उत्पादन की लागत का उपयोग करते हुए सामान्य मूल्य संरचित किया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने सउदी अरब में प्रचलित घरेलू कीमतें प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। सूचना तक सीमित पहुंच अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देश में घरेलू कीमतों पर विचार नहीं करने के वास्ते आधार नहीं हो सकता है।

- घ. घरेलू उद्योग ने कुवैत के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने के वास्ते एम ई जी के भारतीय उत्पादकों की लागत संरचना का उपयोग किया जो सीमा टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(ii)(ख) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि भारत और कुवैत में लागतें अलग अलग हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया सामान्य मूल्य कुवैत में उत्पादन की वास्तविक लागत की तुलना में 80 प्रतिशत से 224 प्रतिशत तक अधिक है।
- च. घरेलू उद्योग ने एम ई जी के संबंध में बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी को दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और केवल यह आरोप लगाया है कि फीड स्टॉक में सरकार का हस्तक्षेप के फलस्वरूप सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के लिए बाजार की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होती है।
- छ. यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि राज्य का स्वामित्व अथवा स्वचालित रूप से नियंत्रण का आशय कीमतों पर सरकार के किसी नियंत्रण के अभाव में पाटनरोधी करार के भीतर "बाजार की विशिष्ट स्थिति" से है।
- ज. अलग अलग अधिकार क्षेत्रों जैसे कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यू के और आस्ट्रेलिया की कार्यपद्धतियां तथा भारत में कार्यपद्धति इस बात की पुष्टि करती है कि सरकारी नियंत्रण के फलस्वरूप वास्तव में बाजार की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
- झ. आवेदकों के अनुरोधों के विपरीत, विनियम (ई यू) 2016/1036 का अनुच्छेद 6(क)(ख) बहुत अधिक विरूपणों के मामले में कीमतों अथवा लागतों की उपेक्षा करने के लिए आयोग के अधिकार का संदर्भ लेता है जो बाजार की विशेष स्थिति के कारण घरेलू बाजार की बिक्री की उपेक्षा करने से अलग है।
- ञ. जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इक्वेट और टी के ओ सी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, उनका अधिकांश स्वामित्व निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है।
- ट. आवेदकों के इन अनुरोधों के विपरीत, के पी सी का सी ई ओ एक पेशेवर कार्यपालक और न कि तेल मंत्री है। जबकि पी आई सी इक्वेट और टी के ओ सीका आंशिक मालिक है, के पी सी के पास ये प्रतिष्ठान नहीं हैं।
- ठ. चूंकि कुवैत में कोई प्रतिनिधिक घरेलू बिक्री नहीं है अतः विशेष बाजार की स्थिति का आरोप लगाना संगत नहीं है।
- ड. यू एस के वाणिज्य विभाग ने कोरिया गणराज्य से कुछ कोल्ड रोल्ड और क्रोजन रेसिडेंट कार्बन स्टील फ्लेट उत्पादों और कनाडा से कुछ डूरम वीट एंड हार्ड रेड स्प्रिंग के संबंध में जांचों में कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के होने के आधार पर विशेष बाजार की स्थिति के आरोपों को अस्वीकार किया है।
- ढ. बाजार की विशिष्ट स्थिति सहित अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित तीन स्थितियां "समान उत्पाद" अथवा विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में ही है और न कि इनपुट लागत अथवा कच्चे माल की लागत के संदर्भ में है।
- ण. जबकि कनाडा, यू एस ए और ई यू ने भारतीय बाजार की स्थिति के क्षेत्राधिकार में कच्चे माल के विरूपणों को शामिल करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया अतः ऐसा कोई भी संशोधन भारतीय कानून में नहीं किया गया है।
- त. पोलीप्रोपीलीन के मामले में प्राधिकारी की जांच परिणाम पर निर्भरता उपयुक्त नहीं है अतः ऐसे जांच परिणाम अपीलीय निकाय द्वारा हाल की व्याख्या को निर्धारित करते हैं।
- थ. फीडस्टॉक की विनियमित कीमत निर्धारण डब्ल्यू टी ओ नियमावली के अनुरूप है। आरोहण नवाचार में इस प्रकार की विनियमित कीमत निर्धारण के संबंध में अतिरिक्त किसी टिप्पणियों के अभाव में, जैसा कि चीन के मामले में हुआ है, फीडस्टॉक की कीमतें डब्ल्यू टी ओ के सदस्य द्वारा अस्वीकृत नहीं की जा सकती हैं।
- द. विनियमित कीमत निर्धारण का अभिप्राय विरूपित कीमत निर्धारण नहीं होता है क्योंकि जिन कीमतों पर फीडस्टॉक की आपूर्ति की जाती है वाणिज्यिक रूप से आधारित हैं और उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभ की पूरी वसूली सुनिश्चित करता है। भारत सरकार अनेक उत्पादों में भी कीमत विनियम बनाये रखती है।
- ध. फीडस्टॉक गैर भेदभावपूर्ण आधार पर सउदी अरब में सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- न. व्यापार नीति की समीक्षा यह दर्शाती है कि प्राकृतिक गैस और ईथेन के लिए कीमत विनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंसी इस साम्राज्य में प्राकृतिक गैस संसाधनों का विकास एवं दोहन के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक दर का प्रतिफल प्राप्त करे।



- प. एन जी एल के घरेलू कीमत निर्धारण वाणिज्यिक रूप से आधारित है। मंत्रिपरिषद् विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत फार्मूला निर्धारित करता है कि एन जी एल की कीमतें लागत आधारित और अन्य वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से समायोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर आधारित हो।
- फ. बिक्री, बिक्री पश्चात कीमत समायोजन, छूट आदि के मामले में अंतरों के कारण वास्तविक कीमतों और प्रकाशित कीमतों के बीच अंतर है।
- ब. फीडस्टॉक कीमतें तेल की प्रचुरता और उत्पादन / आपूर्ति चैन कार्यक्षमताओं के क्षेत्रीय लाभ के कारण मध्य पूर्व और यू एस में कमतर हैं।
- भ. आवेदकों के इस अनुरोध के संबंध में की उपभोक्ता बिना दीर्घावधिक खरीद नीतियों के न्यूनतम कीमतों पर खरीद कर रहे हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि उपभोक्ताओं के वाणिज्य निर्णयों का समाधान प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- म. चूंकि देश के उत्पादक ईथेन से और न कि नेप्था से इथीलीन का उत्पादन करते हैं, उत्पादन की उनकी लागत कमतर है।
- य. सउदी अरब में क्रेकर संयंत्र डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्र के बहुत करीब स्थित है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की लागतों में समग्र कार्यक्षमता है। भारत में तुलना करने पर आर आई एल ईथेन का आयात करने के लिए बाध्य है जिसमें बहुत अधिक लागत लगती है।
- कक. यू एस ए में (260 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) और सउदी अरब में (200 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) इथीलीन की लागत भारत में उसकी कीमत (500 यू एस डॉलर प्रति मी. ट.) से बहुत कम है। यह अंतर प्राकृतिक लाभों के कारण हुआ है।
- खख. चूंकि घरेलू स्तर पर बेचे गये और निर्यात किये गये एम ई जी के उत्पादन के लिए उपयोग किये गये फीडस्टॉक की कीमत सदृश्य है अतः अनुच्छेद 2.2 के अर्थ से बाजार की विशेष स्थिति नहीं हो सकती है।
- गग. सउदी अरब में बाजार की विशेष स्थिति के नहीं होने की पुष्टि सउदी अरब के विरुद्ध 20 से अधिक पाटनरोधी जांचों अर्थात् पाकिस्तान, सउदी अरब और यू ए ई से स्पष्ट फ्लोट ग्लास, सामान्य बूटानॉल अथवा एनबूटाइल एल्कोहल और सउदी अरब से पेटाइरिथ्रीटोल आदि में डी जी टी आर के अंतिम जांच परिणामों की गई है।
- घघ. सउदी आरामको ने गैर भेदभावपूर्ण आधार पर और बिना किसी प्रभाव वाली कीमतों पर और उन कीमतों पर जिन पर सउदी आरामको ने असंबंधित कंपनियों आपूर्ति की है, ईथेन की बिक्री पेट्रो राबिघ को की है।
- ङङ. सेबिक और सउदी आरामको के बीच आपूर्ति करार तब किये गये थे जब दोनों कंपनियां एक दूसरे से संबंधित नहीं थी। इस प्रकार की कीमतों में इस अधिग्रहण के अनुसरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- चच. सरकार द्वारा निर्धारित इनपुट्स की कीमत सरकार के साथ किसी संबंध अथवा एम ई जी के उत्पादक और इनपुट आपूर्तिकर्ता के बीच कोई संबंध पर विचार किये बिना बाजार की सभी कंपनियों के लिए लागू हैं।
- छछ. यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि संबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इनपुट्स की कीमत बिना किसी प्रभाव वाली कीमत पर नहीं हुई है घरेलू उद्योग पर होती है।
- जज. यदि प्राधिकारी इनपुट की कीमत के विरूपणों के लिए सामान्य मूल्य को समायोजित करना चाहता है तब वही समायोजन निर्यात कीमत के लिए अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि इनपुट की कीमत बाजार पर विचार किये बिना वही है।
- झझ. घरेलू उद्योग ने कुवैत में बाजार की विशेष स्थिति के मौजूद होने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- ञञ. एक एकीकृत जी सी सी फीडस्टॉक बाजार नहीं है और विभिन्न जी सी सी राज्यों में अलग अलग फीडस्टॉक उत्पादक अपने उत्पादों का कीमत निर्धारण अलग अलग तरीके से करते हैं। कुवैत की व्यापार नीति समीक्षा ने यह सिद्ध किया है कि "कुछ अपवादों के साथ, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुक्त रूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं"। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कुवैत में उत्पादकों के उत्पादन की लागत घरेलू अथवा निर्यात बाजार में निरूपित किया गया है।

- टट. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना इस बात की पुष्टि करती है कि फीडस्टॉक की कीमतें बिना किसी प्रभाव वाली कीमतें हैं।
- ठठ. यदि आवेदक कथित विरूपण के बारे में चिंतित हैं तब सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार के अंतर्गत निदान उपलब्ध कराया जाता है।
- डड. प्राधिकारी ने विगत में निरंतर रूप से सब्सिडीरोधी जांच के माध्यम से उचित से कम पारिश्रमिक पर कच्चे माल की उपलब्धता के मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया है।
- ढढ. बाजार की विशिष्ट स्थिति की केवल मौजूदगी अपरिणामी नहीं है। यदि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि वह ई सी – सूती यार्न, ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर और यूरोपीय यूनियन – ट्यूब अथवा पाइप में पैनल द्वारा माने गये अनुसार निर्यात कीमत के साथ घरेलू बिक्री की उचित तुलना को प्रभावित करता है।
- णण. बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी स्थापित करने तथा यह कि यह निर्यात कीमत के साथ घरेलू कीमत की उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है की जिम्मेदारी इसका दावा करने वाले पक्षकार की है।
- तत. सउदी अरब के रिकार्डों के अनुसार इनपुट्स की लागत और उत्पादन की लागत घरेलू और निर्यात किये गये दोनों उत्पाद के लिए समान है। उत्पादक निर्यात कीमत की तुलना में घरेलू बाजार में छूट पर बिक्री नहीं करते हैं।
- थथ. घरेलू उद्योग ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि सउदी अरब और कुवैत में संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।
- दद. घरेलू उद्योग इस तथ्य को स्पष्ट करने में असफल रहा है कि किस प्रकार से सउदी अरब और कुवैत में घरेलू बाजार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे।
- धध. सउदी अरब में आयातों की पहुंच कीमत से ईथेन की घरेलू कीमत की तुलना आस्ट्रेलिया – ए-4 कॉपी पेपर में पैनल की टिप्पणी के विपरीत है जो लागत के साथ घरेलू कीमत और न कि लागत के साथ निर्यात कीमत की तुलना का संदर्भ दिया। इसके अलावा लागत का संदर्भ उत्पादन की लागत और न कि केवल कच्चे माल की लागत जैसे ईथेन से है।
- नन. केवल संबद्धता इनपुट लागतों को अस्वीकार करने के लिए आधार नहीं है, यहां तक यह तर्कसंगत तरीके से उद्गम के देश में संबंधित उत्पाद की बिक्री और उत्पादन की लागत को दर्शाता है। पेट्रो राबिघ इस उत्तर में संबंधित पक्षकारों से ईथेन की खरीद दर्शाने के लिए सूचना दी है।
- पप. यूक्रेन – एमोनियम नाइट्रेट मामले में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय ने यह माना कि कुछ बिना प्रभाव वाले कीमतों पर विचार अनुच्छेद 2.2.1.1 के एक अपवाद के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- फफ. बाजार की विशेष स्थिति की मौजूदगी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में कमतर इनपुट कीमत के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि उत्पादक का रिकार्ड अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और यूक्रेन – एमोनियम नाइट्रेट, ई यू – बायोडीजल और ई यू – लागत समायोजन में अपीलीय निकाय द्वारा उसकी व्याख्या के अनुसार तर्कसंगत रूप से नहीं दर्शाता है।
- बब. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, "सामान्य रूप से" शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए अनुच्छेद 2.2.1.1 में 'करेगा' के साथ किया गया है कि जबकि अपवाद मौजूद हो सकते हैं, उत्पादक का रिकार्ड उस स्थिति में उत्पादन की लागत संरचित करते समय अवश्य विश्वास किया जाना चाहिए यदि दो स्पष्ट शर्तें पूरी होती हों।
- भभ. यदि प्राधिकारी यह मान भी लेते हैं कि बाजार की विशिष्ट स्थिति मौजूद है तब सामान्य मूल्य का निर्धारण सीमा टैरिफ अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार केवल तीसरे देश की बिक्री कीमत और / अथवा उत्पादन की लागत के आधार पर की जा सकती है। उत्पादक के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार इस संबंध में किया जाना चाहिए।
- मम. यूक्रेन – एमोनियम नाइट्रेट और यूरोपीय यूनियन – समायोजन पद्धतियों पर निर्भरता उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनका संबंध इनपुट की लागतों के निर्धारण से है जैसे ही यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि एम ई जी की बाजार कीमतों का उपयोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

- यय. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित ईथीलीन की असमायोजित कीमतों के आधार पर उत्पादन की संरचित लागत सउदी अरब में उत्पादन की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाता है और यह यूरोपीय यूनियन – बाँयोडीजल और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट में अपीलीय निकाय की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन है।
- ककक. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में उत्पादन की वास्तविक लागत दर्शाने के लिए सामान्य मूल्य की संरचना के वास्ते उपयोग किये गये ईथीलीन की कीमत का समायोजन करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
- खखख. जी सी सी क्षेत्र में प्रचलित ईथीलीन की लागत और भार कीमतों का उपयोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट है और समग्र क्षेत्र में सामान्य कीमत प्रचलित है जिसमें गैर संबद्ध देश शामिल हैं, का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस प्रकार की कीमत में दक्षिण-पूर्व एशिया को भाड़े की लागत शामिल है जो सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों द्वारा वहन नहीं किया जाता है।
- गगग. सामान्य मूल्य का निर्धारण पत्रिका में प्रकाशित कीमतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित हैं।
- घघघ. घरेलू उद्योग का ईथीलीन की लागत की गणना करते समय व्याज और ह्रास लागत को शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।
- डडड. सउदी अरब से एम ई जी के आयातों के संबंध में इस जांच में यूरोपीय कमीशन ने अपने जांच परिणामों में सउदी अरब से निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई समग्र लागत को स्वीकार किया है।
- चचच. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च से संबंधित लागतों का निर्धारण इन उत्पादकों द्वारा रखे गये रिकार्डों के आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए यदि प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं करता हो कि अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में कोई बिक्री नहीं हुई है।
- छछछ. याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के उद्देश्य से ही सीमा शुल्क, बीमा और बंदरगाह खर्च को जोड़ा है।
- जजज. चूंकि आर आई एल ने पूर्व में कुवैत से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है अतः उसे यह पता होना चाहिए था कि कोई अंतर्देशीय भाड़ा, कमीशन अथवा पोर्ट खर्च का वहन कुवैत में उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।
- झझझ. आवेदकों के अनुरोधों के विपरीत, कुवैत से वितरण का चैनल पूरा है और सभी संगत कंपनियों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है।
- ञञञ. एमईग्लोबल अमेरिकाज इंक. के कुवैत से निर्यात संबंधित मूल्य चैन में कोई भूमिका नहीं है और इस कारण से इसकी गैर-भागीदारी का निर्यातकों के उत्तरों और भागीदारी पर कोई प्रभाव नहीं है। अलग अलग शुल्क दरों से लाभ उठाने के उद्देश्य से, एमईग्लोबल अमेरिकाज इंक. को सबसे पहले कुवैत को वस्तुओं को जहाज के माध्यम से भेजना और अतिरिक्त लागतें उठानी होती जो किसी अवधारित लाभ के उद्देश्य को विफल करेगा और इसके साथ ही कुवैत के मूल का जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कठिन कार्य को करना पड़ेगा।
- टटट. मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की गैर भागीदारी संगत नहीं है। प्राधिकारी द्वारा इसके असंबंधित निर्यातक के साथ प्रश्नावली प्रस्तुत करने के संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देश व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि उत्पादक के पास इसके असंबंधित निर्यातकों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
- ठठठ. विगत जांचों में, प्राधिकारी ने उस कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है जिस पर उत्पादक ने निर्यातक को बिक्री की है और न कि वह कीमत जिस पर निर्यातक ने भारत को बाद में बिक्री की है।
- डडड. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन वस्तुओं का अंतिम निर्यातक है और इसने भाग लिया है तथा भारत को अपनी निर्यात बिक्री का ब्यौरा सूचित किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने पहुंच मूल्य की गणना के लिए तथा अलग अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए इसके पास उपलब्ध सभी सूचनाएं हैं।
- ढढढ. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के उत्तर के अनुसार, एम आई सी ने केवल उसके एक एजेंट के रूप में कार्य किया है।
- णणण. निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य को एमआईसी यूएसए की भागीदारी के बिना स्थापित किया जा सकता है क्योंकि एमआईसी यूएसए एमईजी का एक व्यापारी है और एमईजी का गुप्त रूप से निर्माण अथवा उत्पादन नहीं करता। एम सी जांच की अवधि के दौरान एमआईसी यूएसए से सीमित मात्रा में एम ई जी खेप की खरीद की थी

जिसे बाद में एमआईसी यूएसए द्वारा नान या प्लास्टिक से खरीदा गया था। एमआईसी से खरीद बहुत सीमित मात्रा में हुई थी और यह भारत में बहुत अधिक आयात नहीं है।

- ततत. यदि प्राधिकारी का यह मत है कि एम आई सी का आंकड़ा आवश्यक है, एम सी उसे प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक है।
- थथथ. पेट्रो राबिघ ने तीसरे देशों को अपना निर्यात उपलब्ध नहीं कराया है क्योंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध पक्षकारों के समूह की घरेलू बिक्री के आधार पर किया जायेगा।
- ददद. पेट्रो राबिघ ने वर्तमान जांच में भाग लिया है क्योंकि यह सेबिक से संबंधित है जिसने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। पेट्रो राबिघ नई शिपर समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं अपना सकता है यदि यह भविष्य में भारत को इन वस्तुओं का निर्यात करने का निर्णय लेता है।
- धधध. पेट्रो राबिघ के उत्तर में उल्लिखित वितरण का चैनल इसके द्वारा अपनाया गया सामान्य चैनल है लेकिन यह जांच की अवधि के दौरान इन कंपनियों के माध्यम से बिक्री नहीं करता था।
- ननन. याचिकाकर्ता ने रबड केमिकल जांच परिणामों पर विश्वास किया है जो इस वर्तमान जांच पर लागू नहीं होता है क्योंकि सउदी अरब एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और उत्पादकों ने फीडस्टॉक का आयात नहीं किया है।
- पपप. इटोचू कॉर्पोरेशन जिसने बहुत कम मात्रा का व्यापार किया है को छोड़कर सेबिक ग्रुप के मूल्य श्रृंखला बनाने वाले सभी कंपनियों ने इस जांच में भाग लिया है।
- फफफ. सेबिक इंडिया ने सेबिक द्वारा निर्यात किये गये किसी वस्तु का आयात नहीं किया है और यह संबद्ध वस्तुओं के आयात अथवा बिक्री के संबद्ध में किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं है।
- बबब. निर्यात कीमत की गणना के लिए, समुद्री भाड़े को छोड़कर समायोजनों से संबंधित किसी साक्ष्य को याचिका में शामिल नहीं किया गया है।

## छ. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

42. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की कीमतों और कच्चे माल तथा यूटिलिटी की कीमतों के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति मौजूद है।
- ख. एम ई जी के सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादकों और इनपुट आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी के कारण, सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा है और वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं।
- ग. घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में अतिरिक्त अनुरोध करने से रोका नहीं है।
- घ. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के पूर्व बाजार की विशेष स्थिति का दावा किया था अतः उत्पादकों को अपने उत्तर में तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए थे।
- ङ. सउदी अरब और कुवैत में सरकार के स्वामित्व वाले अथवा सरकार के नियंत्रण वाले उत्पादकों की काफी संख्या में मौजूदगी के कारण, एम ई जी के घरेलू बिक्री कीमत विरूपित है और निर्यात कीमत से उचित तुलना को रोकता है।
- च. सउदी अरब के उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों / निर्यातकों को सेबिक द्वारा धारित किया गया है जिसे सउदी आरामको, राज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी के द्वारा पूर्ण रूप से अर्जित किया गया है।
- छ. कुवैत के उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा धारित किया गया है जो बाद में कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन राज्य के स्वामित्व वाली एक कंपनी की सहायक कंपनी है।
- ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे के विपरीत इक्वेट और टी के ओ सी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के. एस. सी. के निर्माता अंग के अलावा कुछ नहीं है और उसे इसकी वेब-साइट पर पी आई सी की कोर बिजनेस के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- झ. कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होना अपने आप में यह सूचित करता है कि उस बाजार में विक्री प्रचालन कार्यपद्धति के मैन्युअल के अनुसार निर्धारक कीमतों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ञ. भारत सरकार द्वारा उत्पादों की कीमतों के विनियम का संदर्भ वर्तमान जांच से संगत नहीं है।
- ट. जबकि घरेलू उद्योग ने बाजार की विशिष्ट स्थिति की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यू के और आस्ट्रेलिया के कानून में दिये गये कारकों पर विश्वास किया है, अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि किस प्रकार इस तरह के कारक वर्तमान मामले में बाजार की विशेष स्थिति की मौजूदगी के निष्कर्ष तक नहीं ले जाते हैं।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, कोरिया गणराज्य से कुछ जंगरोधी इस्पात फ्लेट उत्पादों के संबंध में जांच में, यू एस के वाणिज्य विभाग ने सब्सिडी देने में सरकार का शामिल होना और बिजली की कीमत का विनियमन जिसके फलस्वरूप बाजार की विशिष्ट स्थिति मौजूद रही, का विशिष्ट रूप से समाधान किया।
- ड. "बाजार की विशिष्ट स्थिति" पारिभाषित शब्द में कनाडा, यूरोपीय यूनियन और यू के में प्राधिकारियों की कार्यपद्धतियों में दर्शाये गये अनुसार तथा ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा सही माने गये अनुसार विभिन्न कारणों से इनपुट की कीमतों में विरूपण का होना शामिल है।
- ढ. जैसा कि सउदी अरब के साम्राज्य का आरोहण डब्ल्यू टी ओ में किये जाने संबंधी कार्यचालन पक्षकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है, ईथेन, प्रोपेन, बूटेन और प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमते लाभ नियंत्रण तथा कीमत के अध्यक्षीन रही है और उसका निर्धारण सउदी अरब के मंत्रिपरिषद् द्वारा किया गया है। सउदी अरब द्वारा 2016 में ईथेन और प्रोपेन की कीमत में वृद्धि के बावजूद, ये कीमतें एच एस बी सी ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट, सउदी अरब की व्यापार नीति की समीक्षा और सउदी आरामको की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विनियम के अध्यक्षीन होना जारी है।
- ण. सउदी अरब के आरोहण नवाचार संबंधी रिपोर्ट में बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में टिप्पणियों का नहीं होना पाटनरोधी करार के अंतर्गत डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के अधिकारों का अधिक्रमण नहीं कर सकता है।
- त. घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि फीडस्टॉक कीमतों का विनियमन डब्ल्यू टी ओ के नियमों के अनुरूप नहीं है बल्कि ऐसी संगतता बाजार की विशिष्ट स्थिति के रूप में इस मुद्दे पर विचार करने को नहीं रोकता है।
- थ. अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जहां सउदी आरामको उसी अवधि में समान कीमतों से कम कीमत पर स्वदेश में इनपुट की विक्री करता है, इसे साम्राज्य के वर्तमान कीमत निर्धारण अधिदेशों का अनुपालन करने के कारण परित्याग के कारण प्रत्यक्ष रूप से परित्याग किये गये राजस्व की लागत के बराबर राशि के लिए सरकार से मुआवजा पाने का हक है।
- द. चूंकि आंतरिक टैरिफ बाधाओं के बिना जी सी सी बाजार का एक एकीकृत बाजार है, सउदी अरब में प्रचलित विरूपित कीमतों ने संभवतः कुवैत में भी प्रचलित कीमतों को प्रभावित किया है।
- ध. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य के साथ अपने दावे को सिद्ध करना चाहिए कि जी सी सी में कीमतें बाजार द्वारा मुक्त रूप से निर्धारित की गई हैं और वे बिना किसी प्रभाव के तय किये गये हैं।
- न. सउदी अरब और यू एस ए से एम ई जी के संबंध में जांच में यूरोपीय कमीशन इनपुट कीमत के विरूपणों और बाजार में विशिष्ट स्थिति के संबंध में मुद्दों जिन्हें इसके समक्ष नहीं उठाया गया था और इस प्रकार ऐसे जांच परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, के संबंध में मौन रहा है।
- प. डब्ल्यू टी ओ के पैनल ने यह कहा है कि यदि कोई स्थिति सब्सिडी भी बनती हो तब भी इस पर विशेष बाजार की स्थिति के क्षेत्र के अधीन विचार किया जा सकता है।
- फ. ईथेन साफ फ्लोट ग्लास, सामान्य बूटानोल अथवा पेंटाएरिथ्रिटोल के लिए फीडस्टॉक अथवा कच्चा माल नहीं है और ऐसी जांचों में बाजार की विशिष्ट स्थिति के संबंध में प्राधिकारी के जांच परिणामों का नहीं होना वर्तमान मामले के संगत नहीं है। इसके अलावा, बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में निर्धारण तथा क्या यह उचित तुलना प्रस्तुत करता है, ऑस्ट्रेलिया – ए-4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा यथाधारित मामले दर मामले आधार पर निर्भर करता है।
- ब. इनपुट्स की कीमतों में विरूपण के फलस्वरूप उत्पादन की लागत और घरेलू कीमतों का विरूपण हुआ है लेकिन इसने निर्यात कीमतों पर प्रभाव नहीं डाला है जो अन्य वैश्विक उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में हैं।

- भ. गैर-भेदभाव आधार पर फीडस्टॉक की उपलब्धता पाटनरोधी करार के अंतर्गत बाजार की विशेष स्थिति के निर्धारण के लिए संगत नहीं है।
- म. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, जहां उस इनपुट का उपयोग घरेलू और निर्यात किये गये वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, विरूपित इनपुट कीमतें संभवतः आस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ के पैनल द्वारा टिप्पणी किये गये अनुसार बाजार की प्रचलित स्थितियों पर निर्भर करते हुए घरेलू और निर्यात कीमतों को अलग तरीके से प्रभावित करेगा।
- य. सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भारत से अलग हैं क्योंकि सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की कोई मांग नहीं है, एम ई जी का कोई आयात नहीं हुआ है और सभी उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से/ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में अथवा स्वामित्व में हैं। दूसरी ओर, भारत में एम ई जी की अत्यधिक मांग है, बहुत अधिक आयात हुए हैं और देश में निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले दो प्रमुख उत्पादक हैं।
- कक. सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों के उत्पादन की लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि भारत में निर्यात की कीमत में गिरावट आई जो लागत और कीमत के बीच किसी संबंध के नहीं होने को बताता है।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे के विपरीत, सउदी अरब में इनपुट्स की कीमत किसी प्राकृतिक लाभ अथवा प्रचुर आपूर्ति के कारण कमतर नहीं है बल्कि सरकार से सउदी आरामको द्वारा प्राप्त कीमत विनियमों और मुआवजे के कारण कमतर नहीं है।
- गग. प्राकृतिक गैस का अत्यधिक भंडार होने के बावजूद, यू एस ए में ईथेन की कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों के अनुसार किया गया है और जांच की अवधि के दौरान उसमें बहुत अधिक हद तक उतार-चढ़ाव आया है।
- घघ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से इथीलीन, प्रोपेन और बूटेन के निर्यातों की कीमत और यू एस ए में ईथेन की प्रचलित कीमत, जो एक ही प्राकृतिक क्षेत्रीय लाभ के अध्यक्षीन है, जैसा कि ऐसे इनपुट्स की घरेलू कीमतों के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। हालांकि, क्षेत्रीय लाभों के बावजूद, यू एस ए में कीमतें कम अथवा विनियमित नहीं हैं।
- ङङ. संबद्ध कंपनियों से खरीद के बारे में, यू एस – ओ सी टी जी में डब्ल्यू टी ओ पैनल ने माना कि प्राधिकारी उस संबद्ध कंपनी से खरीदे गये कच्चे माल की कीमत जो बिना किसी प्रभाव के नहीं है, को अस्वीकार कर सकते हैं।
- चच. यह प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति रही है कि वह उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करे जहां निर्यातक संबंधित पक्षकार से बिना प्रभाव के कच्चे माल की खरीद स्थापित करने में असफल रहे। अन्य अधिकार क्षेत्रों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या संबद्ध कंपनी से खरीदे गये किसी इनपुट का मूल्य बिना किसी प्रभाव के आधार पर तय किया गया है।
- छछ. चूंकि ईथेन का आयात सउदी अरब से नहीं किया जाता है और इसकी आपूर्ति देश में केवल सउदी आरामको द्वारा किया जाता है और सउदी आरामकों द्वारा असंबंधित पक्षकारों को सभी बिक्री भी विनियमित कीमतों पर की जाती हैं। अतः ऐसी कीमतों का उपयोग ईथेन की खरीद के लिए बिना प्रभाव वाली कीमत पर नहीं किया जा सकता है।
- जज. जबकि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे यदि अनुच्छेद 2.2.1.1 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हो तब उत्पादकों द्वारा रखे गये रिकार्डों के आधार पर सामान्य रूप से उत्पादन की लागत का निर्धारण करें, रिकार्डों को छोड़कर अन्य लागतों पर भी कुछ मामले में विश्वास किया जा सकता है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा सही माना गया है। वैसा ही दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण., इण्डोनेशिया, मलेशिया और थाइलैण्ड से एल्मूनियम फ्वाइल के मामले में अपनाया गया था।
- झझ. कनाडा, आस्ट्रेलिया और यू एस ए में प्राधिकारियों को भी उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए रिकार्डों में रखी गई लागतों को छोड़कर लागतों पर विचार करना चाहिए।
- ञञ. चूंकि उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अपने देशों में बाजार की विशेष स्थिति के संबंध में संगत सूचना छुपाई है अतः प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम अल्दोर टोपसो में उच्चतम न्यायालय द्वारा सही माने गये अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

- टट. यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट और यूरोपीय यूनियन – लागत समायोजन पद्धतियों के निर्णय इनपुट की कीमत के विरूपणों के मामले में बाजार की विशेष स्थिति अथवा लागत को अस्वीकार किये जाने के मामले में घरेलू बिक्री कीमत को अस्वीकार करने से नहीं रोकता है।
- ठठ. चूंकि सउदी अरब और कुवैत में प्रचलित विशेष बाजार की स्थिति यूटिलिटी और कच्चे माल की कीमतों को समान रूप से प्रभावित करता है, दोनों की लागत को उत्पादन की लागत के निर्धारण में अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- डड. इनपुट्स की कीमतों के लिए विशेष बाजार की स्थिति के अलावा, उत्तर देने वाले सभी उत्पादकों ने संबद्ध पक्षकारों से इनपुट्स की खरीद की है और इस प्रकार, सउदी अरब और कुवैत में उत्पादकों के लिए एम ई जी के उत्पादन की लागत का समायोजन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों इथीलीन और प्राकृतिक गैस की बाजार कीमत के लिए किया जाना चाहिए।
- ढढ. इथीलीन की कीमत के समायोजन की आवश्यकता है क्योंकि यदि ईथेन, प्रोपेन, बूटेन और प्राकृतिक गैस की विरूपित लागत पर विचार किया जाता है तब भी सभी विरूपणों का निवारण करना संभव नहीं है।
- णण. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, प्राधिकारी उत्पादन की लागत का निर्धारण यूरोपीय यूनियन – बाँयोडीजल में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय द्वारा टिप्पणी किये गये अनुसार देश में उत्पादन की लागत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका तर्कसंगत तरीके से समायोजन करने के बाद उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए देश से बाहर की कीमतों पर विचार कर सकते हैं।
- तत. इथीलीन क्रेकर में बहुत अधिक निवेश और ईथेन से इथीलीन के उत्पादन में शामिल में प्रमुख मूल्यवर्धन पर विचार करते हुए, व्याज और ह्रास सहित इथीलीन की पूरी लागत पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
- थथ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सभी पक्षकारों को सउदी अरब और कुवैत में बाजार की विशेष स्थिति की मौजूदगी के संबंध में अनुरोधों के अनुसरण में पाटन मार्जिन में परिवर्तन को दर्शाते हुए इस शर्त के साथ याचिका का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया।
- दद. सउदी अरब में घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में साक्ष्य संगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार कीमत को बाजार की विशेष स्थिति को देखते हुए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- धध. यू एस – सॉफ्टवुड लंबर में डब्ल्यू टी ओ पैनेल द्वारा सही माने गये अनुसार, घरेलू उद्योग से केवल यह अपेक्षित है कि वह इसको तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराये जिसे स्वयं याचिका में साझा किया गया था।
- नन. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार इसको तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य प्रस्तुत किया।
- पप. इस प्रकार की कीमते ट्रेड मेप पर उपलब्ध सूचना के आधार पर है जो सरकारी स्रोतों जैसे केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, कुवैत, यू एन कॉमट्रेड और केंद्रीय सांख्यिकी एवं सूचना विभाग, सउदी अरब से अपने आंकड़े संग्रह करता है और इस कारण से विश्वसनीय नहीं है।
- फफ. सामान्य मूल्य का निर्धारण न्यायाधीकरण द्वारा ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सही माने गये अनुसार जांच की शुरुआत के चरण में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है।
- बब. अलग अलग पाटन मार्जिन उत्पादकों को नहीं दिया जाना चाहिए, जिसका संबंधित/ असंबंधित निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- भभ. मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जिसने नॉन या प्लास्टिक, अमेरिका द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की बिक्री मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को की है, इस जांच में भाग नहीं लिया है। मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा भाग नहीं लिये जाने की स्थिति में प्राधिकारी भारत को अंतिम निर्यातों की लाभप्रदता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं होगा।
- मम. प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, वस्तुओं के भौतिक संचलन अथवा वित्तीय लेन-देन में शामिल प्रत्येक असंबंधित मध्यवर्ती से जांच में भाग लेना अपेक्षित है।

- यय. यदि किसी निर्यातक / व्यापारी ने लाभ अथवा हानि पर इन वस्तुओं का निर्यात किया है कि जांच की जानी अपेक्षित है और ऐसे व्यापारी द्वारा भाग न लेने की स्थिति में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि चीन जन. गण. से एच एफ सी संघटक आर-32 के मामले में है।
- ककक. इटोचू कॉर्पोरेशन जिसने ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया है, ने इस जांच में भाग नहीं लिया है।
- खखख. एमईग्लोबल अमेरिका इंक. जो एक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी और कुवैत ऑलफिंस कंपनी का एक संबंधित उत्पादक है, ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- गगग. सउदी अरब और कुवैत से भारत को इन वस्तुओं का निर्यात करने में शामिल विभिन्न मध्यवर्तियों पर विचार करने पर, वर्तमान मामले में निर्यात कीमत का निर्धारण कनाडा के प्राधिकारी की कार्यपद्धति के समान निर्यातक की बिक्री कीमत अथवा आयातक की खरीद कीमत में से कमतर पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।
- घघघ. निर्यात कीमत का सत्यापन सीमाशुल्क प्राधिकारियों से मांगे गये दस्तावेजों से किया जाना चाहिए जैसा कि यूरोपीय यूनियन और जी सी सी में प्राधिकारियों की कार्यपद्धति है।
- डडड. सेबिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सेबिक को बाजार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। बाजार संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा वहन किये गये खर्च का समायोजन निर्यात कीमत के निर्धारण में किया जाना चाहिए।
- चचच. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की निरंतर कार्यपद्धति के अनुसार निर्यात कीमत का समायोजन किया है।
- छछछ. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, यदि कुवैत में निर्यातक अपने स्वयं के पोर्ट और पाइप लाइन के पास स्थित हों तब वे अभी भी प्रशासन और अनुरक्षण के लिए कारखाना-गत के कुछ खर्च वहन करेंगे, जिसका समायोजन किया जाना अपेक्षित है।
- जजज. आर आई एल ने पूर्व में केवल सी एफ आर आधार पर कुवैत से वस्तुओं का आयात किया था और इसे यह मालूम नहीं है कि कहां निर्यातकों ने कोई अंतर्देशीय भाड़े अथवा पत्तन खर्च वहन किये हैं।

### छ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. धारा 9क (1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है : ,

क. एक्वेट पेट्रोकेमिकल कंपनी, कुवैत

ख. द कुवैत ओलफिन्स कंपनी के एस सी सी (टी के ओ सी), कुवैत



- ग. अरबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेमया) सउदी अरब
- घ. ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), सउदी अरब
- ङ. जुबेल यूनाटिड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड), सउदी अरब
- च. सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (सेबिक), सउदी अरब
- छ. सउदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
- ज. सउदी यांबू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट), सउदी अरब
- झ. राबिघ रेफिननिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी, सउदी अरब
- ञ. यांबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब), सउदी अरब
- ट. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, अमेरिका, यू एस ए
- ठ. नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, टेक्सास, यू एस ए
- ड. मित्सूबिशी कॉर्पोरेशन, जापान
- ढ. एस पी डी सी लिमिटेड, जापान
- ण. एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पेसिफिक, सिंगापुर
- त. मित्सूबिशी केमिकल एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
- थ. सेबिक एशिया पेसिफिक पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
- द. एमईग्लोबल इंटरनेशनल एफजेडई, यू ए ई
45. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है।
46. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि इस तथ्य के आधार पर की सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी के सभी उत्पादक अपने अपने देशों में सरकारों के स्वामित्व में होते हैं अथवा उनके द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, के आधार पर सउदी अरब और कुवैत में एम ई जी की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति मौजूद है, इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि सउदी अरब से उत्तर देने वाले सभी उत्पादक सउदी आरामको, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा सेबिक के माध्यम से नियंत्रित किये जाते हैं अथवा उनके स्वामित्व में होते हैं, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए भी साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि कुवैत के उत्तर देने वाले उत्पादकों पर स्वामित्व और नियंत्रण पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपनी के माध्यम से कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है के द्वारा की जाती है।
47. इसके अलावा घरेलू उद्योग ने यह भी आरोप लगाया है कि सउदी अरब में ईथेन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस, बूटेन आदिकी कीमत के संबंध में बाजार की विशेष स्थिति है क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स की कीमत सरकारी हस्तक्षेप के कारण तोड़-मोड़ कर पेश की जाती है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने इनपुट्स की आपूर्ति के बारे में सउदी अरब में कीमत के नियंत्रण पर विश्वास किया है।
48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाये गये कारक उत्पादन की लागत की अनुमति नहीं देते हैं और उसमें किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। इस पर जोर दिया गया है कि सउदी अरब में बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी उत्पादकों को इनपुट्स उपलब्ध है। विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने आगे इस तथ्य का दावा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर में पैनल की रिपोर्टों को उद्धृत किया है कि बाजार की विशेष स्थिति के बारे में निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब बाजार की विशेष स्थिति ऐसी हो कि यह निर्यात कीमत के साथ घरेलू बिक्री की उचित तुलना को रोकता हो।
49. यूरोपीय यूनियन – लागत समायोजन पद्धति, यूरोपीय यूनियन – बायोडीजल और यूक्रेन – अमोनियम नाइट्रेट के मामले में यह दावा करने के लिए निर्णय का भी संदर्भ लिया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर देने वाले उत्पादकों के रिकार्डों को संबद्ध देशों की सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रखा

जाता है और यह तर्कसंगत तरीके से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाता है। यह भी दर्शाया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उद्गम देश में उत्पादन की लागत तय करना अपेक्षित है।

50. इस मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से प्राधिकारी इसे आवश्यक पाते हैं कि इस मुद्दे को शासित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शामिल वास्तविक पहलुओं की जांच की जाये। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य मूल्य निर्यात करने वाले देश में खपत के लिए भेजे जाने की स्थिति में समान वस्तु के व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, जब बाजार की विशेष स्थिति के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना को अनुमति नहीं देता हो, सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया जा सकता है।

“(ग) के संबंध, किसी वस्तु के संबंध में “सामान्य मूल्य” का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

51. इस प्रकार पहला कदम इस तथ्य की जांच करना है कि क्या बाजार की विशेष स्थिति विशेष देश में हो और यदि वैसा है तब अगला कदम इस तथ्य की जांच करना है कि क्या बाजार की विशेष स्थिति का प्रभाव ऐसा है कि यह घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, रिकार्ड पर साक्ष्य दर्शाता है कि ईथेन, प्रोपेन, बूटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसे इनपुट्स की कीमतों को सउदी अरब की सरकार द्वारा तय किया जाता है। इस देश में इन इनपुट्स की आपूर्ति सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी, सउदी आरामको द्वारा नियंत्रित की जाती है। मंत्री परिषद के अनेक प्रस्तावों के अनुसरण में, इस साम्राज्य में ईथेन सहित कुछ हाइड्रोकार्बन की घरेलू बिक्री के लिए विनियमित कीमतें स्थापित की हैं। ईथेन की कीमत यू एस डॉलर 1.75 प्रति एमएमबीटीयू पर विनियमित किया गया है, जबकि प्राकृतिक गैस की कीमत यू एस डॉलर 1.25 प्रति एमएमबीटीयू पर तय किया गया है। प्रोपेन और बूटेन की कीमतें एफ ओ बी जापान कीमत से 20 प्रतिशत की छूट पर रखा गया है। अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने इसका खंडन भी नहीं किया है कि इनपुट्स की कीमतें इस तरीके से तय की गई हैं। हालांकि यह नोट किया जाता है कि सरकार का स्वामित्व अपने आप में बाजार की विशेष स्थिति को सिद्ध नहीं करता है।

52. इनपुट कीमतों को गलत तरीके से पेश करने के संबंध में, हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि 2015-16 में सुधार के बाद, ईथेन की कीमतें अन्य तेल समृद्ध देशों में कीमतों से तुलनीय हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि सउदी अरब में कीमतें प्राकृतिक लाभ के कारण कमतर हैं। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यही तथ्य कि ईथेन और अन्य इनपुट्स की कीमतें विनियमित हैं, यह बताता है कि उनका निर्धारण मुक्त बाजार शक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग ने सउदी अरब की व्यापार नीति की समीक्षा पर विश्वास किया है और यह उल्लेख किया है कि सउदी आरामको, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी को सरकार से मुआवजा प्राप्त करने का हक है यदि यह सरकार की कीमत निर्धारण संबंधी अधिदेशों का अनुपालन कर सउदी आरामको द्वारा परित्याग किये गये राजस्व की लागत के समतुल्य विनियमित कीमत पर घरेलू स्तर पर कच्चे तेल और कुछ परिष्कृत उत्पादों की बिक्री करता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा कीमतें विनियमित होती हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि कीमतें प्राकृतिक लाभ अथवा प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित कीमत के कारण कमतर हैं।

53. इस कारण से, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सउदी अरब में ईथेन, प्रोपेन, बूटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसे इनपुट्स की कीमतें सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित होती हैं और इस सीमा तक बाजार की विशिष्ट स्थिति सउदी अरब में मौजूद है। प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं। पैनल ने विशिष्ट रूप से यह माना है कि क्या इनपुट की कीमत में विरूपण बाजार की विशेष स्थिति के रूप में माना जा

सकता है। पैनल ने नोट किया कि "उचित तुलना को रोकने की क्षमता" "बाजार की विशेष स्थिति" बनने के लिए स्थिति के वास्ते आवश्यक अर्हता नहीं है।

"7.27 हमारे आकलन में, "बाजार की विशेष स्थिति" और "उचित तुलना की अनुमति देना" वाक्यांश सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में घरेलू बाजार बिक्री की उपेक्षा करने के लिए एक शर्त स्थापित करने के लिए एक साथ कार्य करता है। विशिष्ट तौर पर, यह कि घरेलू बिक्री "उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है" बाजार की विशेष स्थिति के कारण होना चाहिए। यदि घरेलू बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है, तब उन्हें बाजार की विशेष स्थिति और इसके प्रभावों चाहे वे जो भी हों, की मौजूदगी पर विचार किये बिना सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम यह पाते हैं कि कोई कार्यात्मक उद्देश्य "बाजार की विशेष स्थिति" के आशय को शामिल कर पूरा नहीं किया जाता है, कार्य का वह भाग जिसे आवश्यक रूप से "के कारण" और "उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है" शब्दांशों के द्वारा पूरा किया जायेगा। तदनुसार, हम पाते हैं कि "उचित तुलना रोकने में सक्षम" "बाजार की विशेष स्थिति" बनने के लिए स्थिति के वास्ते आवश्यक नहीं रहता है। वास्तव में, "बाजार की विशेष स्थिति" वाक्यांश में ऐसे अर्थ को शामिल करने से इस प्रावधान के कार्यचालन में बदलाव आयेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि "बाजार की विशेष स्थिति" पारिभाषित शब्द को सार में उचित तुलना करने की अनुमति नहीं देने के लिए घरेलू बिक्री करने की क्षमता से संबंधित विश्लेषण अपेक्षित नहीं है अथवा उस पर विचार करना अपेक्षित नहीं है। बल्कि अनुच्छेद 2.2 में "के कारण" और "उचित तुलना करने की अनुमति नहीं देना" पारिभाषिक शब्द पहले ही उचित रूप से और पर्याप्त रूप से इस कार्य को पूरा करता है।

"7.28 घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए मर्केडाइज का उत्पादन करने के लिए सदृश्य रूप से उपयोग किये जाने वाले कम कीमत के इनपुट का इण्डोनेशिया द्वारा प्रस्तुत किये गये विशिष्ट मुद्दे की चर्चा करते हुए हम पुनः तैयार नहीं हैं कि "बाजार की विशिष्ट स्थिति" स्थापित करने से एक स्पष्ट अर्हता को व्याख्या के मामले के रूप में माना जा सकता है। हम समझते हैं कि इण्डोनेशिया तर्क दे रहा है कि ऐसी स्थिति जो समान रूप से घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री के लिए मर्केडाइज का उत्पादन करने की लागत को प्रभावित करता है, आवश्यक रूप से दोनों बाजारों में बिक्री की कीमतों को समान रूप से प्रभावित करेगा और इस कारण से घरेलू बाजार की बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना की अनुमति देगा। सबसे पहले हम "बाजार की विशिष्ट स्थिति" पारिभाषिक शब्द में इस प्रस्तावित अर्थ को शामिल करने, जहां इस प्रकार के दृष्टिकोणों की उपर्युक्त विश्लेषण द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार "के कारण" और "उचित तुलना की अनुमति देना" पारिभाषिक शब्दों की तुलना में अधिक उपयुक्त तरीके से जांच की गई है, के लिए कोई औचित्यपूर्ण व्याख्यात्मक आधार नहीं पाते हैं। दूसरा, हम इसे मानी हुई बात के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन किये गये मर्केडाइज की लागत पर समान प्रभाव आवश्यक रूप से दोनों बाजारों में बिक्री की कीमतों को समान रूप से इस तरह से प्रभावित करेगा कि एक घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच उचित तुलना को रोका नहीं जायेगा। हम मानते हैं कि ये अभिकथन "बाजार की विशिष्ट स्थिति" पारिभाषिक शब्द की व्याख्या के लिए उपयुक्त कारक नहीं है बल्कि इस तथ्य के विश्लेषण के लिए बेहतर तरीके से उपयुक्त है कि क्या घरेलू बिक्री जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा पहचान की गई बाजार की विशिष्ट स्थिति के कारण उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है। हम "उचित तुलना की अनुमति देना" पारिभाषिक शब्द के आशय से संबंधित इण्डोनेशिया के तर्कों की अपनी जांच में इन बिंदुओं पर लौटेंगे।"

54. प्राधिकारी इस मामले के संबंध में कि इनपुट कीमत में बदलाव पर, चाहे निर्यात कीमत पर इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता हो, एक विशिष्ट बाजार स्थिति के रूप में विचार किया जा सकता है, नीचे उल्लिखित ए4 कॉपी पेपर के संबंध में ऑस्ट्रेलिया - पाटनरोधी उपाय के मामले में डब्ल्यू एच ओ पैनल के निर्णय को भी नोट करते हैं।

"7.57 उपरोक्त जांच परिणामों के आधार पर, हम यह निर्धारित करते हैं कि इंडोनेशिया ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि ए डी सी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के तहत ऑस्ट्रेलिया के दायित्वों के अनुसार कार्य नहीं किया है, जब यह पाया गया कि ए4 कॉपी पेपर के लिए इंडोनेशियाई घरेलू बाजार में एक "विशेष बाजार स्थिति" मौजूद है। इंडोनेशिया के तर्कों ने हमें इस बात के लिए विश्वस्त नहीं किया है कि एक घरेलू बाजार स्थिति, जिसके कारण निर्यातित और घरेलू रूप से बिक्री किए गए उत्पाद, दोनों के लिए उत्पादन हेतु प्रयुक्त इनपुट के लिए कमतर लागत आई है, उसे "विशेष बाजार स्थिति" से अनिवार्य रूप से बाहर किया गया है। न ही इसने हमें इस बात के लिए विश्वस्त किया है कि एक सामान्य मत के अनुसार, कोई स्थिति, जिसका कि घरेलू बाजार की बिक्रियों के अलावा निर्यात बिक्रियों पर कुछ प्रभाव है अथवा हो सकता है, उसे आवश्यक रूप से "विशेष बाजार स्थिति" से बाहर किया गया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि कम से कम कुछ मामलों में तो, घरेलू और निर्यात बिक्रियों पर प्रभाव के अंतर से एक उचित तुलना से बचा जा सकेगा। अंततः हमें यह भी विश्वास नहीं दिलाया गया है कि इस प्रावधान से संदर्भित "विशेष बाजार स्थिति" अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति से बाहर हो जाती है जो एक सब्सिडी अथवा अन्य सरकारी कार्रवाई से उत्पन्न हुई हो।"

55. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि इस बात को साबित करने के लिए रिकार्ड पर कोई भी साक्ष्य नहीं रखे गए हैं कि कच्ची सामग्री की कीमतें कुवैत में सरकार द्वारा निर्धारित या नियंत्रित की जाती हैं। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कुवैत में कोई विशेष बाजार स्थिति मौजूद नहीं है।
56. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि इथेन, प्रोपेन, बूटेन, प्राकृतिक गैस आदि जैसी इनपुट सामग्री की कीमतों पर सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव है और इस संबंध में सऊदी अरब में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, जिसमें अगले मामले की यह जांच की जानी है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव इतना है कि इससे घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना अनुमत नहीं है।
57. इस संबंध में, ऑस्ट्रेलिया कॉपी पेपर में पेनल ने यह भी पाया है कि :

*"7.73 जहां एक "विशेष बाजार स्थिति" मौजूद पाई गई है, वहां जांच प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू और निर्यात कीमत की "एक उचित तुलना" अनुमत है अथवा नहीं। हम यह विचार करते हैं कि "उचित तुलना" की भाषा में घरेलू और निर्यात कीमतों की तुलना के संबंध में एक आकलन अपेक्षित है।*

*7.74 "उचित" शब्द का सामान्य अर्थ "किसी विनिर्दिष्ट अथवा निहित प्रयोजन अथवा जरूरत के लिए उपयुक्त", परिस्थितियों अथवा स्थितियों के लिए उपयुक्त, . . . योग्य, अनुकूल; सही, ठीक" से है। "तुलना" शब्द को दो अथवा अधिक वस्तुओं की समानताओं और अंतर की तुलना करने अथवा नोट करने की "कार्रवाई अथवा कार्य" के रूप में समझा जा सकता है। "एक उचित तुलना की अनुमति" का कार्य यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू कीमत को पाटन की मौजूदगी की पहचान करने के लिए निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अथवा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 2.2 में यह निहित है कि "एक उचित तुलना" शब्द घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच तुलना के संदर्भ में है। इस प्रकार, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के दूसरे खंड के अंतर्गत एक जांच प्राधिकारी की जांच का प्रयोजन यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या सामान्य व्यापार प्रक्रिया में समान उत्पाद की घरेलू बिक्रियां निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत के बीच एक उचित तुलना की अनुमति नहीं है क्योंकि विशेष बाजार स्थिति अथवा कम मात्रा मौजूद है।*

*7.75 यद्यपि अनुच्छेद 2.2 में उचित तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच तुलना के संदर्भ में है, जो दो कीमतों के बीच एक स्पष्ट सांख्यिकीय तुलना है, जिससे इस संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता कि क्या घरेलू कीमत की निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना की जा सकती है। इसकी वजाय, घरेलू और निर्यात कीमतों की गुणात्मक तुलना करना आवश्यक है। "विशेष बाजार स्थिति के कारण" शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बात का गुणात्मक आकलन करने से कि घरेलू और निर्यात कीमतों की उचित तुलना की जा सकती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे विशेष बाजार स्थिति से तुलना पर प्रभाव पड़ता है। अतः हम यह विचार करते हैं कि "उचित तुलना" की मात्रा में घरेलू और निर्यात कीमतों के संबंध में विशेष बाजार स्थिति के संगत प्रभाव का आकलन अपेक्षित है। हम समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, इस आकलन के फलस्वरूप, जांच प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विशेष बाजार स्थिति का निर्यात कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं है।*

*7.76 इस आकलन को देखते हुए कि क्या "एक उचित तुलना" विशेष बाजार स्थिति के कारण से अनुमत नहीं है, हम यह नोट करते हैं कि विश्लेषण का बल इस बात पर है कि क्या विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव इतना है कि जांच की जा रही घरेलू बिक्री कीमतों और निर्यात कीमतों के बीच एक उचित तुलना अनुमत नहीं है। दूसरे शब्दों में, जांच प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए घरेलू बिक्रियों की जांच करनी चाहिए कि क्या दो कीमतों के बीच एक उचित तुलना, विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव के बावजूद अनुमत है। प्रश्न यह निर्धारण करने का है कि क्या एक तुलनात्मक घरेलू कीमत है (अर्थात् जीएटीटी 1994 अनुच्छेद VI :1 (ख) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार यदि समान उत्पाद के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलना कीमत है, जब निर्यातक देश में खपत के लिए भेजा जाता है। वह निर्धारण तथ्यात्मक है और निर्यात कीमत, यदि कोई हो, पर प्रभाव के संबंध में घरेलू कीमत पर विशेष बाजार स्थिति के प्रभाव का आकलन करने वाले जांच प्राधिकारी द्वारा मामला – दर – मामला आधार पर निर्धारण किया जा ना चाहिए। यह संगत आकलन आवश्यक है क्योंकि हमने निम्नलिखित उप धारा में स्पष्ट किया है, जबकि घरेलू और निर्यात कीमतों, दोनों पर एक विशेष बाजार स्थिति का प्रभाव हो सकता है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि घरेलू और निर्यात कीमतों का प्रभाव समान होगा। यदि जांच प्राधिकारी ने यह पाया है कि क्योंकि एक विशेष बाजार स्थिति होने के कारण, घरेलू कीमत और निर्यात कीमत की एक उचित तुलना की अनुमति नहीं है, इसके लिए इसके निष्कर्ष का एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।"*

58. प्राधिकारी ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण इनपुट की कमतर कीमत के कारण सऊदी अरब में विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की लागत, घरेलू बिक्री कीमत और विचाराधीन उत्पाद की

निर्यात कीमत के संबंध में रिकार्ड पर सभी उपलब्ध साक्ष्य की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की कमतर कीमत के कारण विशेष बाजार स्थिति के परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री कीमत कम होगी और साथ ही निर्यात कीमत भी कम होगी, जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए। यदि कच्ची सामग्री की कीमतें कमतर हैं, तो इसके परिणामस्वरूप इस बात के बावजूद जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए सामान्यतः अंतिम उत्पाद की कमतर बिक्री कीमत होगी, कि क्या ऐसे अंतिम उत्पाद घरेलू बाजार या निर्यात बाजार के लिए हैं। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एस ए बी आई सी ग्रुप में, जिसने कि इस जांच में भाग लिया है, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों में से उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त तीसरे देश के लिए उनकी निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है न कि सउदी अरब में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर। अतः घरेलू बिक्री को प्रभावित करने वाली विशेष बाजार स्थिति का मामला और उससे पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच तुलना को खराब करने का अधिक संबंध नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि सउदी अरब में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति का एस ए बी आई सी ग्रुप में एक उत्पाद के लिए विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत पर विशेष प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर इस तरीके से सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है कि घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना अनुमत नहीं है।

59. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत और कच्ची सामग्री की वास्तविक लागत को अस्वीकार करने का रिकार्ड पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

### छ. 3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

#### कुवैत

इक्वेत पैट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी. ("इक्वेत") द कुवैत ओलेफिंस कंपनी के. एस. सी. सी. ("टी के ओ सी") और एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफ जेड ई ("एमई ग्लोबल") (साझा तौर पर "इक्वेत ग्रुप" के रूप में कहा गया है)

#### सामान्य मूल्य

60. इक्वेत पैट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी. ("इक्वेत") और द कुवैत ओलेफिंस कंपनी के. एस. सी. सी. ("टी के ओ सी") कुवैत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। इक्वेत और टी के ओ सी ने भारत और अन्य तीसरे देशों को एक संयुक्त अरब अमीरात स्थिति एक संगत निर्यातक, एमई ग्लोबल इंटरनेशनल एफ जेड ई ("एमई ग्लोबल") के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि इक्वेत और टी के ओ सी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कोई बिक्रियां नहीं की हैं। अतः कुवैत में घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है।

61. सीमा प्रशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के तहत यह प्रावधान है :

*किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" से तात्पर्य है -*

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

*(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा*

*(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।*

*परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

62. चूंकि घरेलू बाजार में इक्वेट ग्रुप द्वारा पीयूसी की बिक्री (भारत को निर्यात मात्रा के 5% से कम) नगण्य है, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत प्रदान की गई अन्य अनुमेय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे आए हैं। तदनुसार, दोनों उत्पादकों से अनुरोध किया गया है कि वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) के स्पष्टीकरण (ग) की क्लॉज (ii) (क) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए अन्य देशों को अपनी निर्यात बिक्रियों के सौदा-वार व्यौरा प्रदान करें। अन्य देशों को प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए निर्यातों से सौदा-वार आकड़ों की एक उपयुक्त अन्य देश का चयन करने के लिए जांच की गई है। इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश न होने के कारण या तो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में या पाटनरोधी नियमावली में, उस देश में उत्पाद विकास की स्थिति और आयातों की मात्रा को उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए मार्गदर्शी मानक के रूप में लिया गया है। यह नोट किया गया है कि इक्वेट ग्रुप द्वारा निर्यातों की अधिकतम मात्रा चीन जन. गण. को है। प्राधिकारी चीन जन. गण. को एक उपयुक्त अन्य देश के रूप में नहीं मानते क्योंकि (i) चीन बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन नहीं करता है और (ii) चीन जन. गण. के लिए निर्यात की मात्रा भारत को निर्यात की मात्रा से काफी अधिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाकिस्तान को निर्यात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात की मात्रा की तुलना में सब से नजदीक रेंज में है। अतः पाकिस्तान को उपयुक्त अन्य देश के रूप में चुना गया है और इक्वेट ग्रुप के पाकिस्तान के निर्यातों को इक्वेट ग्रुप के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चार में लिया गया है।
63. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में पाकिस्तान को लाभ अर्जक निर्यात बिक्रियों के सौदों का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी ने एमई ग्लोबल की बिक्री कीमतों पर विचार किया है और कारखाना बाह्य व्ययों, एस जी ए व्ययों तथा अन्य मदों के संबंध में उपयुक्त समायोजन किया है, जिससे कि उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य कीमतें निकाली जा सकें। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान को निर्यातों के 80 प्रतिशत से अधिक सौदे लाभकारी हैं। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के दौरान पाकिस्तान को किए गए सभी निर्यात सौदों पर विचार किया है।
64. इक्वेट ग्रुप ने शिपिंग लागत, कमीशन, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और ऋण बीमा के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इक्वेट ग्रुप द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार इक्वेट ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### निर्यात कीमत

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इक्वेट ग्रुप ने निम्नलिखित व्यापार माध्यमों के ज़रिए कुवैत के मूल के \*\*\* मी. ट. विचाराधीन उत्पाद की कुल मात्रा का जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया है :

व्यापार माध्यम	मात्रा	कुल निर्यात के अंश का %	व्यापार माध्यम की स्थिति
इक्वेट/ टी के ओ सी □ एमई ग्लोबल □ भारत के ग्राहक	***	*** %	सहयोगी
इक्वेट/ टी के ओ सी □ एमई ग्लोबल □ मित्सुबिसी कॉर्पोरेशन □ भारत के ग्राहक	***	*** %	सहयोगी
इक्वेट/ टी के ओ सी □ एमई ग्लोबल □ ग्लोब ट्रेड वेल □ भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
इक्वेट/ टी के ओ सी □ एमई ग्लोबल □ सी पी एफ पेकेजिंग □ भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
इक्वेट/ टी के ओ सी □ एमई ग्लोबल □ समिका ग्लोब □ भारत के ग्राहक	***	*** %	असहयोगी
<b>कुल</b>	<b>***</b>		

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को कुल निर्यातों के \*\*\* प्रतिशत से अधिक निर्यात करने में शामिल कंपनियों ने संगत सूचना प्रदान कर दी है और प्राधिकारी के समक्ष सहयोगी हैं। इक्वेत ग्रुप द्वारा प्रदान की गई सूचना पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। इक्वेत ग्रुप ने शिपिंग लागत, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने एस जी ए व्ययों एमई ग्लोबल के लाभ (यदि कोई हैं) के लिए भी समायोजन किए हैं ताकि उत्पादक के स्तर पर कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके।
67. भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में, जिनके के लिए प्राधिकारी के समक्ष पूरी निर्यात श्रृंखला ने भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, इक्वेत ग्रुप द्वारा भारत को किए गए समग्र निर्यातों के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **कुवैत से सभी अन्य उत्पादक**

68. कुवैत में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों के लिए, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादक के डेटा को शामिल करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **सउदी अरब**

अरबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेम्या), ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (एस एच ए आर क्यू), जुबेल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड), सउदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी (सउदी कयान), सउदी यान्बू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) और यान्बू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब) [सम्मिलित रूप से "सेबिक ग्रुप उत्पादकों" के रूप में उल्लिखित किया गया है] के साथ साथ संगत व्यापारी, सउदी अरब इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (सेबिक) और सेबिक एशिया पैरसिफिक प्रा. लिमि. (साप्पल)

#### **सामान्य मूल्य**

69. अरबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रोकेम्या), ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी (सार्क्यू), जुबेल यूनाइटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी (यूनाइटेड) सउदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी (सउदी कयान), सउदी यान्बू पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानपेट) तथा यान्बू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी (यानसब) सेबिक ग्रुप के अंदर सउदी अरब में विचाराधीन उत्पाद की संगत उत्पादक कंपनियां हैं। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, केवल सार्क्यू और यानपेट में सउदी अरब के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां की हैं। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां संगत व्यापारी, सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (सेबिक) को की गई थी, जिसने असंबद्ध घरेलू ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। अतः प्राधिकारी सार्क्यू और यानपेट के लिए जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उनकी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाही की है।
70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सार्क्यू और यानपेट की घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। प्राधिकारी ने सार्क्यू और यानपेट के लिए संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जक घरेलू बिक्री सौदों के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाता है कि यानपेट की घरेलू बिक्रियों का 80 प्रतिशत से अधिक लाभप्रद है और इसीलिए यानपेट की सभी घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में ली गई हैं। सार्क्यू के मामले में, कोई लाभप्रद बिक्रियां नहीं हैं। अतः सार्क्यू के लिए अपनी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है।
71. सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के तहत प्रावधान इस प्रकार है :
- किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" से तात्पर्य है -*
- (iii) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (iv) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

72. चूंकि पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड, सऊदी कयान, यानसब द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कोई घरेलू बिक्रियां नहीं हैं और साक्यू द्वारा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्रियां नहीं हैं, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किसी अन्य अनुमत प्रवृत्ति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाही की है। तदनुसार, इन पांच उत्पादकों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के क्लॉज (ii) (क) के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए अन्य देशों को निर्यात बिक्रियों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इन पांच उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए, अन्य देशों के निर्यातों के सौदा-वार डेटा की एक उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए जांच की गई है। इस संबंध में किसी विशिष्ट दिशानिर्देश के अभाव में, या तो डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में या पाटनरोधी नियमावली में, उस देश के उत्पाद विकास की स्थिति और आयातों की मात्रा को उपयुक्त अन्य देश के चयन के लिए मार्गदर्शी मानक के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकारी ने उपयुक्त अन्य देश के निर्धारण के लिए सभी पांच उत्पादकों के लिए अन्य देशों को निर्यात पर विचार किया है। यह नोट किया गया है कि इन उत्पादकों द्वारा निर्यातों की सबसे अधिक मात्रा चीन जन. गण. के लिए है। प्राधिकारी चीन. गण. को एक उपयुक्त अन्य देश के रूप में नहीं मानते क्योंकि (i) चीन बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन नहीं करता और (ii) चीन जन. गण. को निर्यात की मात्रा भारत को निर्यात की मात्रा से काफी अधिक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन उत्पादकों को निर्यात मात्रा मिलाकर इंडोनेशिया को, सेबिक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात मात्रा की तुलना में नजदीकी रेंज में है। अतः इंडोनेशिया को उपयुक्त अन्य देश के रूप में चुना गया है और पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड और सऊदी अरब द्वारा इंडोनेशिया को किए गए निर्यातों पर इन तीन उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि यानसब और साक्यू ने जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया को निर्यात नहीं किया है।
73. पैट्रोकेम्या, यूनाइटेड और सऊदी कयान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार जांच की प्रक्रिया आयोजित की है ताकि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत के संदर्भ में इंडोनेशिया के लिए लाभ अर्जक निर्यात बिक्री सौदों का निर्धारण हो सके। यदि लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इंडोनेशिया को सभी निर्यात सौदों पर विचार किया है और यदि जहां लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां इंडोनेशिया को केवल लाभकारी निर्यात बिक्री सौदों को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया गया है।
74. यह नोट किया जाता है कि यूनाइटेड के इंडोनेशिया को लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, और पैट्रोकेम्या तथा सऊदी कयान के इंडोनेशिया को लाभ अर्जक सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने यूनाइटेड के लिए इंडोनेशिया के सभी निर्यात सौदों और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पैट्रोकेम्या और सऊदी कयान के लिए इंडोनेशिया के केवल लाभ अर्जक निर्यात सौदों पर विचार किया है।
75. जहां तक अन्य दो उत्पादकों, यानसब और साक्यू का संबंध है, प्राधिकारी ने टर्की को उपयुक्त अन्य तीसरे देश के रूप में चुना है क्योंकि इन दोनों उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया को कोई निर्यात नहीं किया है और टर्की को निर्यात निर्यात मात्रा की तुलना में निकटतम सीमा में है। यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान भारत के लिए तुर्की में साक्यू और यानसब के लिए लाभ अर्जित करने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने साक्यू और यानसब के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तुर्की को सभी निर्यात लेनदेन पर विचार किया है।
76. सभी उत्पादकों ने लाजिस्टिक्स व्ययों और ऋण लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। उपरोक्त उत्पादकों के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का तदनुसार निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।



**निर्यात कीमत**

77. प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, पैट्रोकेमिया, साक्यू, यूनाइटेड, सऊदी कायान और यानपेट ने संगत व्यापारियों सेबिक, एस पी डी सी लिमि. ("एस पी डी सी") और एक्सोनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ("एक्सोन मोबिल") के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यानसब ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया है। सेबिक ने संबद्ध वस्तुओं की आगे अन्य संगत व्यापारी सेबिक एशिया पैसिफिक प्रा. लिमि. ("साप्ल") को पुनः बिक्री की है, जिसने संबद्ध वस्तुओं की आगे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री की है। एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल ने संबद्ध वस्तुएं आगे मित्सुबिशी केमिकल एशिया पैसिफिक लिमि. ("एम सी ए पी") और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन को बिक्री की है, जिसने अंततः संगत और असंगत भारतीय ग्राहकों को बिक्री की है।
78. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि सेबिक ग्राहकों से आदेश प्राप्त करता है और उत्पादकों को डिलीवरी प्रभावी बनाने के लिए निदेश देता है। उत्पादक एक अनंतिम कीमत पर सेबिक के संबंध में एक इनवॉयस निकालते हैं। सेबिक सेप्ल के संबंध में एक इनवॉयस निकालता है और सेप्ल भारत में वास्तविक ग्राहक के संबंध में इनवॉयस निकालता है। बिक्रियों के बाद कीमत में संशोधन डेबिट और क्रेडिट नोट के ज़रिए समायोजित किए जाते हैं। सेबिक बाजार शुल्क और सभी डिलीवरी संबंधी खर्चों की ग्राहक से ली गई वास्तविक कीमत से कटौती करता है और शेष राशि उत्पादकों को भुगतान कर दी जाती है। उत्पादक क्रेडिट अवधि के बाद सेबिक से निवल भुगतान वापस प्राप्त करते हैं और कुछ खर्चों की कटौती भी की जाती है। यह जांच की गई थी कि क्या सेबिक द्वारा ली गई विपणन फीस और सेबिक द्वारा रखे गए डिलीवरी संबंधी खर्च सभी लाभों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होते हैं और उचित लाभ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल के ज़रिए किए गए निर्यातों के लिए भी अपनाई जाती है। यह नोट किया गया था कि सेबिक ने सऊदी कायान और साक्यू द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यातों के संबंध में हानि हुई है। उत्पादकों ने स्वदेशी मालभाड़ा (जहां कहीं भी लागू है), हैंडलिंग और क्रेडिट लागत, जो सेबिक, एस पी डी सी और एक्सोन मोबिल से वापस प्राप्त हुई, के संबंध में समायोजकों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति प्रदान की है तथा साथ ही, सेबिक द्वारा हुई हानियों के लिए (सऊदी कायान और साक्यू द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में) अतिरिक्त समायोजन भी किए हैं ताकि उत्पादकों के लिए निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकाली जा सके। तदनुसार, सेबिक ग्रुप प्रोज़्यूसर्स द्वारा भारत को समग्र निर्यातों के लिए भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**राबिघ रिफाइनिंग एंड पैट्रोकेमिकल कंपनी ("पैट्रो राबिघ")****पैट्रो राबिघ के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

79. पैट्रो राबिघ के लिए दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैट्रो राबिघ सऊदी अरब में एम ई जी का एक उत्पादक है। पैट्रो राबिघ के जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी पैट्रो राबिघ के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है।
80. पैट्रो राबिघ द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैट्रो राबिघ ने जांच की अवधि के दौरान सऊदी अरब के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां नहीं की हैं। तथापि, पैट्रो राबिघ ने अन्य देश के बाजारों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
81. पैट्रो राबिघ ने यह अनुरोध किया है कि यहां तक कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वर्ष 2017 के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। पैट्रो राबिघ द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के बाद दाखिल करने अपने अनुरोधों में यह दावा किया गया है कि वे सेबिक से संबद्ध हैं। पैट्रो राबिघ ने यह भी अनुरोध किया है कि सेबिक ग्रुप प्रोज़्यूसर्स द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन पैट्रो राबिघ के लिए भी अपनाया जाना चाहिए और तदनुसार, सेबिक ग्रुप प्रोज़्यूसर्स के लिए निर्धारित व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क दर, यदि कोई है, पैट्रो राबिघ के लिए भी प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसएबीआईसी/एसएबीआईसी समूह के उत्पादकों के लिए पैट्रो राबिघ के लिए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क दर का विस्तार करने की आवश्यकता के संबंध में इस मुद्दे की जांच करने के लिए प्राधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। और इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है।

**सऊदी अरब से सभी अन्य उत्पादक**

82. सऊदी अरब से सभी अन्य असहयोगी उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादों के डेटा को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**मैसर्स नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका (उत्पादक/ निर्यातक), मैसर्स नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास (उत्पादक/ घरेलू विक्रेता) एवं मैसर्स मित्सुबिशी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (ट्रेडर)**

**सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन**

83. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका यू एस ए से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, कंपनी के पास संबद्ध वस्तुओं की कोई घरेलू विक्रियां नहीं थी। यह भी पाया गया है कि नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास, जो कि नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका की एक संगत कंपनी है, भी यू एस ए में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और जांच की अवधि के दौरान, कंपनी ने केवल घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।
84. प्राधिकारी ने दोनों कंपनियों को उनके प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, दोनों ही कंपनियां सत्यापन कार्यवाही के दौरान निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत की गई उत्पादन की लागत को साबित करने में विफल रही हैं। इसे देखते हुए, प्राधिकारी नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका और नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका और नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, टेक्सास तथा यू एस ए से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए उपलब्ध सूचना के तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का निर्णय लेते हैं और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**पाटन मार्जिन तालिका**

85. कुवैत, सऊदी अरब और यू एस ए से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

**पाटन मार्जिन तालिका**

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यू एस डॉ./ मी. ट.)	एन ई पी (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	रेंज
<b>कुवैत</b>					
इक्विट पेट्रोकेमिकल कंपनी के. एस. सी. सी.	***	***	***	***%	0-10
द कुवैत ओलिफिन्स कंपनी के.एस.सी.सी.	***	***	***	***%	0-10
अन्य सभी	***	***	***	***%	0-10
<b>सऊदी अरब</b>					
अरेबियन पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
इस्टर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
जुबेल यूनाटेड पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
सऊदी यानबू पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20
यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी	***	***	***	***%	10-20

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यू एस डॉ./ मी. ट.)	एन ई पी (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉ./ मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	रेंज
अन्य सभी	***	***	***	***%	10-20
<b>यू एस ए</b>					
कोई उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***%	10-20

## ज. क्षति और कारणात्मक संबंध में मूल्यांकन

### ज. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति तथा कथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है।
- ख. “आवेदक को वास्तविक क्षति की आशंका” का आरोप स्वयं ही यह प्रदान करता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं है।
- ग. क्षति की स्थापना के लिए, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर आयातों की मात्रा में वृद्धि और प्रतिकूल प्रभाव, दोनों मापदंडों की पूर्ति की जानी आवश्यक है। तथापि, वर्तमान जांच में कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- घ. क्षति के परिणाम केवल तभी दर्ज किए जा सकते हैं, जब अनुबंध-II के पैरा (ii) और (iv), दोनों के तहत शर्तें पूरी हो, जो कि वर्तमान जांच में नहीं है, क्योंकि दोनों पैरा के तहत शर्तों पूरी नहीं हैं।
- ङ. अनुबंध-II के पैरा (ii) में प्रयुक्त शब्द “महत्वपूर्ण” से तात्पर्य है कि आयातों की मात्रा में मात्र वृद्धि अथवा नगण्य कीमत कटौती पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है।
- च. प्राधिकारी को वास्तविक क्षति के परिणाम तक पहुंचने से पूर्व पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध सभी कारकों की जांच करनी चाहिए, जैसा कि अपील निकाय और थाइलैंड में पैनल – एच – बीम्स द्वारा पाया गया है। जब अनेक कारकों में सकारात्मक बदलाव है, तो क्षति के जांच परिणाम में जांच प्राधिकारियों से एक अनिवार्य स्पष्टीकरण आवश्यक होगा।
- छ. सऊदी अरब से आयातों का यू एस ए और कुवैत से आयातों के साथ संचित रूप से आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि सऊदी अरब से पाटन के कोई साक्ष्य नहीं हैं, यू एस ए से आयातों में वृद्धि हुई है, जबकि कुवैत और सऊदी अरब से आयातों में गिरावट आई है और सऊदी अरब से आयात कीमतों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हुई जबकि यू एस ए और कुवैत से आयात कीमतों में कटौती हुई।
- ज. नान या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019-20 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान भारत को एम ई जी का निर्यात करना शुरू किया था। इसके अलावा, भारत को नान या द्वारा निर्यातों में 12 प्रतिशत तक कमी हुई, जबकि अन्य देशों को निर्यातों में 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, नान या प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, अमेरिका जांच की अवधि के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर प्रचालन कर रहा है और घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान 112 प्रतिशत पर प्रचालन कर रहा है।
- झ. आयातों की मात्रा में सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध आयातों में गिरावट आई है।
- ञ. मांग में वृद्धि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा सभी स्रोतों से आयातों को हटाकर प्राप्त की गई है।
- ट. आयातों में गिरावट कोविड-19 के कारण ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आयातों में गिरावट मांग में गिरावट और घरेलू उद्योग की बिक्री से अधिक है।

- ठ. घरेलू उद्योग ने एक संभावित मांग विश्लेषण का प्रस्ताव किया है, जो अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर है। इसने बिना किसी आधार के 6 प्रतिशत तक मांग में वृद्धि की संभावना जताई है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित मांग – आपूर्ति अंतराल के संबंध में आयात ऐसी खपत के आधार पर है, जिस पर घरेलू उत्पादक पूरी क्षमता के साथ प्रचालन कर रहे हैं और भारतीय प्रयोक्ता केवल घरेलू रूप से उत्पादित एम ई जी की खरीद कर रहे हैं। ऐसी संकल्पना सामान्य आर्थिक सिद्धांतों के विपरीत है और घरेलू उद्योग के संरक्षणवादी हित को दर्शाती है।
- ढ. घरेलू उद्योग के मूल दावे के अनुसार, सऊदी अरब से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है और इस प्रकार ऐसे आयातों को चीन, इरान और कतर से लिनियर अल्काइल बेंजीन में, प्राधिकारी की प्रक्रिया से अनुसार जांच से बाहर किया जाना चाहिए।
- ण. कुवैत से आयातों के कारण कोई महत्वपूर्ण कीमत कटौती नहीं हो रही है और घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह प्रस्तुत किया है कि कीमत कटौती मामूली है।
- त. बिक्री कीमत पहुंच कीमत के समान हो गई है और संबद्ध आयातों के लिए कोई भी कीमत ह्रास अथवा मंदी नहीं है।
- थ. घरेलू उद्योग जब कीमत कटौती अधिक थी, तो अधिक लाभ कमा रहा था और इस प्रकार, लाभों में नुकसान केवल अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित करने के कारण ब्याज में वृद्धि, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन लागत के कारण है।
- द. आवेदकों ने पहुंच कीमत में गिरावट के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, क्योंकि पहुंच कीमत इथाइलीन की कीमत में गिरावट से अधिक है।
- ध. घरेलू उद्योग के निष्पादन में, स्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और उत्पादकता के संबंध में सुधार आया है।
- न. कुवैत से आयातों का बाजार अंश आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में स्थिर रहा है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में 13 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- प. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि एम ई जी बाजार में सुधार आया है।
- फ. वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में माल सूची में सुधार आया है।
- ब. घरेलू उद्योग की कर्मचारी संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मापदंडों के संबंध में कोई क्षति नहीं है।
- भ. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वह अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में समर्थ रहा है।
- म. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2018-20 और 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है, जो कि विगत जांच में जांच की अवधि का हिस्सा थे।
- य. आर आई एल ने जांच की अवधि समाप्त होने के बाद कीमतों में 52 प्रतिशत और उत्पाद के लिए मार्जिन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी है।
- कक. कम लाभप्रदता अधिक मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय तथा वित्त लागत के कारण से है।
- खख. इथाइलीन की उत्पादन की वास्तविक लागत पर, क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए। चूंकि इथाइलीन का कैप्टिव रूप से उत्पादन होता है, अतः उत्पादक की लागत सामान्य की जानी चाहिए।
- गग. औसत पूंजी, नियोजित की प्रवृत्ति मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्ययों में इतना अधिक अंतर सहायक नहीं है।
- घघ. आवेदकों ने 'अपने हाल ही के संयंत्रों के लिए बिक्रियों की सामान्य लागत' की प्रतिशतता के रूप में निवेश पर प्रतिफल की गणना की है क्योंकि पुराने संयंत्रों का, अनुबंध-III के पैरा 4 (viii) के उल्लंघन में मूल्यह्रास हुआ है, जिसके कारण क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।
- डड. घरेलू उद्योग वित्तीय लागत, डिस्काउंट, प्रशासनिक व्ययों, बिक्री और वितरण लागत को अलग करने और उसके बाद लागतों को सामान्य करने के लिए विगत वर्षों के उत्पादन और बिक्रियों के अनुपात पर विचार करने के अपने अनुरोध के लिए कानूनी आधार प्रदान करने में विफल रहा है।

- चच. घरेलू उद्योग के यह तर्क कि मूल्यह्रास वाले संयंत्रों पर प्रतिफल की अनुमति नए संयंत्र पर अनुमत प्रतिफल के बैचमार्क के आधार पर प्रदान की जाए, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुबंध-III में यह प्रावधान है कि नियत परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नियोजित पूंजी की गणना में विचार नहीं किया जाना है।
- छछ. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के 22 प्रतिशत के प्रतिफल पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।
- जज. घरेलू उद्योग को इतना अधिक प्रतिफल इस वैश्विक मंदी के दौरान अनुमत करना पूरी तरह से गलत है और ऐसा किसी भी क्षेत्र में कभी नहीं सुनने में आया।
- झझ. मात्र इस कारण से कि डी जी टी आर कई वर्षों से 22 प्रतिशत प्रतिफल अपना रहा है, यह तर्कसंगत दावा करने के लिए आधार नहीं है।
- ञञ. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के आधार पर 22 प्रतिशत का प्रतिफल है। तथापि, विभिन्न कारक जैसे कारपोरेट कर दर और व्याज की दर तब से बदली नहीं गई है।
- टट. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल तर्कसंगत होने के मामले की माननीय सेस्टेट द्वारा ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में और ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाया निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि 22 प्रतिशत प्रतिफल अपनाने से क्षति निर्धारण का मामला छिप गया है।
- ठठ. यूरोपीय संघ क्षति अवधि के भाग के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल पर विचार करने की प्रक्रिया अपनाता है जिसमें पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव था। ई एफ एम ए बनाम काउंसिल के मामले में, न्यायालय ने यह पाया कि लक्ष्य कीमत लाभ मार्जिन के साथ सीमित रखी जाए, जिसे उद्योग क्षति के अभाव में उचित गणना पर सकेंगे।
- डड. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा खर्च की गई वास्तविक वित्त लागत का आकलन करना और यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की तरह, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की तुलना में तर्कसंगत व्याज की दर का उद्देश्यपरक आकलन करना आवश्यक है।
- ढढ. चूंकि आर आई एल एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड उत्पादक है, उसे अपने वास्तविक निष्पादन की एक सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है कि समग्र मूल्य श्रृंखला में संसाधनों के नियतन का आकलन लिया जाए क्योंकि उसे अधिक लाभकारी उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री आबंटित की हो सकती है।
- णण. प्राधिकारी और घरेलू उद्योग से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आर आई एल द्वारा दिए गए विवरण पर क्षति और कारणात्मक संबंध में विश्लेषण पर प्रभाव को स्पष्ट करें कि उनके पास “एम ई जी का उत्पादन न करने” का विकल्प नहीं है।
- तत. घरेलू उद्योग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे बाजार कीमत या लागत पर कैप्टिव कच्ची सामग्री हस्तांतरित करते हैं।
- थथ. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एम ई जी के निर्माण के लिए अपनाई गई विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण दोनों कंपनियों के क्षति मापदंड और क्षति मार्जिन को इकट्ठा नहीं किया जा सकता।
- दद. वास्तविक क्षति और वास्तविक की आशंका, दोनों का आरोप एक ही जांच में नहीं किया जा सकता। पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 के तहत, प्राधिकारी वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति की आशंका के बारे में अपने जांच परिणाम प्रस्तुत करेंगे। पंजाब राज्य बनाम राम सिंह भूतपूर्व सिपाही मामले में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामलों ने यह पाया गया है कि शब्द “अथवा” को शब्द “और” के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, जो कि योजक और स्वतंत्र है। इसके अलावा, प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल में यह प्रावधान है कि क्षति की आशंका का आरोप तब भी लगाया जा सकता है, जब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई हो।
- धध. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति की आशंका नहीं है क्योंकि निर्यातकों के पास भारत को निर्यातों के लिए आसानी से निपटान किए जाने योग्य क्षमता नहीं है और एम ई जी की कीमतें जांच की अवधि समाप्त होने के बाद से काफी बढ़ गई है।

- नन. घरेलू उद्योग का यह दावा कि सऊदी अरब में एम ई जी के लिए कोई मांग मौजूद नहीं है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के प्रतिकूल है।
- पप. आवेदकों के अनुरोध से प्रतिकूल, मध्य पूर्व में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग एशिया पैसिफिक क्षेत्र से कम है और चीन वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, जिसके कारण चीन के उत्पादक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
- फफ. किसी उत्पादक को प्राकृतिक और भौगोलिक फायदा घरेलू उद्योग को क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता।
- बब. यह तर्क कि संबद्ध देशों में आसानी से निपटान होने योग्य क्षमताएं हैं और वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, गलत है क्योंकि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जबकि कीमतों में जांच की अवधि समाप्त होने के बाद से वृद्धि हुई है।
- भभ. सऊदी अरब में प्रतिवादी उत्पादक 98 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं और इसलिए उनके पास कोई अप्रयुक्त क्षमताएं शेष नहीं हैं।
- मम. जहां एक ओर वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, वहां वैश्विक खपत में भी वृद्धि होने की संभावना है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए जर्नल से स्पष्ट है।
- यय. मात्र एक कारक की स्थापना होने से वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- ककक. घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण कैप्टिव खपत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उसे अलग किया जाना चाहिए।
- खखख. कैप्टिव खपत वाले उत्पाद के हिस्से में आलोक इंडस्ट्रीज, जे बी एफ इंडस्ट्रीज और शुभलक्ष्मी पॉलिस्टर लिए का आर आई एल द्वारा अधिग्रहण होने के साथ ही हाल की अवधि में वृद्धि हुई है। आर आई एल के पास अब अपने कैप्टिव उत्पादन की 70 प्रतिशत खपत होती है, जो बाजार में एम ई जी की उपलब्धता को और भी कम कर देगा।
- गगग. क्षमता वर्धन में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के कारण मूल्यहास में संभावित वृद्धि के चलते लाभों में गिरावट आ रही है। घरेलू उद्योग ने भी कहा है कि उसके कुछ संयंत्रों का मूल्यहास हो रहा है।
- घघघ. आर आई एल इथेन का आयात करता है, जिसे यातायात के प्रयोजन के लिए संकुचित किए जाने की जरूरत है, जिससे यातायात लागतें अत्यधिक हो रही हैं। उसके प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए।
- ङङङ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018-19 में, जबकि कीमत कटौती नकारात्मक थी, लाभ खो दिया, जिसका तात्पर्य हुआ कि आयात की कीमतों का आर आई एल की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं है।
- चचच. रिलायंस को हुई क्षति स्वयं की बढ़ाई गई है, क्योंकि वह अत्यधिक मालभाड़ा और बीमा लागतों के खर्च करके इथेन का आयात कर रहा है, जिससे सऊदी उत्पादकों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत नुकसान हुआ है, जिन्हें ऐसी लागतों पर खर्च करना नहीं होता। इसके अलावा, इथेन की तुलना में, इथाइलीन के उत्पादन के लिए नेप्था का उपयोग भी सऊदी अरब के उत्पादकों की तुलना में काफी लागत नुकसान लाता है।
- छछछ. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को स्टोर करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप वह क्षति का सामना कर रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, अतः यह अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए इथाइलीन का प्रयोग कर सकता है और निरंतर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने और कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं है।
- जजज. आर आई एल शेल गैस परिसंपत्तियों के लिए यू एस में एन्साइन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ संयुक्त उद्यम था। इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आर आई एल के प्रबंधन ने एक अनुचित आकलन किया है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा असाधारण नुकसान क्षति रहित कीमत की गणना के लिए अलग किया जाए।
- झझझ. आर आई एल को क्षति इस कारण से है कि जब देश में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या हो रही थी, तो आर आई एल ने 1000 मी. टन ऑक्सीजन प्रदान की, जो कि एम ई जी की एक कच्ची सामग्री है। ऑक्सीजन को अन्यत्र प्रयोग करने से कच्ची सामग्री के अभाव के कारण एम ई जी का लाभ प्रभावित हुआ।
- ञञञ. आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस लाभों में अच्छी आपूर्ति वाले बाजारों में एम ई जी की मांग कमजोर होने के कारण गिरावट आई है।

- टटट. घरेलू उद्योग कम लाभप्रदता पर जांच की अवधि के दौरान निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रभावों का आकलन करने में विफल रहा है। आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कोविड-19 के कारण जब घरेलू बाजार में एम ई जी की मांग में गिरावट आई थी, तो आर आई एल ने अपनी सरप्लस मात्रा सफलतापूर्वक निर्यात बाजारों को भेज दी।
- ठठठ. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमत इथाइलीन और एम ई जी जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत को सीधे प्रभावित करती हैं, जो आर आई एल और आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट से है।
- डडड. जीवाश्म (प्राकृतिक गैस) से उत्पन्न एम ई जी का निर्यात भारत में बायो - एम ई जी उत्पादक को क्षति का कारण नहीं हो सकता, जो अपने मौजूदा लागत नुकसानों के कारण से क्षति का सामना कर रहे हैं।
- ढढढ. आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन 'पेट्रोकेमिकल्स' और पारंपरिक कूड आधारित पेट्रोकेमिकल्स के बीच कीमत वृद्धि का अंतर बायो-एम ई जी की कोराबारी मात्रा पर एक प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव था।
- णणण. आई जी एल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वह अपने एक महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र के रूप में निर्यात बाजार पर ध्यान दे रहा है।
- ततत. आई जी एल की वार्षिक रिपोर्ट है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोविड-19 और बायो - एम ई जी की वैश्विक रूप से कमतर कीमत के कारण कम मात्रा के चलते गिरावट आई है। आई जी एल के देहरादून और काशीपुर के संयंत्र महामारी के कारण 6 माह के लिए बंद कर दिए गए थे।
- थथथ. सऊदी अरब से आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे आयातों की मात्रा और आयातों के बाजार अंश में ऐसी अवधि के दौरान गिरावट आई है, जिसके दौरान घरेलू उद्योग को कथित क्षति हो रही थी।
- ददद. एम ई जी के लिए मांग में, वैश्विक महामारी कारण जांच की अवधि में 7 प्रतिशत तक की कमी आई है, जो कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।
- धधध. घरेलू उद्योग को क्षति यू एस - चीन व्यापार युद्ध कम कूड कीमतों के कारण से है, जो कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
- ननन. घरेलू उद्योग का निष्पादन वर्ष 2019-20 में बाजार में मंदी, कमतर कीमत प्राप्ति और कम मांग के चलते प्रभावित हुआ था, जिसके कारण बाजार में अप्रत्याशित मंदी आई है, जैसा कि आर आई एल की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।
- पपप. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर भी इथाइलीन की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभाव पड़ा है और ऐसे प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।
- फफफ. घरेलू उद्योग के औसत स्टॉक में वृद्धि चीन जन. गण. में स्थापित बड़े एम ई जी के कारण है, जो कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।
- बबब. घरेलू उद्योग की कीमत और मार्जिन, जैसा कि के आई एस या प्लाट्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, एम ई जी की सी एफ आर चीन आधारित कीमतों के आधार पर है। तथापि, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, चीन के बाजार में अत्यधिक आपूर्ति है।
- भभभ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021 में एम ई जी की महत्वपूर्ण कीमत वृद्धि के संबंध में कुछ नहीं कहा है।
- ममम. प्रतिवादी उत्पादकों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमताएं हैं और उन्हें संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित करने की जरूरत नहीं है।
- ययय. वर्तमान जांच में आधार वर्ष पूरी तरह से असामान्य है, जैसा कि वर्ष 2017 में चीन ने प्लास्टिक कचरे के अपने आयात पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसके कारण, एम ई जी के लिए मांग में वृद्धि हुई है। इसे आर आई एल द्वारा अपनी वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। अतः वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करके यह प्रकट किया गया है कि कैसे क्षति दर्शाई गई है। आधार वर्ष को नजरअंदाज अथवा समायोजित किया जाना चाहिए जैसा कि थाइलैंड और यू एस ए से फिनोल के आयातों के संबंध में जांच में किया गया था।

## ज. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

87. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों की कीमतों के अनुकूल कीमतें रखने को बाध्य है, जिससे घरेलू उद्योग अपने मात्रा संबंधी मापदंडों को बनाए रख रहा है लेकिन इसकी लाभप्रदता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
- ख. जिस ढंग से उत्पादन प्रक्रिया बनाई गई है, उसके कारण आवेदक पर यह बाध्यता है कि वह इथाइलीन और उसके बाद एम ई जी का उत्पादन करें।
- ग. एम ई जी को केवल विशिष्ट भंडारण क्षमताओं में ही स्टोर किया जा सकता है और ऐसी क्षमताएं सीमित होने के कारण उत्पादक उपलब्ध कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य है।
- घ. संबद्ध देशों में उत्पाद अन्य उत्पादों के संबंध में उत्पादन श्रृंखला के कारण एम ई जी की बिक्री करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने बाजारों में ऊंची कीमतों पर बिक्री करते हुए अपने उत्पादन का निपटान करने के लिए भारत में पाटन का सहारा लेते हैं।
- ङ. एम ई जी के उपयोक्ताओं के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार उत्पादक कीमत प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं।
- च. चूंकि एम ई जी एक पेट्रोकेमिकल उत्पाद है, यह अधिकतर पास-श्रू आधार पर प्रचालन करता है। तथापि, सामग्री की लागत पर पहुंच कीमत को वर्तमान मामले में नजर अंदाज किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर है।
- छ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 से क्षति का सामना किया है, जो जांच की अवधि में जारी रही है।
- ज. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- झ. यद्यपि शुरू में आयातों की मात्रा अधिक थी, लेकिन इसमें वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के कारण गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें जांच की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण, पुनः गिरावट आई है।
- ञ. आयातों की मात्रा देश में मांग आपूर्ति अंतर से अधिक है। इसके अलावा, जब अवधि के दौरान मांग और आपूर्ति का अंतर कम हुआ है तो ऐसे अंतर से अधिक आयात में वृद्धि हुई है।
- ट. संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि में कुल आयातों के 95 प्रतिशत है, जबकि अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।
- ठ. आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह न्यूनतम थी।
- ड. पहुंच कीमत में गिरावट से इथाइलीन की कीमत में गिरावट आई है, जिसके कारण इथाइलीन पर पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ढ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जबकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों के आयात के साथ मुकाबला करने के लिए कम किया है।
- ण. कीमत कटौती में परिवर्तन के कारण दावे के संदर्भ में सउदी अरब के लिए कीमत कटौती के बारे में मामूली त्रुटि की पहचान की गई थी और प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने से पूर्व उसे सुधार लिया गया था।
- त. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2017-18 में अधिक थी, जब कीमत कटौती प्रतिस्पर्धा की अधिक कमी दिखा रही थी तथापि, घरेलू उद्योग आयातों के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था, जिसके कारण से मामूली कीमत कटौती हुई।
- थ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन हो रहा है।
- द. घरेलू कीमतों की कटौती के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, कच्ची सामग्री की कीमत पर आयात कीमत में वृद्धि में गिरावट और घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट के बीच एक सीधा संबंध है।



- ध. घरेलू उद्योग द्वारा नकदी लाभों और नियोजित पूंजी पर अर्जित प्रतिफल में, जांच की अवधि की शुरुआत की तुलना में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान काफी कम प्रतिफल अर्जित किया है।
- न. घरेलू उद्योग के संबद्ध आयातों के कारण हुई पर्याप्त क्षति के कारण, नुकसान पर निर्यात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
- प. घरेलू उद्योग ने मात्र यह अपेक्षा की है कि मूल्यहास वाले संयंत्रों पर अनुमत प्रतिफल नए संयंत्र के लिए प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव अनुबंध-III के अंतर्गत अलग नहीं है, जिसके तहत केवल यह अपेक्षित है कि तर्कसंगत प्रतिफल प्रदान किया जाए, जो इस मामले में 22 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के आधार वर्ष पर निर्धारित क्षतिरहित कीमत से केवल आर आई एल की स्थिति का समाधान होगा, जिससे किसी भी नए उत्पादकों के लिए भेदभावपूर्ण होगा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है। घरेलू उद्योग ने 22 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति देने की प्राधिकारी की निरंतर प्रथा रही है, जब तक कि हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य के साथ विभिन्न प्रतिफल के विचार की जरूरत को प्रदर्शित न करें, जैसा कि अनेक मामलों में ट्रिब्यूनल द्वारा पाया गया है।
- फ. ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य रखे हैं कि कमतर प्रतिफल उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से अर्जित किए थे।
- ब. जहां तक यूरोपियन फर्टिलाइजर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (ई एफ एम एम) बनाम काउंसिल पर निर्भरता का संबंध है, घरेलू उद्योग का यह कहना है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अनुसार, क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए विगत में उसके द्वारा अर्जित अधिक प्रतिफल को स्वीकार करते हैं।
- भ. यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के लिए कम मांग, अपनी समग्र क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त रही होगी, लेकिन वह आयातों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा करने में असमर्थ था।
- म. आर आई एल के उत्पादों की समग्र मूल्य श्रृंखला के निष्पादन की जांच के लिए दावे के संबंध में, यह अनुरोध है कि चूंकि घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मापदंडों के बारे में सूचना समान वस्तु के लिए अपने आप ही उपलब्ध है, व्यापक मात्रा में उत्पादों का संदर्भ अनुबंध-II के पैरा (vi) के अंतर्गत अनुमत नहीं है। इसके अलावा, अन्य उत्पादों के लिए संसाधनों का आवंटन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि समान वस्तु का उत्पाद क्षति के कारण अव्यवहार्य हो गया है। बहरहाल, एम ई जी के उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इस प्रकार अन्य उत्पादों के लिए इथाइलीन का प्रयोग आवश्यक नहीं है।
- य. चूंकि आर आई एल स्टैंड अलोन बिजनेस यूनिट (एस बी यू) आधार पर प्रचालन करता है, अन्य उत्पादों के संबंध में कोई भी व्यय, जिसमें कोई क्षति संबंधी व्यय भी शामिल है, उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए अथवा क्षतिरहित कीमत के लिए नहीं किया गया है।
- कक. इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी को पाटित आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव, दोनों की जांच करनी चाहिए, अनुरोध है कि प्राधिकारी को ही यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या आयातों की मात्रा अथवा कीमत प्रभाव था, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण हो सके। ऐसी संकल्पना प्राधिकारी द्वारा जापान, इरान, कतर और ओमान से कार्बोनेट सोडा के मामले में अपनाई गई थी।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकारी को अनुबंध-II के पैरा (vii) के अंतर्गत प्रदत्त प्रत्येक मापदंड का विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं है और एक या अधिक मापदंडों की मौजूदगी पर यू एस-सॉफ्टवुड लुम्बर मामले में डब्ल्यू टी ओर पैनल द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार क्षति की आशंका का निर्धारण करने पर विचार किया जा सकता है।
- गग. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकारी को संचित विश्लेषण की पूर्व शर्त के रूप में देश-वार मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ई सी - ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग मामले में अपील निकाय द्वारा पाया गया है।
- घघ. जहां तक वर्ष 2017-18 को बाहर करने के लिए दावे का संबंध है, चूंकि यह एक आपवादिक अवधि थी, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2016-17 अथवा 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में

- गिरावट आई है, जबकि 2017-18 के लिए आकड़ों को बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा, अनुबंध-11 के पैरा (v) के अन्य कारकों के कारण क्षति को अलग करना अपेक्षित है, लेकिन अन्य कारकों के कारण निष्पादन में सुधार को अलग करने की जरूरत नहीं है।
- डड. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं है।
- चच. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- छछ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए मौजूद विशेषताओं के बारे में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, जो अपरिवर्तित रही है, जैसे प्रयुक्त कच्ची सामग्री, जैसा कि यूरोपीय संघ – बायोडीजल मामले में अपील निकाय द्वारा पाया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति को इसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए।
- जज. बायो एम ई जी और पेट्रोकेमिकल आधारित एम ई जी इसी बाजार में स्पर्धा करते हैं और इस प्रकार, आयातों की कीमत में गिरावट होने से आई जी एल को अपनी कीमतें कम करनी पड़ेगी, जिससे लाभप्रदता में गिरावट आएगी।
- झझ. आई जी एल अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहा है क्योंकि बाजार में सस्ते आयात मौजूद रहे हैं और वह वस्तुओं का निर्यात करने पर बाध्य रहा है।
- ञञ. अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।
- टट. आई जी एल ने कोविड-19 महामारी की केवल अल्प अवधि के लिए ही अपने संयंत्रों को बंद किया था, जबकि आर आई एल ने मांग में गिरावट के बावजूद अपने संयंत्रों का प्रचालन जारी रखा, क्योंकि बंद करने की लागत का अपस्ट्रीम संयंत्र पर व्यापक प्रभाव होगा। इसके अलावा आर आई एल निरंतर पाटित आयातों के कारण पर्याप्त घरेलू मांग के बावजूद पर्याप्त मात्रा में निर्यात के लिए मजबूर था।
- ठठ. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 से क्षति का सामना किया है, जो कि महामारी से पूर्व की अवधि थी। इसके अलावा कम कूड कीमतें और महामारी वैश्विक कारक रहे हैं, जिनके प्रभाव घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं हैं।
- डड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, एम ई जी की कीमतों में गिरावट कोविड-19 के कारण नहीं है, क्योंकि उसके कारण हुआ शट-डाउन लागतों में वृद्धि के कारण और कीमतों में वृद्धि के कारण ही हो सकता है। तथापि, संबद्ध आयातों की कीमत में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ढढ. घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में कम लाभों के कारण क्षति का दावा किया है। इसके अलावा, यदि फीडस्टॉक की कीमत, जो निर्यातकों के लिए उपलब्ध है, पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि होने की संभावना है।
- णण. दावा की गई क्षति निर्यात बिक्रियों के कारण नहीं हो सकती और यह घरेलू बाजार में निष्पादन से ही संबद्ध है।
- तत. घरेलू उद्योग को निवेशों के कारण क्षति नहीं हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए ई बी आई डी टी ए में कमी आई है।
- थथ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमतर कीमत वसूली और संबद्ध वस्तुओं के पाटन के चलते परिवर्तनशीलता के कारण वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने पहले भी दिसंबर 2019 में एक याचिका दाखिल की थी।
- दद. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्रियों की कमी के कारण किसी क्षति का सामना नहीं किया है। इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान आर आई एल द्वारा ऑक्सीजन का प्रावधान उसके अपने उत्पादन की लागत पर नहीं था।
- धध. बाजार में अधिक आपूर्ति के साथ-साथ वर्ष 2019-20 में चीन जन. गण. में क्षमताओं में वृद्धि के चलते कीमत प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसके कारण संबद्ध देशों में उत्पादकों को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे पाटन हुआ।
- नन. एमईजी की सीएफआर चीन कीमतों के लिए बेंच मार्क कीमत पर वैश्विक रूप से बिक्री की जाती है। तथापि, संबद्ध देशों में उत्पादक भारत को निर्यात करते समय डिस्काउंट पेश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने पर विवश है, जिससे कीमत क्षति होती है।

- पप. आर आई एल ने जे बी एफ इंडस्ट्रीज और शुभलक्ष्मी पॉलियर्स को अधिग्रहित नहीं किया है। इसके अलावा, आर आई एल द्वारा आलोक इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण से उत्पाद की मांग या आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
- फफ. अन्य देशों में एम ई जी की कीमतों में गिरावट वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है।
- बब. एम ई जी की कीमतों में जांच की अवधि के बाद वृद्धि अस्थायी है जो मालभाड़ा कंटेनर दरों में वृद्धि के कारण है।
- भभ. यू एस – चीन व्यापार मामले में जांच की अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, क्योंकि यू एस से चीन जन. गण. को एम ई जी के निर्यातों में ऐसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- मम. घरेलू उद्योग को आगे वास्तविक क्षति होने की आशंका मौजूद है।
- यय. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, जिनका भारत को निर्यातों की मात्रा में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं भारत में कुल मांग की कुल 95 प्रतिशत तक हैं।
- ककक. महत्वपूर्ण उत्पादन के साथ साथ एम ई जी के लिए सीमित मांग के कारण वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों ने अपने बाजार अंश में वृद्धि करने के लिए अपनी कीमत को कम करके अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं का सहारा लिया है।
- खखख. संबद्ध देशों में एम ई जी के लिए न्यूनतम मांग मौजूद हैं, जो यह दर्शाती है कि ऐसे देशों में कुल उत्पादन निर्यातों के लिए होता है।
- गगग. संबद्ध देशों में उत्पादकों ने जांच की अवधि में अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं जो वर्ष 2021 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाने की संभावना है।
- घघघ. संबद्ध देशों के अलावा, चीन जन. गण. में उत्पादकों ने भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं, जिसका अर्थ है कि चीन के बाजार में संबद्ध आयातों के लिए कम मांग है।
- डडड. सकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ यह है कि शुल्कों को नहीं लगाया जाता है, तो आयातों से कीमतों का ह्रास और मंदी की संभावना है।
- चचच. कुवैत और सउदी अरब के उत्पादकों को अनुचित रूप से कम कीमतों पर इनपुट सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके कारण अन्य बाजारों की तुलना में उनके घरेलू बाजारों में कीमतें कम हुई हैं।

### ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

88. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है, प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

#### I. संचयी आकलन

89. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद का आयात पाटनरोधी जांचों के अधीन है, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचित आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है :

- (क) प्रत्येक देश के आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, जिसे निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत अथवा अधिक है अथवा जहां अलग अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, वहां साझा रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक होते हैं; और
- (ख) आयातों के प्रभाव का संचित आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन उपयुक्त है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल सीधे परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

91. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इन तर्कों के संबंध में कि कुवैत, सऊदी अरब और यू एस ए से आयातों का संचित रूप से विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि सऊदी अरब से आयातों की कीमत में गिरावट आई है, जबकि कुवैत और यू एस ए से आयातों की कीमत में गिरावट नहीं आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और अनुबंध-11 के पैरा (iii) के तहत यह प्रावधान है कि सभी संबद्ध देशों से आयातों का संचित विश्लेषण करने से पूर्व शर्तों को पूरा किया जाना है। ऐसे प्रावधानों में ऐसे संचयन से पूर्व कीमतों का देश-वार विश्लेषण करने की प्राधिकारी को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही दृष्टिकोण ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटनेस [डीएस/129/एबी] पर ई सी – पाटनरोधी शुल्कों में अपील निकाय ने भी लिया है, जिसमें यह पाया गया था कि -

*“110. हम ब्राजील की धारणा के लिए अनुच्छेद 3.3 के पाठ में कोई आधार नहीं पाते कि पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों के संभावित नकारात्मक प्रभावों का देश – विशिष्ट विश्लेषण सभी पाटित आयातों के प्रभावों का एक संचित आकलन करने के लिए एक पूर्व – शर्त है। अनुच्छेद 3.3 में स्पष्ट रूप से शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें जांच प्राधिकारियों द्वारा एक से अधिक देश से पाटित आयातों के प्रभावों का संचित आकलन करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। देश से देश की मात्रा का कोई संदर्भ नहीं है और कीमत विश्लेषण, जिसके लिए ब्राजील का तर्क है, संचित करने की पूर्व शर्त है। वास्तव में, अनुच्छेद 3.3 में स्पष्ट रूप से एक जांच प्राधिकारी को देश विशिष्ट मात्रा की जांच करना अपेक्षित है, न कि ब्राजील द्वारा सुझाए गए ढंग से, लेकिन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए क्या “प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है।”*

92. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह मानते हैं कि कुवैत, सऊदी अरब और यू एस ए से संचित रूप से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना उपयुक्त है।
93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि महत्वपूर्ण मात्रा और कीमत प्रभाव, दोनों ही वास्तविक क्षति के निष्कर्ष के लिए मौजूद होने चाहिए। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-11 पैरा (i) में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी को घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव व पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के प्रभाव, दोनों की जांच करनी चाहिए। पैरा (i) के संदर्भ में “दोनों” शब्द, आयात और कीमत के प्रभाव की एक ओर जांच करने तथा घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के संबंध में है, तथापि, ऐसा प्रावधान में प्राधिकारी के लिए अनिवार्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का निर्धारण केवल वहां किया जाए जहां आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और पाटित आयातों का कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव है।
94. इस तर्क के संबंध में कि मूल्य श्रृंखला के समग्र निष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (vi) के प्रावधानों के अनुसार, जिनका कि नीचे उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग के मापदंडों पर आयातों के प्रभाव का केवल समान वस्तु के संबंध में आकलन किया जाएगा :

*“(iv) समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा, जब उपलब्ध डेटा से ऐसे मानदंडों जैसे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकों की बिक्री और लाभ के आधार पर उस उत्पादन की अलग पहचान होती है। यदि उस उत्पादन की अलग पहचान संभव नहीं हो, तो पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, इसके लिए सबसे छोटे समूह के उत्पादन या उत्पाद की रेंज की जांच की जाएगी, जिसमें ऐसे समान उत्पाद शामिल हैं, जिनके लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सकती है।”*

95. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता के संदर्भ में निष्पादन के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं जो पैरा (vii) के प्रावधानों के अनुसार क्षति विश्लेषण का आधार बनेगा। के ऊपर। तदनुसार, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित इसकी समग्र मूल्य श्रृंखला में आवेदक का प्रदर्शन प्रासंगिक नहीं है। तदनुसार, आवेदक का निष्पादन अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित पूरी मूल्य श्रृंखला में संगत नहीं है।
96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा किया है कि चूंकि 2017 एम ई जी उद्योग के लिए एक आपवादिक वर्ष था, उसे क्षति विश्लेषण से बाहर किया जाना चाहिए। इस संबंध में, थाइलैंड, और यू एस ए से फिनोल के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए आधार वर्ष की तुलना करके और वर्ष दर वर्ष विश्लेषण करके क्षति जांच की है।
97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह दावा किया है कि चूंकि आई जी एल एक अलग उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करके बायो एम ई जी का उत्पादन करता है। आर आई एल और आई जी एल के लिए क्षति मापदंडों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता।

प्राधिकारी ने पाया है कि समान उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, इथेन/ बुटेन/ प्रोपेन से उत्पादित एम ई जी और बायो एम ई जी समान उत्पाद है और इसलिए इन्हें क्षति विश्लेषण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, दोनों उत्पाद एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रयोक्ताओं द्वारा बदल-बदल कर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार, इथेन/ बुटेन/ प्रोपेन से तैयार एम ई जी की मांग अथवा कीमतों में कोई भी बदलाव बायो एम ई जी पर पड़ेगा। इस प्रकार इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क मान्य नहीं हैं।

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ता अथवा कीमत में वृद्धि बहुत अधिक हद में रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर इस नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों के अनुसार उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वतः समाधान करता है।

## II. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

100. वर्तमान जांच के प्रयोजन से प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है -

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	146	133
अन्य उत्पादकों की बिक्रिया	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	109	93
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	176	156
घरेलू उत्पादकों की बिक्रिया	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	78	58

अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	49	17
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	103	85

101. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग (कैप्टिव खपत सहित) वर्ष 2019-20 तक धीरे-धीरे लगातार बढ़ रही थी लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यदि ऐसी गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है और यह अस्थायी है।

### III. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

102. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में भारत में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से किए गये लेन-देन वार आयातों आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	78	58
कुवैत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	100	89
प्रवृत्ति	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	49	23
यू एस ए		***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	1,15,850	86,403
अन्य आयात	मी. टन	1,60,583	91,173	78,587	27,747
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	49	17
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	61	44
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	72	62
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	106	112

103. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से कमी आई है। यह कमी घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए COVID-19 के कारण हो सकती है। तथापि, आयातों की मात्रा ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

### IV. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

104. इस नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण काफी मात्रा में कीमतों पर अन्यथा

दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रूकने वाली है जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के बीच तुलना की गई है।

### कीमत कटौती

105. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच सभी निवल छूटों और करों की व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें करखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी।

विवरण	इकाई	कुवैत	सउदी अरब	यू एस ए	संबद्ध देश
निवल बिक्री कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु. /मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	0-10	10-20	0-10

106. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमत कटौती कुवैत और सऊदी अरब के मामले में \*\*\* के बीच है जहां से अधिकतम पाटित आयात हुआ था।

### ii. कीमत हास/ दबाव

107. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव, एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों पर दबाव डालने के लिए अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्य हो गई होती, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए दी गई सूचना की, पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	104	87
बिक्री कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	70	65
कच्ची सामग्री की लागत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	91	76
पहुंच कीमत	रु. /मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	72	62

108. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्रियों की कीमत, दोनों में गिरावट आई है।
109. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति का विश्लेषण या तो मात्रा या कीमत प्रभाव के रूप में किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का आकलन घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल इस प्रभाव पर कि आयात कीमत पर है। घरेलू उद्योग ने मात्रा मापदंडों के संदर्भ में क्षति का प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन यह कहा है कि संबद्ध आयातों की कम कीमतों के कारण उसे क्षति हो रही है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर आयातों के कीमत प्रभावों का विश्लेषण किया है।
110. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए संबद्ध आयातों की कीमतों के बराबर करने के लिए मजबूर किया गया था, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उक्त दावे की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से अधिक है। बिक्री मूल्य और बिक्री की लागत के बीच का अंतर जांच अवधि के दौरान लगभग 20% है जबकि 2019-20 के दौरान यह लगभग 8% था। घरेलू उद्योग यह दावा करने के लिए आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में

अपनी बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर में कमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता है कि वह संबद्ध देश से आयातों के कारण कीमत ह्रास या कीमत ह्रास झेल रहा है। साथ ही, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और बिक्री में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक सुधार हुआ है।

111. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि: (ए) आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट आई है और यह जांच की अवधि के दौरान सबसे कम थी; (बी) पहुंच मूल्य में गिरावट ने एथिलीन की कीमत में गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। प्राधिकारी ने पहले ही नोट कर लिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री की लागत से अधिक है। इसके अलावा, 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान बिक्री की लागत में लगभग 16% की कमी की गई है, जबकि इसी अवधि में भूमि मूल्य में लगभग 14% की कमी की गई है। आधार वर्ष के साथ तुलना हमेशा सही तस्वीर नहीं दे सकती है। इसलिए, आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट को कीमत ह्रास या ह्रास का कारण नहीं कहा जा सकता है।

## V. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

112. इस नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जो उद्योग की स्थिति जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन का आकार; नकदी के प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

### i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

113. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उद्योग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	128	128
समायोजित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	128	127
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	136	139
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	106	109
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	176	156
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	66	223
कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	124	116
घरेलू बिक्री के संबंध में कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***

114. यह नोट किया गया है कि :

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में, घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार किए जाने के कारण वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है और उसके बाद स्थिर रही है।



- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान उत्पादन में 2% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और कोविड-19 महामारी के कारण मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप केवल जांच की अवधि में गिरावट आई है।

## ii. बाजार हिस्सा

115. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
<b>कैप्टिव खपत सहित</b>					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	134	143
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	104
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	72	62
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	45	19
<b>कैप्टिव खपत को छोड़कर</b>					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	171	184
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	94	114
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	76	68
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	47	20

116. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। यह इंगित करता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

## iii. मालसूची

117. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूचियां इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	196	156

118. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास वस्तु सूचियों में वर्ष 2019-20 तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। पिछले वर्ष (अर्थात् 2019-20) की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत सूची में काफी कमी आई है जो घरेलू उद्योग के वित्तीय सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

**iv. लाभप्रदता, नकदी लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल**

119. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	104	87
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	70	65
लाभ/ (हानि)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	14	28
लाभ/ (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	25	44
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	51	60
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	45	61

120. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता मानकों में भारी गिरावट आई है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का लाभ 2019-20 तक कम हुआ है लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत पर पीओआई के दौरान अर्जित लाभ का प्रतिशत लगभग \*\*\* है (2019-20 के दौरान \*\*\* की तुलना में)। हालांकि, 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान बिक्री मूल्य में कमी आई है, लेकिन इसी अवधि के दौरान बिक्री की लागत में कमी बहुत अधिक है। इसके अलावा, 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी सुधार हुआ है। व्यापक पूंजी निवेश के कारण, जांच की अवधि के दौरान आरओसीई लगभग \*\*\* है; जो प्रारंभिक अवधि के निवेश के दौरान होता है क्योंकि उत्पाद का निश्चित बाजार आकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान निवेश के इतने बड़े बोझ को अवशोषित नहीं कर सकता है। आर्थिक मापदंडों का समग्र और वस्तुपरक मूल्यांकन करने के लिए, प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान हस्तक्षेप करने वाली प्रवृत्तियों पर भी विचार करना होता है और केवल एंड-टू-एंड तुलना पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है।

**v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

121. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की इकाई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	93	82
उत्पादकता प्रतिदिन	मी. टन/ दिन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	136	139
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन/ कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	146	169
मजदूरी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	190	173	147

122. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

**vi. वृद्धि**

123. घरेलू उद्योग की मांग और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	41	-4	2
घरेलू बिक्रिया	%	-	68	5	-11
लाभ प्रति मी. टन	%	-	-52	-71	102
नकदी लाभ	%	-	-6	-46	18
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	8	-59	37

124. यह नोट किया गया है कि घरेलू बिक्री को छोड़कर सभी मात्रा संबंधी मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार की प्रवृत्ति देखी गई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री को छोड़कर सभी वॉल्यूम मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार दिखाया गया है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान लाभप्रदता मानकों में भी सुधार दिखाया गया है।

**vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही क्षमता में वृद्धि कर ली है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की जांच से यह भी विचार नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

**viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

126. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से, ऐसे कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, जो यह दर्शाएं कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

**ix. पाटन की मात्रा**

127. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित की जा रही हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण है।

**झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण**

128. नियमानुसार, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा, किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना आवश्यक है, जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति पाटितों आयातों पर आरोपित न हो सके। जो कारक इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत की पद्धतियों में परिवर्तन या मांग में कमी, विदेशी और घरेलू उत्पादों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में बदलाव और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

129. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसीलिए आगे किसी तरह की जांच करने की जरूरत नहीं है कि क्या पाटित आयातों के अलावा, अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

**ञ. क्षति का समग्र मूल्यांकन**

130. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर और यहां किए गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:-

क. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में, पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन व खपत के संबंध में गिरावट आई है।

- ख. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में क्षति जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ग. यह दर्शाने के लिए पूर्ण साक्ष्य नहीं हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के कोई महत्वपूर्ण निराशाजनक प्रभाव नहीं थे।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग की जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है। नए निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

131. इसे देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का सामना नहीं किया है।

#### ट.ठ. प्रकटीकरण विवरण के उपरांत टिप्पणियां

##### ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और बायो एमईजी को शामिल करने, गोपनीयता, हाल में जांच समाप्त होने के बाद जांच की शुरुआत करने, विशेष बाजार स्थिति और उचित तुलना, घरेलू उद्योग को क्षति, और कारणात्मक संबंध के बारे में उनके अनुरोधों को दोहराया है। इन तथ्यों पर अनिवार्य तथ्यों को जारी करते समय पहले ही विचार किया जा चुका है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट करने के लिए कोई नया कानूनी या तथ्यात्मक आधार प्रदान नहीं किया है कि प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए तथ्य और इस संबंध में प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित प्रस्तावित निर्धारण क्यों अनुपयुक्त थे। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है:-

- क. पेट्रो राबिघ अपने अनुरोधों की पुनरावृत्ति करता है कि वह सऊदी आयातकों के माध्यम से सेबिक के साथ जुड़ा है, जिसके पास कि दोनों कंपनियों में पर्याप्त हिस्से हैं। अतः, पाटन मार्जिन की एक सिंगल भारित औसत दर, इन पक्षकारों के लिए प्रदान की जानी चाहिए, यदि पेट्रो राबिघ ने भारत को निर्यात किया हो या नहीं। व्यापार नोटिस संख्या 9/2018 के अन्तर्गत संबंध की स्थापना के लिए शेयरहोल्डिंग पर्याप्त है।
- ख. यह तथ्य कि सेबिक ने पेट्रो राबिघ के साथ संबंध होने को स्वीकार नहीं किया था, संबंध की स्थापना निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है।
- ग. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत व एसजीए तथा इसकी सतत प्रक्रिया के अनुसार तर्कसंगत लाभ पर विचार किए बिना सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देशों की निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए कोई कारण प्रदान नहीं किए हैं।
- घ. यहां तक कि यूरोपीय आयोग ने भी कुवैत के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए तीसरे देश की कार्यप्रणाली का प्रयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया भी उत्पादन की लागत पर विचार करते हैं और सामान्य मूल्य के लिए तीसरे देशों की निर्यात कीमत पर विचार नहीं करते।
- ड. पाकिस्तान को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तीसरे देश के रूप में नहीं चुना जा सकता क्योंकि यह कुवैत के "समान" नहीं है, अतः कीमतें "प्रतिनिधिक" नहीं होंगी। निर्यात के देश (अर्थात् कुवैत) की आर्थिक स्थितियों की उपयुक्त तीसरे देश के साथ तुलना की जानी चाहिए न कि जो भारत में हैं, उनके साथ। ऐसी स्थितियों के आधार पर, ओमान, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त तीसरा देश होगा। इसी प्रकार से इंडोनेशिया पर विचार करना उपयुक्त नहीं था।
- च. पाकिस्तान और भारत के लिए निर्यातों की मात्रा में समानता के आधार पर पाकिस्तान को कुवैत के लिए एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में चुनना कानून के अनुसार अथवा तार्किक रूप से उचित नहीं है।
- छ. उपयुक्त देश का चयन करने के लिए, अनुबंध-1 पैरा 7 में प्रदान किए गए मानदंड लागू किए जाने चाहिए।
- ज. चीन जन. गण. को एक तीसरे देश के रूप में चुनना अस्वीकार करना गलत है क्योंकि चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति से प्रभावित नहीं होगी।
- झ. एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ने यह कहा है कि वह यानपेट के लिए केवल एक संगत व्यापारी (ट्रेडर) है न कि प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित किसी अन्य संस्था के लिए।

- ज. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए समर्थन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह, व्यापार नोटिस संख्या 13/2018 में यथा आवश्यक उपयुक्त फार्म में नहीं है और समर्थन पत्र को हितवद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।
- ट. घरेलू उद्योग को क्षति ऊंची लागत पर कच्ची सामग्री का आयात करने और घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत के कारण से है।
- ठ. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार आया है। बिक्रियों में गिरावट, मांग में गिरावट आने के कारण से है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान, बिक्रियों की लागत में कमी आने के चलते वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर व्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- ढ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में, बाजार में पर्याप्त मांग होने के कारण वृद्धि होने की संभावना है।
- ण. केवल इस कारण से पीसीएन को अस्वीकार करना क्योंकि यह तर्क रिज्वाइंडर में उठाया गया था, कानून के अनुसार असंगत है।
- त. प्राधिकारी ने एक कारणात्मक संबंध का विश्लेषण नहीं किया है और केवल एक गैर-आरोपण विश्लेषण ही किया है।
- थ. प्राधिकारी ने मांग पर कोविड-19 के प्रभाव, ऑक्सीजन के डाइवर्जन और चीन में क्षमता विस्तार के कारण वस्तु सूचियों में वृद्धि होने के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के संबंध में क्षति की जांच नहीं की है।
- द. जब जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई थी, घरेलू उद्योग ने बड़ी मात्रा में निर्यात किया था, जो यह दर्शाता है कि क्षति होने का कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि में बदलाव होना है।
- ध. प्रकटीकरण विवरण, पाटन मार्जिन तालिका और प्राधिकारी द्वारा साझा की गई गोपनीय गणनाएं पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते।
- न. प्राधिकारी ने यह उपयुक्त प्रकटन नहीं किया है कि कैसे निर्यात कीमत की गणना इक्वेट ग्रुप के असहयोगी चैनलों के लिए की गई है।
- प. यह रिकार्ड किया जाना चाहिए कि एमआईसी के प्रश्नावली का एक उत्तर दाखिल किया था। (घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद)
- फ. प्रयोक्ताओं द्वारा लोकहित के संबंध में विस्तृत अनुरोध किए जाने के बावजूद, प्रकटीकरण विवरण में इसकी जांच नहीं की गई है।
- ब. प्राधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की उपलब्धता न होने, कोविड-19 के प्रभाव, ऐसी कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने के कारण यूनिटों के बंद होने, डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अजीबिका का नुकसान, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा तैयार माल के निर्यात में कमी, शुल्क लगाए जाने से स्थापित होने वाली बाजार विषमता पर विचार करना चाहिए।

## ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. घरेलू उद्योग ने लोकहित के संबंध में अपने अनुरोध को दोहराया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में क्षति, कारणात्मक संबंध और सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. पूरी क्षति अवधि के दौरान क्षति विश्लेषण करने की जरूरत है और वास्तविक मध्यवर्ती प्रवृत्तियों पर विचार किए जाने की जरूरत है जैसा कि पाकिस्तान – बीओपीपी और ईसी – ट्यूब एवं पाइप मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा पाया गया है, जबकि प्रकटीकरण विवरण, कीमत मापदंडों के लिए जांच की अवधि और आगामी वर्ष के बीच काफी कम रहा है, जिसके कारण विश्लेषण उचित नहीं है।
- ख. जांच की अवधि और विगत वर्ष की अवधि तक सीमित तुलना से चार वर्षों की क्षति अवधि पर विचार करने का प्रयोजन विफल हो जाता है।
- ग. इस विचार में कि जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार आया है, यह अनुमान निहित है कि घरेलू उद्योग ने केवल जांच की अवधि में ही क्षति का सामना करना शुरू किया होगा।
- घ. प्राधिकारी ने पहले वर्ष 2019 में एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी, जिसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पाए थे। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 में आयातों के कारण क्षति का सामना करना शुरू कर

- दिया था और इस प्रकार वर्ष 2019-20 की तुलना में कुछ सुधार यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है। क्षति की अवधि की तुलना में कोई सुधार एक मजबूत निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता।
- ड. यद्यपि संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, लेकिन यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण से है। जांच की अवधि में कोविड-19 के कारण पुनः गिरावट आने से पूर्व वर्ष 2019-20 में आयातों में वृद्धि हुई लेकिन जांच की वृद्धि के बाद वृद्धि हुई।
  - च. चूंकि मांग और आपूर्ति अंतराल अधिक होने पर ही आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी है, अतः केवल ऐसे आयातों पर ही आयातों की मात्रा की जांच के लिए विचार करना चाहिए। मांग और आपूर्ति में अंतर से अधिक आयातों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, इस प्रकार यह स्थापित होता है कि जबकि आयात अधिकांशतः मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण हो रहे थे, अतः अब ये पाटित कीमतों के कारण हो रहे हैं।
  - छ. आपूर्ति से अधिक मांग होने की स्थिति में, कीमतों पर दबाव होगा और उत्पादक अपनी कीमतों को कच्ची सामग्रियों की लागतों में अंतर तक तो कम से कम समायोजित करेंगे। इसके बाद भी, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और यह जांच की अवधि के दौरान सबसे कम थी।
  - ज. मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के साथ पहुंच कीमत की एक तुलना यह दर्शाती है कि निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमतों में गिरावट की है, जहां पर कि उन्होंने मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण बाजार की जरूरत से काफी अधिक मात्रा में वृद्धि की मांग की है।
  - झ. पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि के अनुरूप है, जो घरेलू उद्योग को बढ़ते बाजार हिस्से पर कब्जा करने से रोकने के एक स्पष्ट आशय को दर्शाता है।
  - ञ. इथाइलीन की प्रचलित कीमतों पर पहुंच कीमत को निर्धारित करना और वर्ष 2019-20 व जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक बनना, सीधे तौर पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में दिखाई देता है।
  - ट. वर्ष 2017-18 में, घरेलू उद्योग आयात कीमत से अधिक पाने में समर्थ था। वर्ष 2018-19 में, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया था और काफी अधिक कम आयात कीमत से मुकाबला करने के लिए अपनी कीमतों को कम करना पड़ा। वर्ष 2019-20 में, निर्यातकों ने वर्ष 2018-19 में महत्वपूर्ण हिस्से का नुकसान होने के चलते अपनी कीमतों में कमी करके अपना बाजार बनाए रखने का कार्य किया। इससे वे अपनी मात्रा और बाजार अंश बढ़ा पाए। पुनः जांच की अवधि के दौरान, निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने पर मजबूर करते हुए, कच्ची सामग्री की लागतों से अधिक, अपनी कीमतें कम की।
  - ठ. यह विचार नहीं किया गया है कि कीमत, इथाइलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। यहां तक कि प्रकटीकरण विवरण में कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट दर्ज है, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के बीच इसकी प्रवृत्ति को नजरअंदाज किया गया है।
  - ड. क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट से काफी अधिक है।
  - ढ. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड जांच की अवधि के पहले ही नुकसान में था। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने में समर्थ रहा, उसने उसी अवधि में नुकसान उठाना भी शुरू कर दिया।
  - ण. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की तुलना ऐसी अवधि से की जानी चाहिए, जब वह पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा था और वर्ष 2017-18 और 2018-19 है।
  - त. घरेलू उद्योग के लाभों में सुधार मुख्यतः लागत क्षमताओं में मौजूद सुधार के चलते है, न कि बाजार की स्थितियों में किसी सुधार के चलते है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान परिवर्तन लागत में गिरावट आई है।
  - थ. वर्ष 2018-19 और आधार वर्ष की तुलना में लाभ, लाभ प्रति यूनिट, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है।
  - द. ईबीआईडीटीए में जांच की अवधि में गिरावट आई है, यहां तक कि पिछले वर्ष के संबंध में भी गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की लागत पर क्षमता विस्तार से प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे कि अधिक ब्याज और मूल्यहास लागत आई है।
  - ध. लाभप्रदता में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौर और पिछले वर्ष के दौरान विशेष रूप से यह विचार करते हुए अपने निवेश पर कम प्रतिफल अर्जित किया है कि यह घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और करों को अनुमत करने से पूर्व का प्रतिफल है। यह प्रतिफल विचार किए गए कारक से कम था।

- न. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में असमर्थता के कारण, घरेलू उद्योग को यहां तक कि घाटे पर भी निर्यातों के लिए सहारा लेना पड़ा था।
- प. यदि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया होता, तो उसके निष्पादन में काफी गिरावट दिखाई गई होती, क्योंकि उसे अधिक मात्रा होने से किफायती मात्रा के लाभ प्रदान किए गए। यद्यपि निर्यातों में ऐसी हानियां अलग की गई हैं, लेकिन घरेलू उद्योग के परिणामी अधिक लाभ घरेलू उद्योग के खिलाफ रखे जा रहे हैं।
- फ. प्राधिकारी को वर्तमान मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए, जो यह दर्शाते हैं:-
- i. वर्ष 2021-22 में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में (वार्षिक) आयात, जांच की अवधि की तुलना में दोगुने हैं, यहां तक कि मांग में 42 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
  - ii. घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात उसी स्तर पर आ गए हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व थे।
  - iii. आयातों में, खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बाजार अंश में 23 प्रतिशत तक की गिरावट का सामना कर रहा है।
  - iv. जबकि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत और बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है, वह अपनी कीमतों को जांच की अवधि के बाद की कीमतों के अनुसार रखने पर मजबूर था, जिसके कारण, उसे नुकसान और नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।
  - v. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में भी जांच की अवधि के बाद गिरावट आई है।
  - vi देश में मांग और आपूर्ति का अंतर होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद क्षमताओं का कम उपयोग होने का सामना किया है।
- ब. जांच की अवधि के दौरान, कच्ची सामग्री की कीमत में कोविड-19 महामारी के कारण कमी आई है, जोकि इस कारण से है कि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने में समर्थ रहा था। तथापि, जांच की अवधि के बाद, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई, जिसके कारण, घरेलू उद्योग को नुकसान का सामना करना पड़ा।
- भ. प्राधिकारी ने विगत में भी अनेक मूल जांचों में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया है, जैसे फ्रंट एक्सल बीम, कार्बन ब्लैक, विस्कोस स्टेपल फाइबर, नाइट्रोसेलूलोज, एचआर 304, आदि।
- म. यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति का सामना किए जाने पर विचार करने से पूर्व नुकसान का सामना करना चाहिए, क्योंकि कानून में इस बात की जांच करनी आवश्यक है कि क्या लाभों में गिरावट आ रही है।
- य. विगत में अनेक मामलों, जैसे डेकोर पेपर, पॉलिस्टर स्पन यार्न, एलडीपीई, पीईटी रसिन आदि में प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट को देखते हुए, यहां तक कि घरेलू उद्योग ने हानियों का सामना भी नहीं किया था, घरेलू उद्योग ने अनेक मामलों में पर्याप्त क्षति का सामना किया है।
- कक. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि पर्याप्त क्षति मौजूद है, यह आवश्यक नहीं है कि कानून में सूचीबद्ध सभी कारक गिरावट दर्शाएं। पाकिस्तान – बीओपीपी में डब्ल्यूटीओ पैनल में, यह नोट किया गया था कि यद्यपि एक जांच प्राधिकारी को सभी कारकों का आकलन करना चाहिए, इस बात की कोई अपेक्षा नहीं है कि सभी कारक गिरावट को दर्शाएं। यही दृष्टिकोण अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में लिया गया था।
- खख. जब पाटित आयातों का सामना करना पड़ता है, तो घरेलू उत्पादक के पास दो विकल्प होते हैं – (क) या तो अपनी कीमतों को बनाए रखें, इस मामले में ग्राहक सस्ते आयातों की ओर जा सकते हैं, अथवा (ख) अपनी कीमतों को कम करें, ताकि ग्राहक बनाए रखे जा सकें। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के पास अपने ग्राहक को जाने देने का विकल्प नहीं था, क्योंकि इससे उसके अपस्ट्रीम प्रचालनों और अन्य उत्पादों से संबंधित प्रचालनों पर, ऐसे अपस्ट्रीम प्रचालनों पर निर्भरता के अनुसार प्रभाव पड़ता।
- गग. कानून के तहत सूचीबद्ध मापदंड केवल न्यूनतम मापदंड है और ये पूर्ण नहीं हैं, जैसा कि अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मापदंडों पर प्रकटीकरण विवरण में विचार नहीं किया गया है।

- घघ. लाभ किसी व्यावसायिक उद्यम के लिए सर्वोपरि महत्व होता है, क्योंकि किसी भी कारोबार के लिए बिना पर्याप्त लाभ के बने रहने की आशा ही नहीं की जा सकती। फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय अधिकरण ने लाभों के महत्व पर भी जोर दिया था।
- डड. एक संभव जांच परिणाम कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के संबंध में इसी प्रकार के तथ्यों पर प्राधिकारियों के विगत जांच परिणामों (जैसे कि एलपीडीई) के साथ असंगत होगी, अतः प्राधिकारी ने क्षति पाई है। वास्तव में, यह भेदभावपूर्ण होगा। कोई भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी इसी प्रकार के तथ्यों पर भिन्न-भिन्न विचार नहीं रख सकता, जैसा कि इंटरग्लोब एविएशन लि० बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है।
- चच. ऐसे अनेक मामले रहे हैं (जैसे पीएसवाई, सिलिकॉन सीलेन्ट्स, प्लान एमडीएफ बोर्ड, परसल्फेट), जहां पर कि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में लाभों में सुधार के बावजूद, क्षति अवधि पर लाभप्रदता में गिरावट के संदर्भ में क्षति का सामना किया था।
- छछ. जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने ऐसी आशंका के बारे में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य दर्ज किए थे, लेकिन इनकी जांच नहीं की गई है।
- जज. अपने अनुरोध में, आगे क्षति की आशंका के बारे में दी गई सूचना पर प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है। निम्नलिखित में क्षति की आशंका दर्शाई गई है:-
- i. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में कुछ गिरावट आई है, लेकिन इस मात्रा में जांच की अवधि के बाद काफी वृद्धि हुई है और यह क्षति अवधि की शुरुआत के समय से अधिक है।
  - ii. तिमाही आधार पर, आयातों में अप्रैल से जून, 2020 के बाद से अप्रैल से जून, 2022 तक प्रत्येक तिमाही में निरंतर वृद्धि दर्शाई गई है।
  - iii. यहां तक कि क्षति अवधि के दौरान, मांग और आपूर्ति अंतर से अधिक आयात (जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी है) वृद्धि हुई थी, और ये जांच की अवधि के दौरान मांग व आपूर्ति अंतराल का 4 गुणा थे।
  - iv. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अतिरिक्त रूप से फालतू क्षमताएं हैं, जो कि भारत में मांग के करीब 95 प्रतिशत के समान हैं और नए विस्तार कर रहे हैं।
  - v. एमईजी के लिए वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति है, जिसके कारण उत्पादक अपना स्टॉक खतम करने के लिए पाटन का सहारा लेते हैं।
  - vi. यद्यपि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास वैश्विक उत्पादन का 38 प्रतिशत है, उनके पास मांग में मात्र 7 प्रतिशत हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि यह उत्पाद निर्यातों के लिए है।
  - vii. कुवैत और सऊदी अरब में बिल्कुल भी मांग नहीं है अथवा बिल्कुल ही कम मांग है। यूएसए के मामले में, 57 प्रतिशत क्षमताएं निर्यातों के लिए स्थापित की गई हैं।
  - viii. यद्यपि चीन जन. गण. वैश्विक रूप से एमईजी के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में अनेक प्रकार के क्षमता विस्तार हुए हैं। चीन के लिए निर्यात अब एशिया में अगले सबसे बड़े ग्राहक अर्थात् भारत को भेजे जाएंगे।
  - ix. जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जिनका कि घरेलू कीमतों पर बहुत ही न्यूनीकरण अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा।
  - x. ये आयात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर हैं। जैसा कि अधिकरण द्वारा, फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में पाया गया है, गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर आयात संकेत के साथ, एक संभावना के विश्लेषण में एक बैरोमीटर का काम करेंगे।
  - xi. घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत और बिक्रियों की कीमत यह दर्शाती है कि शुल्क के अभाव में, आयात कीमत के साथ तुलना करनी होगी और काफी कमतर लाभों पर बिक्री होगी।
  - xii. जांच की अवधि के बाद, आशंका समाप्त हो गई है, क्योंकि आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग के मापदंडों की मात्रा में गिरावट दर्शाई गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और इसने हानि उठाना शुरू कर दिया है।



- झझ. जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि, क्षति की आशंका का निर्धारण करने के लिए काफी संगत है, क्योंकि ऐसी वृद्धि अभी हाल की अवधि से संबंधित है।
- जज. जैसा कि यूएस – सॉफ्टवुड लुम्बर मामले में डब्ल्यूटीओ पैनेल द्वारा पाया गया है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (vii) के तहत मापदंडों की, प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आगे क्षति की आशंका का निर्धारण करने से पूर्व प्रत्येक मापदंड मौजूद हैं।
- टट. प्राधिकारी ने, प्रदान किए गए साक्ष्य के सही होने और पर्याप्त होने की जांच करने और क्षति की मौजूदगी के बारे में प्राधिकारी की संतुष्टि होने के बाद जांच शुरू की थी। यहां तक कि यदि जांच की शुरुआत के समय कोई प्रथमदृष्ट्या राय स्थापित की जाती है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आपत्तियां जानबूझकर की गई हैं। जैसा कि डीटीसी बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया था, प्रथमदृष्ट्या से तात्पर्य किसी तथ्य के स्थापित करने अथवा किसी धारणा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होना, जब तक कि उसे अमान्य अथवा इंकार न कर दिया जाए। जांच की शुरुआत की अवस्था के बाद किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में जांच शुरू करने की अवस्था पर की गई टिप्पणी उचित मानी जाएगी।
- ठठ. जांच की शुरुआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभों, नकदी लाभों और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। इसी ट्रेंड के आधार पर और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, जांच परिणामों की अवस्था में एक भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता।
- डड. जहां तक हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार आया है, अतः यह अनुरोध किया जाता है कि यह घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि का एक स्पष्ट प्रभाव है। जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा फिनोल के मामले में नोट किया गया है। आयातों में गिरावट होना देश में क्षमताओं में ऐसी वृद्धि का एक प्राकृतिक परिणाम है।
- ढढ. अनेक मामलों में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है, जहां पर कि मात्रात्मक मापदंडों में सुधार दर्शाया गया था और आयातों में गिरावट आई थी, जिसका कारण आयातों का प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ना है।
- णण. हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिए हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति “किफायती” इथाइलीन माध्यम की बजाय नेफ्था के उपयोग के कारण से है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास अधिक लाभप्रदता थी, जबकि घरेलू उद्योग पहले नेफ्था माध्यम से अधिक अनुपात में उत्पादन कर रहा था। जैसे-जैसे ईथेन माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हुई, लाभ में तेजी से गिरावट आई। किसी भी तरह से, गैर-आरोपण का विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए मौजूद कारकों के लिए नहीं किया जाता है।
- तत. यहां तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि घरेलू उद्योग को नेफ्था का उपयोग किए जाने से आंशिक रूप से क्षति का सामना करना भी पड़ा है, तो भी यह शुल्क की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि क्षति मार्जिन न्यूनतर है।
- थथ. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है, संबद्ध देशों में स्थित विशेष बाजार स्थिति के कारण निर्यातक कच्ची सामाग्रियों और इनपुट सामाग्रियों, जैसे प्राकृतिक गैस की अनुचित कीमतों पर खरीद करते हैं। इसके बावजूद, वे पाटन का सहारा ले रहे हैं।
- दद. यद्यपि, हितवद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वर्ष 2017-18 असामान्य क्योंकि इससे अत्यधिक मांग है, इसके बाद वर्ष 2018-19 में, जांच की अवधि में कोविड-19 के चलते गिरावट से पूर्व मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रचलित कच्ची सामग्री की लागत पर पहुंच कीमत का अधिक निर्धारण वास्तव में वर्ष 2017-18 में कमतर था बजाय वर्ष 2108-19 के।
- धध. यहां तक कि वर्ष 2017-18 की अवधि को नजरअंदाज किया गया है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2018-19 की तुलना में गिरावट आई है। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 से संबंधित आंकड़े भी प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता वर्ष 2016-17 से भी कमतर हैं।
- नन. चूंकि विभिन्न पहलू और कारक, जो घरेलू उद्योग के समक्ष आई क्षति की समस्या को दर्शा रहे हैं, उन पर प्रकटीकरण विवरण में विचार नहीं किया गया है, अतः घरेलू उद्योग इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्य सुनवाई करने का अनुरोध करता है।
- पप. यद्यपि सऊदी अरब और कुवैत से उत्पादकों ने यह दावा किया है कि उनके पास सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त घरेलू विक्रियां हैं, लेकिन प्रकटीकरण विवरण इसके विपरीत दर्शाते हैं। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है

कि उत्पादकों ने उत्तर दाखिल करते समय प्राधिकारी को जानबूझकर भ्रमित किया है और उनके उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

फफ. यहां तक कि यदि तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में आंकड़ों के बाद की अवस्था में प्रस्तुत किए गए थे, अतः उसका अगोपनीय पाठ परिचालित ही नहीं किया गया था।

बब. घरेलू उद्योग को गैर-क्षतिकारी कीमत का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं किया गया है और इस प्रकार उस पर पर्याप्त टिप्पणियां देने में असमर्थ है।

### ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के पश्चात के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां पुनः की गई हैं, जिनकी पहले ही उचित जांच कर ली गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया जा चुका है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत पाया गया है, उनकी इस प्रकार से जांच की गई है:-
135. पैट्रो राबिघ ने अपने दावे में इस बात को दोहराया है कि सेबिक/सेबिक ग्रुप उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन की व्यक्तिगत दर पैट्रो राबिघ के लिए प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है और इसीलिए यह जांच करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या सेबिक/सेबिक ग्रुप उत्पादकों के लिए निर्धारित की गई पाटन मार्जिन की व्यक्तिगत दर, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए पैट्रो राबिघ के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
136. इक्वेट ग्रुप ने यह दावा किया है कि निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य इस कारण से उपयुक्त नहीं है कि (क) प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत पर विचार करके अपनी प्रक्रिया से हटकर कार्य किया है (ख) प्राधिकारी ने चीन की उपेक्षा की है, क्योंकि यह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है (ग) प्राधिकारी ने पाकिस्तान के लिए निर्यात कीमत पर उपयुक्त कीमत के रूप में विचार किया है (घ) प्राधिकारी ने उपयुक्त कीमत के रूप में ओमान के लिए निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया; (ड.) पैरा के प्रावधान उपयुक्त देश के निर्धारण के लिए लागू करने चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दो वैकल्पिक पद्धतियां प्रदान की गई हैं, जब घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पहला विकल्प यह है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देशों के निर्यात कीमत के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में उत्पादन की लागत व एसजीए व्यय और लाभ के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी ने पहले विकल्प के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसकी सतत प्रक्रिया से कोई विचलन नहीं है।
137. संबद्ध जांच में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुवैत में उत्पादक/निर्यातक ने 4 देशों नामतः चीन जन. गण., पाकिस्तान, भारत और ओमान को एमईजी का निर्यात किया था। कुवैत से दूसरी सबसे बड़ी निर्यातों की मात्रा भारत के लिए थी। कुवैत से तीसरी सबसे बड़ी निर्यातों की मात्रा पाकिस्तान के लिए थी और कुवैत से सबसे कम निर्यातों की मात्रा ओमान के लिए थी।
138. चीन जन. गण. को उपयुक्त तीसरे देश के रूप में विचार में नहीं किया गया था और चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत पर प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया गया क्योंकि चीन जन. गण. को पाटनरोधी जांचों के प्रयोग के लिए एक "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था" के रूप में माना गया है। चीन के लिए निर्यातों की कोई कीमत, चीन के भीतर प्रचलित कीमतों के अनुसार होगी और इसीलिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के कारणों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। पाकिस्तान को उपयुक्त तीसरे देश के रूप में माना गया था और पाकिस्तान के लिए निर्यात कीमत पर प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार किया गया था क्योंकि कुवैत से पाकिस्तान के लिए निर्यात मूल्य चीन जन. गण. और भारत के बाद सबसे अधिक था। कुवैत से ओमान के लिए निर्यात सभी 4 देशों में सबसे कम थे और इसीलिए ओमान पर कुवैत से ओमान के लिए निर्यात कीमत और तुलना के लिए 'उपयुक्त' देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और उसे प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
139. जहां तक पाकिस्तान की कथित अनुपयुक्तता का संबंध है, प्राधिकारी यह जानते हैं कि निर्यात मात्रा की तुलना एक सबसे उपयुक्त आधार होता है, जिससे संबद्ध मात्रा से प्रभावित कीमतों पर विचार किया जाता है।
140. प्राधिकारी यह भी जानते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू होता है।
141. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्ची सामग्री के आयातों के कारण से है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह पूरी तरह से सही है कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग की मौजूदगी के रूप में देखी जानी आवश्यक

- है। जैसा कि अपीलीय निकाय द्वारा भी यूरोपीय संघ – बायोडीजल मामले में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की मौजूद विशेषताओं जैसे कच्ची सामग्री की पहुंच के संबंध में कोई गैर-आरोपण विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है।
142. जहां तक घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत के संबंध में क्षति का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभप्रदता मापदंड और घरेलू बिक्रियों के मात्रा संबंधी मापदंड तथा घरेलू उद्योग का बाजार अंश केवल इसकी संगत घरेलू बिक्रियों से ही संबंधित है।
143. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में जांच की अवधि के दौरान सुधार आया है। साथ ही, उत्पादन की लागत और बिक्री की कीमत, दोनों में गिरावट आई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्री कीमत में गिरावट संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण से है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सुधार आया है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण से क्षति नहीं हो रही है।
144. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में गिरावट का सामना करना पड़ा है जिसका कारण व्याज और मूल्यहास लागतों में वृद्धि होना है। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि क्षति का विश्लेषण संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान किया जाना आवश्यक है, जबकि प्राधिकारी ने लाभप्रदता मानकों के लिए जांच की अवधि और पिछले वर्ष के बीच की प्रवृत्तियों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने समग्र रूप से उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिए क्षति जांच अवधि के लिए आर्थिक मापदंडों का समग्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया है। प्राधिकरण ने अपने परीक्षण को किसी एकल आर्थिक मानदंड तक सीमित नहीं किया है और केवल एंड-टू-एंड तुलना के आधार पर आर्थिक मापदंडों की अपनी परीक्षा को सीमित नहीं किया है। वर्ष 2019-20 से जांच की अवधि तक लाभप्रदता में वृद्धि क्षति विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कारक है।
145. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता मानकों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में आधार वर्ष से 2019-20 तक गिरावट आई है। उसके बाद, जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बिक्री की लागत की तुलना में जांच की अवधि के दौरान अर्जित लाभ का उचित प्रतिशत है। जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत \*\*\*% है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान यह \*\*\*% था। यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 से जांच की अवधि तक बिक्री की लागत में गिरावट बिक्री मूल्य में गिरावट से अधिक है। 2019-20 की तुलना में पीओआई में नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। व्यापक पूंजी निवेश के कारण, जांच की अवधि के दौरान आरओसीई लगभग \*\*\*% है; जो प्रारंभिक अवधि के निवेश के दौरान होता है क्योंकि उत्पाद का निश्चित बाजार आकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान निवेश के इतने बड़े बोझ को अवशोषित नहीं कर सकता है। क्षति मापदंडों का समग्र और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान प्रवृत्तियों का पालन करना अपेक्षित है।
146. पहुंच कीमत में गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने इन जांच परिणामों के संबंधित खंड में इसका समाधान किया है और एक अलग जांच की आवश्यकता नहीं है।
147. जहां तक घरेलू उद्योग के अनुरोधों का संबंध है, वे प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर है – (क) क्षति जांच को केवल विगत वर्ष के साथ तुलना तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, (ख) लाभों में गिरावट यह दर्शाती है कि उद्योग ने क्षति का सामना किया है, (ग) प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय यह नोट किया था कि लाभप्रदता में गिरावट के रूप में प्रथमदृष्ट्या क्षति हुई है, (घ) प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या यह पाया था कि घरेलू उद्योग ने विगत वर्ष की जांच की अवधि में क्षति का सामना किया था और वर्ष 2019-20 की क्षति की अवधि थी और इसीलिए तत्काल विगत वर्ष के साथ तुलना करना उपयुक्त नहीं था। चूंकि प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के संगत खंड में वास्तविक क्षति की मौजूदगी के मामले पर इन जांच परिणामों पर विस्तार से जांच कर ली है, अतः घरेलू उद्योग के इन तर्कों की अलग से आगे जांच करना आवश्यक नहीं है। जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया टिप्पणियां थीं और प्राधिकरण द्वारा निर्णायक निर्धारण नहीं मानी जाएंगी। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विस्तृत विचार करने के बाद तत्काल अंतिम जांच परिणाम में अपने निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
148. घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि आयात की कीमतों में गिरावट माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की लागत से कम है, और बिक्री मूल्य में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक है। प्राधिकारी ने इन निष्कर्षों के संबंधित खंडों में इस तर्क की जांच की है, और इसलिए एक अलग जांच की आवश्यकता नहीं है।
149. इस दावे के संबंध में कि बिक्री में कमी के कारण घरेलू उद्योग को अपने संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वृद्धि के बावजूद उच्च स्तर पर है। वर्ष 2018-19 में उत्पादन क्षमता में। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा काफी अधिक रही है।

150. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उसे निर्यात बाजारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि घरेलू बाजार में कीमतें निर्यात बाजार की तुलना में अधिक लाभकारी हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी उच्च स्तर पर रहा है, जो अच्छे घरेलू प्रदर्शन को दर्शाता है। घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी, जब भारत में कुल घरेलू मांग निम्नतम स्तर पर थी।
151. जहां तक पीसीएन-वार तुलना का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि अधिसूचना की शुरुआत में यह स्पष्ट हो गया है कि उस अवस्था में कोई पीसीएन-वार विश्लेषण करने का प्रस्ताव नहीं था। जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यह भी प्रदान किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित फार्म में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध करने चाहिए। पीसीएन के लिए जरूरत के संबंध में कोई भी अनुरोध इसी अवस्था में ही किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि कोई पीसीएन प्रणाली अपनाई भी गई है तो प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक सूचना की मांग करनी होगी। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने इस अवस्था में या मौखिक सुनवाई के दौरान या इसके लिए दाखिल किए गए लिखित अनुरोधों के समय भी पीसीएन की जरूरत के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया था।

#### ठ. निष्कर्ष

152. प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्राप्त सूचना, किए गए अनुरोधों और उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज हैं और घरेलू उद्योग के पाटन और उसके परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार क्षति होने का निर्धारण किए जाने के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:-
- क. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार पाटन हुआ है।
- ख. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में उत्पादन व खपत के संदर्भ में गिरावट आई है। क्षति जांच अवधि के दौरान कुल मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट आई है।
- ग. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से अधिक है।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ड. उपलब्ध सूचना की जांच से पता चलता है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण दमन या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं पड़ा।
- च. घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। नए निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

#### ड. सिफारिशें

153. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति और तत्संबंधी कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
154. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करके, और उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषणों के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक क्षति का सामना नहीं कर रहा है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते। अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) और नियम 17 (1) (क) (ii) तथा नियम 11 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क और 9ख के प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना सं. एफ. सं. 6/8/2021-डीजीटीआर के तहत शुरू की गई वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

#### ढ. आगे की प्रक्रिया

155. इस अधिसूचना के खिलाफ कोई भी अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और मै० ज़िंदल पॉलि फिल्म लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 8202/2017 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्णय के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 27th October, 2022

**Subject :** Anti-dumping investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycol (MEG)” originating or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 6/8/2021-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the AD Rules”) thereof:

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application from India Glycols Limited (IGL) and Reliance Industries Limited (RIL) (hereinafter also referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) requesting for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Mono Ethylene Glycol or MEG (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) from Kuwait, Saudi Arabia and USA (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of a duly documented petition and prima-facie evidence submitted by the applicants, issued a notification F. No. 6/8/2021-DGTR, dated 28<sup>th</sup> June 2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods from Kuwait, Saudi Arabia and USA and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regards to the subject investigation:
  - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
  - b. The Authority issued a public notice dated 28<sup>th</sup> June 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from Kuwait, Saudi Arabia and USA.
  - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 28<sup>th</sup> June 2021, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per the information made available by the applicants. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within 30 days, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules. However, upon request from the interested parties, the time limit for making submissions was extended up to 7<sup>th</sup> September 2021.
  - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants to the known producers / exporters from the subject countries and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
  - f. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating an anti-dumping investigation to the following known producers / exporters in the subject countries giving them an opportunity to make their submissions known in accordance with the Rule 6(4) of the Rules:

- i. Equate Petrochemical Company, Kuwait
- ii. The Kuwait Olefins Company (TKOC), Kuwait
- iii. Arabian Petrochemical Company, Saudi Arabia
- iv. Eastern Petrochemical Company (SHARQ), Saudi Arabia
- v. Jana Jubail Chemical Industries Co., Saudi Arabia
- vi. Jubail United Petrochemical Company, Saudi Arabia
- vii. Rabigh Refining and Petrochemical Company, Saudi Arabia
- viii. Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
- ix. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
- x. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
- xi. Saudi Mechanical Industries Co. Limited, Saudi Arabia
- xii. Saudi Yanbu Petrochemical Company, Saudi Arabia
- xiii. Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Saudi Arabia
- xiv. Formosa Plastics, USA
- xv. Lotte Group, USA
- xvi. MEGlobal Americas Inc., USA
- xvii. Shell Chemicals Geismar I and II, USA
- g. The following producers / exporters have filed response to the exporter's questionnaire:
  - i. Arabian Petrochemical Company (Petrokemya), Saudi Arabia
  - ii. Eastern Petrochemical Company (SHARQ), Saudi Arabia
  - iii. Equate Petrochemical Company, Kuwait
  - iv. ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore
  - v. Jubail United Petrochemical Company (United), Saudi Arabia
  - vi. MEGlobal International FZE, UAE
  - vii. Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte. Limited, Singapore
  - viii. Mitsubishi Corporation, Japan
  - ix. Nan Ya Plastics Corporation, America, USA
  - x. Nan Ya Plastics Corporation, Texas, USA
  - xi. Rabigh Refining and Petrochemical Company, Saudi Arabia
  - xii. SABIC Asia Pacific Pte. Limited, Singapore
  - xiii. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
  - xiv. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
  - xv. Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia
  - xvi. SPDC Limited, Japan
  - xvii. The Kuwait Olefins Company KSCC (TKOC), Kuwait
  - xviii. Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Saudi Arabia
- h. Further, Sadara Chemical Company filed a letter before the Authority clarifying that it had not exported the subject goods to India during the period of investigation.
- i. The Authority sent Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. Alok Industries Limited

- ii. Bhilosa Industries Private Limited
  - iii. Chiripal Poly Films Limited
  - iv. DNH Spinners Private Limited
  - v. Dow Chemical International Private Limited
  - vi. Filatex India Limited
  - vii. Futura Polyesters Limited
  - viii. Garden Silk Mills Limited
  - ix. Gokulanand Petrofibers
  - x. Indorama Synthetics Limited
  - xi. IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
  - xii. JBF Industries Limited
  - xiii. Jindal Poly Films
  - xiv. KLJ Resources Limited
  - xv. Rashmi Polyfab Private Limited
  - xvi. Sanathan Textiles Private Limited
  - xvii. Shree Durga Syntex Private Limited
  - xviii. Shubhalakshmi Polyesters Limited
  - xix. SRF Limited
  - xx. Starchem Polytrade Private Limited
  - xxi. Starlon Exim Private Limited
  - xxii. Sumeet Industries Limited
  - xxiii. The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Limited
  - xxiv. Wellknown Polyesters Limited
- j. The following importers / users have filed response to the questionnaires issued by the Authority:
- i. Bhilosa Industries Private Limited
  - ii. Filatex India Limited
  - iii. Garden Silk Mills Limited
  - iv. Indo Rama Synthetics (India) Limited
  - v. IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
  - vi. Jindal Poly Film Limited
  - vii. KLJ Resources
  - viii. Sanathan Textiles Private Limited
  - ix. The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Limited
- k. The Authority also sent notification to the following Associations asking them to intimate all their members regarding the initiation of the investigation and submit responses / comments, if any:
- i. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
  - ii. Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA)
  - iii. Confederation of Indian Industry (CII)
  - iv. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
- l. The following Associations have filed letters / submissions and have participated in the present investigation:

- i. Textile Association (India) - Delhi
- ii. PTA Users Association
- m. Written submissions were also received from the Government of Kingdom of Saudi Arabia and Embassy of State of Kuwait during the course of the investigation.
- n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 9 December 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential version of their written submissions with other interested parties.
- o. In accordance with the provisions of Rule 17(1)(a), the Central Government extended the time period for extension of investigation by three months, till 27<sup>th</sup> September 2022.
- p. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> January 2020 to 31<sup>st</sup> December 2020 (12 months). The injury analysis period includes 2017-18, 2018-19, 2019-2020 and the period of investigation.
- q. Transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the DGCI&S. The Authority has relied upon data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- r. Further information was sought from the applicants to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- s. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- t. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- u. The submissions and arguments made by the interested parties and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- v. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, by verifying the data / documents submitted by the domestic industry to the extent possible.
- w. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- y. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 23<sup>rd</sup> September, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.



Z. \*\*\* in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

aa. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 74.99.

### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

*“3. The product under consideration for the purpose of the present investigation is Mono Ethylene Glycol, also known as MEG or Ethylene Glycol. Mono Ethylene Glycol is a clear, colourless, virtually odourless, and slightly viscous liquid. It is miscible with water, alcohols, and many organic compounds. Its chemical formula is C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>. It can be stored in stainless steel, aluminium, or lined drums, tank cars or tank trucks. It has a specific gravity of 1.114 and a flash point of 110 °C (closed cup).”*

#### **C.1. Submissions made by other interested parties**

5. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- a. Bio-MEG produced and sold by IGL is a different product considering the difference in production process. RIL produces MEG using naphtha or ethane whereas IGL produces Bio-MEG using molasses.
- b. Bio-MEG is not generally sold in India but exported to companies who want to earn carbon credits, and as such, RIL and IGL are not catering to the same customers.
- c. Producers in Saudi Arabia have not exported Bio-MEG to India.
- d. The Authority may kindly analyse the need for formulating a PCN for the purpose of injury analysis, considering the difference in raw materials and production process of Bio-MEG and MEG.

#### **C.2. Submissions made by the domestic industry**

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- a. The domestic industry has produced like articles to the subject goods imported from the subject countries.
- b. The domestic industry has produced three types of MEG, namely fibre-grade, technical / non-fibre grade and Bio-MEG. While fibre-grade and technical / non-fibre grade MEG are produced using ethylene made from ethane, propane, butane, naphtha, etc., Bio-MEG is produced using ethylene made from bio-ethanol.
- c. Bio-MEG produced by IGL is same as the fibre-grade and technical / non-fibre grade MEG produced by RIL and imported from the subject countries, in terms of physical and technical characteristics as well as end-uses.
- d. Mere difference in the inputs used for production of ethylene, which is the major raw material, cannot render the product as unlike products, as per the practice of the Authority in the case of Sodium Hydrosulphite from China PR and Korea RP.

#### **C.3. Examination by the Authority**

7. The product under consideration in the present investigation is Mono Ethylene Glycol, also known as MEG or Ethylene Glycol. Mono Ethylene Glycol is a clear, colourless, odourless, and slightly viscous liquid. It is miscible with water, alcohols, and many organic compounds. Its chemical formula is C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>. It can be stored in stainless steel, aluminium, or lined drums, tank cars or tank trucks. It has a specific gravity of 1.114 and a flash point of 110 °C (closed cup).
8. Mono Ethylene Glycol is majorly used as a chemical intermediate in the production of polyester fibres, polyester films, and resins such as polyethylene terephthalate (PET). PET is converted into plastic bottles which are used globally. Further, MEG is also used in the fibre treatment of textiles, the paper industry, and in adhesives, inks, and cellophane due to its humectant properties. It is also used as a dehydration agent in natural gas pipelines where it inhibits the formation of natural gas clathrates before being recovered from the gas and reused.
9. Mono Ethylene Glycol is generally produced using two basic raw materials, ethylene and oxygen. Ethylene and oxygen are combined to produce ethylene oxide (EO) in a multi-tubular catalytic reactor. The highly exothermic reaction is carefully controlled with proprietary and effective safety systems developed by

scientific design. EO produced in the reactor is separated to high quality purified EO and/or is further processed to produce fiber-grade Mono Ethylene Glycol (MEG) as well as di- and tri- ethylene glycols (DEG, TEG).

10. With regard to the claim that Bio-MEG produced using ethylene made from bio-ethanol is different than MEG produced using ethylene made from ethane, propane, butane, naphtha, etc., it is noted that Bio-MEG has essentially same technical / physical characteristics as MEG produced using ethylene made from ethane, propane, butane, naphtha etc. Both the products are produced using the same raw material, namely ethylene. The fact that the production process of the raw material, ethylene, is different is not relevant. Further, the domestic industry has submitted that both types of MEG are used for the same applications and various customers use both types of MEG interchangeably. Therefore, it is noted that Bio-MEG and MEG produced from ethane/propane/butane are not different products.
11. As regards the request for a separate PCN-wise examination, it is noted that none of the interested parties have raised this request in response to the notice of initiation. Rather, the request for a PCN-wise analysis has been made only at the belated stage of rejoinder submissions, i.e. much after the submission of all responses and other information. Moreover, there is no difference between Bio-MEG and MEG as such. Accordingly, the Authority does not find it appropriate to conduct PCN wise analysis.
12. The product under consideration is classifiable under Chapter 29 under the tariff code 2905 31 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
13. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **D.1. Submissions made by the other interested parties**

14. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
  - a. The Authority must call for information from IOCL, as done in the case of PTA where information was submitted a day before the issuance of disclosure statement.
  - b. The Authority must also request BPCL to provide their project report, to analyse the prospects which the producer has seen and decided to make investment, despite alleged material injury and severe threat of material injury

##### **D.2. Submissions made by the domestic industry**

15. The following submissions have been made by the applicants with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a. The application has been filed by India Glycols Limited (IGL) and Reliance Industries Limited (RIL), who account for a major proportion of the total domestic production in the country and satisfy the requirements under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.
  - b. The applicants have not imported the subject goods and are not related to any foreign producers / exporters of subject goods or importers of subject goods in India.
  - c. The applicants have no reservations with regards to any information being sought from Indian Oil Corporation Limited, the other producer of the subject goods and Bharat Petroleum Corporation Limited, which is in the process of setting up a plant.

##### **D.3. Examination by the Authority**

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves*

*importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

17. The application has been filed by India Glycols Limited and Reliance Industries Limited. The applicants are neither related to any producers or exporter of the subject goods in the subject countries or importers of subject goods in India, nor have they imported subject goods from the subject countries. There is one other producer of the subject goods in the country, Indian Oil Corporation Limited, which has neither supported nor opposed the present investigation.
18. The other interested parties had submitted during the oral hearing that Indian Oil Corporation must be called upon to participate in the investigation and submit its information. It is noted that the Authority or the applicants cannot compel any party to participate in an investigation and submit information. The Authority is only required to ascertain whether the applicants' production meets the requirement of the domestic industry under the law. However, it is noted that Indian Oil Corporation has submitted a letter claiming that they are also suffering because of dumped imports from middle east countries.
19. The total domestic production has been determined on the basis of the details provided by the applicants. The applicants account for more than 80% of the total domestic production in India. Further, none of the other producers have supported or opposed the present investigation. The Authority therefore holds that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti- Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submissions made by the other interested parties**

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
  - a. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and have failed to provide a non-confidential summary of productivity, export price, R&D expenses, funds raised, return on investment, alleged capacity expansion in the subject countries and costs of the domestic industry.
  - b. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to capacity, production, capacity utilization and sales.
  - c. The domestic industry has not provided information with regard to constructed normal value.
  - d. The domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to manufacturing process, volume and value of production by other producers and non-injurious price calculation which is in violation of Trade Notice No. 1/2013 and 10/2018.
  - e. Policies relating to purchase, sales, accounting, cost accounting and quality control procedure and information contained in Section-VI have been claimed confidential without any reason.
  - f. Information relating to utilities consumption, cost of production, raw material and packing material consumption for the period of investigation and injury period has not been provided even in indexed form.
  - g. The domestic industry must be compelled to provide the information requested under the relevant trade notice which is a practice followed by the Authority.
  - h. The Authority has failed to request meaningful summary of confidential information from the domestic industry, which has violated Article 6.5.1 and has impaired the right to defense of the Kingdom of Saudi Arabia.
  - i. Neither the Authority nor the domestic industry thus far have provided the transaction-wise import data in Excel to all the interested parties which is in violation of the decision taken in Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority.
  - j. The information relating to the specifics of Indian customers and supply chain was claimed confidential since the domestic industry are potential competitors and disclosure of which may result in prejudice to business interest of Mitsubishi Corporation, which is in consistence with the approach taken in "Uncoated Copier Paper" from Indonesia and Singapore. However, in the interest of cooperation, Mitsubishi Corporation is now disclosing that it supplies the subject goods to un-related end users in India.
  - k. Mitsubishi Corporation being a purely trading company, its operating margins are business- sensitive and highly confidential information that needs to be protected from the competitor trading entities and therefore the performance selling price and cost of MEG have not been disclosed. However, such

information is available with the Authority and thus does not hamper the investigation or prejudice the interested parties. As per Trade Notice 10/2018, the Authority may permit deviation from the guidelines contained therein.

- l. There is no requirement to disclose channel of sales and distribution as per Trade Notice 10/2018.
- m. The applicants have not placed any evidence on record regarding any publicly available information not shared by ExxonMobil.
- n. Nan Ya Plastics Corporation has filed complete information. Certain information such as related party transactions have not been provided in the non-confidential version as the same is business sensitive in nature.
- o. Wood Mackenzie Report has not been shared even though Trade Notice 1/2013 states that that information available in public domain should be disclosed. The Authority being quasi-judicial is bound to follow principles of natural justice.
- p. With regard to claims of non-disclosure of information pertaining to purchase of raw materials and inputs, it is submitted that such information is not available in the public domain and thus cannot be disclosed.
- q. The domestic industry has failed to substantiate the claim that information relating to corporate structure of SABIC is available in the public domain.

## **E.2. Submissions made by the domestic industry**

21. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
  - a. Some of the responding producers have claimed their entire channel of distribution as confidential, preventing the domestic industry from commenting on completeness of the value chain.
  - b. Mitsubishi Corporation has claimed their entire performance parameters as confidential.
  - c. Disclosure of trends pertaining to sales quantity, selling prices etc. cannot result in disclosure of any confidential business proprietary information of Mitsubishi Corporation.
  - d. All the responding producers have claimed complete confidentiality on whether raw materials are purchased or captively produced. Further, information regarding purchase of raw material and utilities from related parties has also been claimed as confidential.
  - e. Adjustments claimed with reference to normal value and export price have also been claimed to be confidential.
  - f. The responding producers have not provided information regarding (i) related entities involved in the production and sale of subject goods, (ii) ownership of own company or holding group, (iii) financial and contractual link, (iv) list of products produced and (v) audited financial statements, even where such information is publicly available.
  - g. The foreign producers have not provided information regarding write-up of manufacturing process and raw materials used, in violation of Trade Notice 10/2018.
  - h. The foreign producers have claimed complete confidentiality regarding details about production facilities, adjustment for start-up cost and post-invoicing discounts, if any.
  - i. Disclosure of information pertaining to capacity, sales volume and value, production and costs of the domestic industry would adversely impact the domestic producers in inter-se competition, competition with other producers, and their ability to negotiate prices. Further, the GCC-TSAIP itself considers such information as confidential.
  - j. Since the R&D expenses and fund raised were not identifiable separately for the subject goods, the same can be taken from publicly available financial statements.
  - k. Since the constructed normal value is based on the conversion cost of domestic industry, disclosure of the same would be highly prejudicial to the competitive interests of the domestic industry.
  - l. Transaction-wise import data is provided in PDF format as required under Trade Notice 7/2018. Further, the CESTAT order in Exotic Décor v. Designated Authority, was issued when the Authority did not authorize interested parties to obtain data directly from the DGCI&S.

- m. The domestic industry has disclosed non-injurious price and injury margin in range.
- n. Since there exists only one other domestic producer in the country, disclosure of its volume of production of one would result in disclosure of actual data of the other producer. Thus, the total Indian production has been duly disclosed.
- o. Information contained in Section VI is business proprietary information and cannot be disclosed to the interested parties.

### **E.3. Examination by the Authority**

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of their submissions with each other through e-mails.
24. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed information pertaining to capacity, production, sales, return on investment, costs and information contained in Section-VI. The Authority notes that such information is confidential by nature, and has accepted the confidentiality claimed by the domestic industry.
25. With regards to information relating to the volume and value of production of the other producers, it is noted that since there exists only one other producer of MEG in the country other than the applicants, disclosure of the volume of production of such producer would lead to disclosure of the actual information of such producer, which would be detrimental to the competitive interest of the producer. However, the total domestic production has been disclosed.
26. The other interested parties have also claimed that the domestic industry has failed to disclose their manufacturing process. The Authority notes that a brief write-up of the manufacturing process along with the raw materials used has been provided in the non-confidential version of the petition. The interested parties have contended that the domestic industry has not disclosed the R&D expenses and funds raised. The Authority notes that the domestic industry has explained that such information was not identifiable separately for the product under consideration in the financial statements. The interested parties have not explained the prejudice caused to them by non-disclosure of such information.
27. With regards to the DGCIS data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to volume & value of the imports from exporting countries into India. Further, the applicants have provided a complete list of transaction wise import data. The Authority holds that procedure for sharing and procuring the import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15<sup>th</sup> March 2018 and the Authority notes that the procedure now being applied is consistent and uniform across all interested parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
28. With regard to non-disclosure of constructed normal value, it is noted that the normal value determined at the stage of initiation was based on conversion of cost of production of the domestic industry. The disclosure of such information would have a significant adverse impact on the competitive interests of the domestic industry. In any case the dumping margin determined based on such normal value has been provided in range.

29. With regard to the claim that the domestic industry has failed to provide the Wood Mackenzie report along with the non-confidential submissions, it is noted that the domestic industry has submitted that the report is a third party information which it is not authorized to disclose. Therefore, the Authority holds that the domestic industry has not claimed excessive confidentiality on this count.
30. With regard to the contentions of the domestic industry concerning the excess confidentiality claimed by the responding foreign producers / exporters, it is noted that the Authority has examined the confidentiality claims made by the responding foreign producers / exporters and on being satisfied the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted.

## **F. MISCELLANEOUS ISSUES**

### **F.1. Submissions made by the other interested parties**

31. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- a. The initiation of the investigation was not appropriate as the domestic industry was required to provide reasonably relevant evidence necessary to support a prima facie case.
  - b. As held by the Panel in Guatemala – Cement II, an investigation can be initiated only if there is sufficient evidence to justify the same, which was not present in this case. The type of information sufficient to impose anti-dumping duty is the type of information that must be provided to initiate an investigation. Such position was also taken by the Panel in US – Softwood Lumber and Mexico – Steel Pipes and Tubes.
  - c. The domestic industry has requested initiation of investigation only four months after willfully requesting termination of previous investigation concerning same product, without providing additional grounds that justify such initiation. Since repeated investigations concerning the same product have a trade chilling effect and impact the stability and predictability of market access. The Authority must consider economic, commercial and policy implications before initiating the investigation.
  - d. The initiation of back-to-back investigations against Kuwait is disruptive of trade.
  - e. The new petition filed by the domestic industry is targeting the same imports just after termination of the previous investigation, even though the Authority did not find any dumping, injury and causal link in the previous investigation.
  - f. India has initiated 24 investigations concerning imports from Saudi Arabia, particularly for chemical and petrochemical products, while GCC has initiated only 2 investigations against Indian imports. This has impacted Saudi Arabian exports and has negated its natural comparative advantage.
  - g. India targets exports from Saudi Arabia the most as it has initiated as many investigations as all the other WTO members put together. Anti-dumping instrument should only be used in exceptional circumstances and when the conditions set forth in the Anti-Dumping Agreement are satisfied.
  - h. Saudi Arabia is the fourth largest trading partner for India and a major energy supplier. Excluding fuels, India has a trade surplus with Saudi Arabia, and exports from India to Saudi Arabia have been increasing in the last three years.
  - i. The period of investigation and preceding year, 2019-20, have three common months. Comparison of two similar sets of data does not provide an unbiased picture. in line with the findings of Appellate Body in Mexico – Anti-Dumping on Rice.
  - j. The domestic industry should have provided data for the period of investigation as well as calendar years 2017, 2018 and 2019 which would provide an objective assessment.
  - k. The period of investigation determined is not appropriate as it is affected by Covid-19, and the lockdowns imposed pursuant to that.
  - l. The domestic industry should not be allowed to file submissions at any stage of the investigation as it wishes. Regardless the name of the association, the members are users and importers of MEG and thus, are interested parties in the present investigation.

### **F.2. Submissions made by the domestic industry**

32. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- a. PTA Users Association cannot be considered as an interested party since it has participated as an association of PTA users and not MEG users, in investigations before the Authority and before courts.

- b. The PTA Users Association has not addressed the concerns raised by the domestic industry regarding its status as an interested party. It is merely being used as a platform to raise baseless objections in mala fide manner.
- c. PTA Users Association has misled the Authority by identifying itself as Polyester Textiles and Apparel Association since none of the members of the association are users of polyester textile or apparel but producers of the upstream product. Further, every individual in the country is a user of polyester textile and apparels, but is not a member of the Association.
- d. PTA Users Association identifying itself as Polyester Textile and Apparel Association amounts to misrepresentation of facts having previously appeared before the Authority and higher courts as association of PTA users.
- e. The bylaws of the Association must be examined to establish if it is authorized to represent the interests of MEG users.
- f. The responding producers / exporters must provide a detailed checklist to establish the completeness of response and the Authority must disallow addition of any new information beyond the response, which has been the case in the investigation on Glass fibre from Bahrain and Egypt.
- g. Contrary to the claim of the other interested parties, the Authority satisfied itself as to the accuracy and adequacy of the evidence presented in the petition at the stage of initiation itself.
- h. Initiation of investigation only requires a prima facie satisfaction of the Authority, as held by the Rajasthan High Court in Rajasthan Textile Mills Association vs. Dir. General of Anti-Dumping and by the Tribunal in Huawei Technologies Co. Limited vs. DA and Automotive Tyre Manufacturer's Association vs. DA.
- i. The domestic industry is only required to provide information reasonably available to it, which was shared in the petition itself, as held by WTO Panel in US – Softwood Lumber.
- j. Initiation of fresh investigation post-termination is not prohibited under any law. Further, while India had earlier proposed in 1999 and 2002 that back-to-back investigations be discouraged but the same was rejected by the WTO members, including Saudi Arabia.
- k. Contrary to the claims of the interested parties, the Authority made no determinations regarding dumping or injury in the previous investigation and the investigation was withdrawn by the domestic industry itself.
- l. While India has initiated 24 investigations against Saudi Arabia, it has imposed duties only against a few products.
- m. Initiation of multiple trade remedial investigations against Saudi Arabia is on account of high trade between the countries and price sensitivity of Indian market, leaving high chances of unfair trade practices.
- n. Exports from Saudi Arabia to India are nearly 4 times than exports from India to Saudi Arabia and as such, India has a trade deficit in fuels, fertilisers, plastics, organic and inorganic chemicals.
- o. The domestic industry has not made any large gains on account of initiation of present investigation, as claimed by other interested parties, since it is still earning a very low rate of return due to dumping of subject goods.
- p. The period of investigation and injury period in the present investigation are in line with Trade Notice Nos. 2/2021 and 2/2004, which allow overlap between period of investigation and previous years to ensure no gap between the injury period. Further, it is provided that injury period must comprise of previous three financial years.
- q. While the Governments of the subject countries have raised objections regarding overlapping period of three months in the injury period and consideration of equivalent period as injury period, the GCC-TSAIP in its investigation concerning tiles from India has not adopted a similar approach.
- r. Observations of WTO Appellate Body in Mexico – Beef and Rice are not applicable to the present case since the period of investigation is determined based on most recent period and no period has been selectively removed from injury analysis.
- s. While the domestic industry raised arguments regarding particular market situation prior to initiation, none of the interested parties presented any factual submissions to disprove such claims.

**F.3. Examination by the Authority**

33. The other interested parties have questioned the appropriateness of the initiation of the investigation and have contended that the domestic industry should have provided relevant evidence to support a prima facie case.
34. The Authority notes that the investigation was initiated based on proper evidence. It is further noted that a determination regarding imposition or non-imposition of duty is based on the information that flows during the course of the investigation. Article 5.2 of the Agreement provides that an application for initiation of anti-dumping investigation must contain information as is reasonably available to the applicant. Further, at the time of initiation, the Authority is only required to prima facie satisfy itself of the evidence regarding dumping, injury and the causal link. The Hon'ble Rajasthan High Court in the case of Rajasthan Textile Mills Association vs. Dir. General of Anti-Dumping [2002 (149) E.L.T. 45 (Raj.)] while interpreting the observations of the WTO Panel in Guatemala – Cement-II, held as follows –

*“37. ... The Panel dealing with the accuracy and adequacy of evidence observed that if the information supplied in the application is all that reasonably available to the applicant as required by Article 5.2, the investigating authority is justified in initiating the investigation. At the stage of justification of initiation of investigation, the Designated Authority is not required to hold a detailed inquiry but he has to prima facie satisfy as to whether the application is supported by the evidence in relation to dumping, injury and causal link between the dumped import and alleged injury.”*

35. Hon'ble CESTAT too in Automotive Tyre Manufacturers' Association Vs. Designated Authority has taken the view that the nature of evidence required for the purpose of initiation may not be of the same quality and quantity as required for final imposition of duty. In the present case, the applicants submitted information and evidence as was reasonably available to them. Having been satisfied with the prima facie evidence placed before it, the Authority initiated the investigation.
36. The other interested parties have also raised concerns regarding the initiation of present investigation soon after termination of the investigation initiated earlier. It is noted that under the WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-dumping Rules, there exists no such restriction with regard to time gap between termination of an investigation and subsequent initiation of investigation against the same product. Further, no finding regarding dumping, injury or causal link was made by the Authority in the previous investigation and the same was terminated due to withdrawal of petition on the request of the domestic industry.
37. The Authority also notes that while the interested parties have claimed that there is a trade chilling effect of such investigations and initiation of investigation after recent termination confers undue gains on the domestic industry, the Authority further notes that WTO members are allowed to conduct anti-dumping investigations to remedy the injury caused to the industry due to dumping, as and when it happens. Anti-dumping investigations conducted within the purview of the WTO Anti-dumping Agreement cannot be considered as violating any concessions granted under the WTO Agreements. The purpose of anti-dumping investigation and subsequent measures is not to restrict or hamper trade. The imposition of anti-dumping measures would only ensure that no unfair advantage is gained by the dumping practices, while remedying injury caused to the domestic industry and ensure availability of fairly priced goods in the market.
38. With regard to the issues concerning the period of investigation and injury period, it is noted that Rule 5 (3A) of the Rules provides that the period of investigation shall not be older than six months at the time of initiation of investigation. Further, as per Trade Notice No. 2/2004 dated 12<sup>th</sup> May 2004, the injury period must comprise of the period of investigation and previous three financial years, which may overlap in order to avoid any gaps during such period. The period of investigation and the injury period in the present investigation satisfy the requirements of the Anti-Dumping Rules and the Trade Notices issued by the Authority in this regard.
39. As regards the argument that the domestic industry has raised issue of particular market situation belatedly, the Authority notes that the issue regarding particular market situation prevailing in Saudi Arabia and Kuwait was raised by the domestic industry in its application and this issue was duly noted in the initiation notice itself. Accordingly, the submissions made by interested parties that the issue of particular market situation was raised belatedly, cannot be accepted.
40. The domestic industry has raised concerns with regard to participation by the PTA Users Association as an interested party in the present investigation. It has been claimed that such Association cannot be an interested party since it is an Association of PTA Users and not MEG users. The Authority notes that members of this Association are also users of MEG and therefore PTA Users Association has locus standi to participate as an interested party in this investigation.

**G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN****G.1. Submissions made by the other interested parties**

41. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to determination of normal value, export price and dumping margin.



- a. There is no change in the allegations concerning particular market situation as compared to the previous investigation, which was terminated due to withdrawal of application by the domestic industry.
- b. The domestic industry has constructed normal value using cost of production without justifying the statutory exceptions under Article 2.2.
- c. The domestic industry has not provided evidence of efforts made to obtain the domestic prices prevailing in Saudi Arabia. Limited access to information cannot be ground for not considering domestic prices in the subject country for determination of normal value under Article 2.2.
- d. The domestic industry used the cost structure of Indian producers of MEG to construct the normal value for Kuwait, which is not in line with the requirements of Section 9A(1)(c)(ii)(b) of the Customs Tariff Act because costs in India and Kuwait are different.
- e. The normal value submitted by the domestic industry is higher by 80% to 224% than the actual cost of production in Kuwait.
- f. The domestic industry has not provided evidence to show existence of particular market situation with regard to MEG, and has merely alleged that government intervention in feedstock leads to particular market situation for MEG in Saudi Arabia and Kuwait.
- g. There is no basis to conclude that state ownership or control automatically implies “particular market situation” within the Anti-Dumping Agreement, in absence of any government control over the prices.
- h. Practices from different jurisdictions such as Canada, European Union, UK and Australia as well as practice in India substantiate that government control does not ipso facto result in a particular market situation.
- i. Contrary to the submissions of the applicants, Article 6(a)(b) of Regulation (EU) 2016/1036 refers to the right of the Commission to disregard prices or costs in case of significant distortions, which is different from disregarding the domestic market sales due to particular market situation.
- j. While the domestic industry has claimed that EQUATE and TKOC are government-owned entities, they are owned in majority by private investors.
- k. Contrary to the submissions of the applicants, the CEO of KPC is a professional executive and not the Minister of Oil. While PIC is a partial owner of EQUATE and TKOC, KPC does not own these entities.
- l. Since there are no representative domestic sales in Kuwait, the allegation of particular market situation is irrelevant.
- m. The US DOC has also rejected the allegations of particular market situation based only on existence of government control over prices in the investigations concerning certain cold rolled and corrosion resistant carbon steel flat products from Korea RP and certain durum wheat and hard red spring wheat from Canada.
- n. The three situations mentioned in Article 2.2, including the particular market situation, are only in the context of the “like product” or the product under consideration, and not in the context of input cost or raw material cost.
- o. While Canada, USA and EU amended their law to include the raw material distortions under the ambit of particular market situation, no such amendment has been made in the Indian law.
- p. Reliance on the findings of the Authority in the case of polypropylene is not appropriate as such findings predate the recent interpretation by the Appellate Body.
- q. Regulated pricing of feedstock is consistent with WTO rules. In absence of any additional comments with regard to such regulated pricing in the Accession Protocol, as in the case of China, the prices of feedstock cannot be rejected by a WTO member.
- r. Regulated pricing does not mean distorted pricing, as prices at which feedstock are supplied are commercially based and ensure the full recovery of production costs and a reasonable profit. Government of India maintains price regulations in a number of products as well.
- s. The feedstock is available to all users within Saudi Arabia on a non-discriminatory basis.
- t. The Trade Policy Review reveals that the price regulation for natural gas and ethane is intended to ensure that licensees realize a commercial rate of return suitable for the development and exploitation of natural gas resources in the Kingdom.

- u. The domestic pricing of NGLs is commercially based. The Council of Ministers Regulation set out a detailed formula for ensuring that the prices of NGLs are based on international market prices, adjusted for cost-based and other commercial considerations.
- v. There is a difference between actual prices and the published prices on account of differences in terms of sale, after-sale price adjustments, discounts, etc.
- w. The feedstock prices are lower in the Middle East and US because of the regional advantage of oil abundancy and production/supply chain efficiencies.
- x. With regard to the submission of the applicants that the consumers are buying at the lowest prices without long term procurement policies, it is submitted that commercial decisions of consumers cannot be addressed by the Authority.
- y. Since the producers in the country produce ethylene from ethane, and not naphtha, their cost of production is lower.
- z. The cracker plants in Saudi Arabia are located very close to the plant producing downstream products leading to overall efficiency in production costs. By comparison, in India, RIL is forced to import ethane, which entails very high costs.
- aa. The cost of ethylene in USA (260 USD per MT) and Saudi Arabia (200 USD per MT) is much lower than the price in India (500 USD per MT). The difference is on account of natural advantages.
- bb. As the price of feedstock used for the production of domestically-sold and exported MEG is identical, there cannot be a particular market situation within the meaning of Article 2.2.
- cc. Absence of particular market situation in Saudi Arabia has been confirmed in final findings of the DGTR in more than 20 anti-dumping investigations against Saudi Arabia namely Clear Float Glass from Pakistan, Saudi Arabia and UAE, Normal Butanol or N Butyl Alcohol and Pentaerythritol from Saudi Arabia etc.
- dd. Saudi Aramco has sold ethane to Petro Rabigh on non-discriminatory basis and at arm's-length prices and the prices at which Saudi Aramco has supplied to unrelated entities.
- ee. Supply arrangements between SABIC and Saudi Aramco were entered into when both entities were not related. Such prices did not undergo any change pursuant to the acquisition.
- ff. Price of inputs set by the government are applicable for all market players regardless of any relationship with the government or between the input supplier and producer of MEG.
- gg. The onus to prove that price of inputs received from affiliated parties are not at arm's length lies with the domestic industry.
- hh. If the Authority wishes to adjust the normal value for the input price distortions, same adjustments must be made to export price since the input price is same regardless of markets.
- ii. Domestic industry has not provided any information regarding the existence of particular market situation in Kuwait.
- jj. There is not one unified GCC feedstock market and the different feedstock producers in the different GCC States price their products differently. Trade Policy Review of Kuwait has established that "with some exceptions, prices of goods and services are freely determined by the market". There is no evidence that the cost of production of the producers in Kuwait is distorted in domestic or export market.
- kk. Publicly available information confirms that the prices of feedstock are at arm's length prices.
- ll. If the applicants are concerned about alleged distortion, the remedy is provided under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
- mm. The Authority has consistently, in the past decided to examine the issue of availability of raw material at less than adequate remuneration through an anti-subsidy investigation.
- nn. The mere existence of particular market situation is inconsequential unless there is a significant basis to establish that the same affects the proper comparison of the domestic sales with export price, as held by the Panel in EC – Cotton Yarn, Australia –A4 Copy Paper and EU – Tube or pipes.
- oo. The onus of establishing the existence of particular market situation and that it does not permit proper comparison of domestic price with the export price lies with the party claiming it.

- pp. The price of inputs and cost of production as per the records of the Saudi producers is common for both domestic and exported product. The producers do not sell in domestic market at a discount, as compared to export price.
- qq. The domestic industry has not provided any evidence to substantiate their claim that there are no imports of subject goods into Saudi Arabia and Kuwait.
- rr. The domestic industry has failed to explain how domestic markets in Saudi Arabia and Kuwait would not compete with each other.
- ss. Comparison of domestic price of ethane with landed price of imports in Saudi Arabia is contrary to the Panel's observation in Australia – A-4 Copy Paper which referred to comparison of domestic price with cost and not export prices with cost. Further, cost refers to cost of production and not merely cost of raw material, such as ethane.
- tt. Mere affiliation is not a ground to reject the input costs as long as it reasonably reflects the cost of production and sale of the product concerned in the country of origin. Petro Rabigh has given information to show purchase of ethane from related parties in the response.
- uu. The WTO Appellate body in Ukraine-Ammonium Nitrate case held that non-arm's length cannot be considered to be an exception to Article 2.2.1.1
- vv. Input prices being lower than international price due to existence of particular market situation cannot lead to a conclusion that the records of the producer do not reasonably reflect the cost of production of the subject goods, in accordance with Article 2.2.1.1 and interpretation thereof by the Appellate Body in Ukraine – Ammonium Nitrate, EU – Biodiesel and EU – Cost adjustment.
- ww. Contrary to claims of domestic industry, the word 'normally' has been used in conjunction with 'shall' in Article 2.2.1.1 to indicate that while exceptions may exist, records of the producer must be relied upon while constructing cost of production if the two explicit conditions are met.
- xx. Even if the Authority holds that particular market situation exists, normal value can only be determined based on third country selling price and/or cost of production as per the principles laid down in the Customs Tariff Act. The actual cost of production of the producer should be considered in this regard.
- yy. The reliance on Ukraine – Ammonium Nitrate and European Union – Cost Adjustment Methodologies are inappropriate, as they relate to determination of input costs, once it is ascertained that the market prices of MEG cannot be used to determine normal value.
- zz. Constructed cost of production based on unadjusted prices of ethylene prevailing in international markets does not reflect the actual cost of production in Saudi Arabia and is violative of Article 2.2, as per the interpretation of the Appellate Body in European Union – Biodiesel and Ukraine – Ammonium Nitrate.
- aaa. The domestic industry has made no attempt to adjust the ethylene price used for the construction of the normal value to reflect the actual cost of production in the subject countries.
- bbb. Cost & Freight prices of ethylene prevailing in GCC region cannot be used to determine normal value as normal value is country specific and general price prevailing in the entire region which includes non-subject country cannot be used. Further, such price includes the cost of freight to South-East Asia, which is not incurred by producers in Saudi Arabia and Kuwait.
- ccc. Normal value cannot be determined based on prices published in journals which are based on assumptions and presumptions.
- ddd. The domestic industry's request to include interest and depreciation cost while computing cost of ethylene cannot be accepted since the same is not permissible under the law.
- eee. European Commission in the investigation concerning imports of MEG from Saudi Arabia accepted the entire cost reported by the exporters from Saudi Arabia in its final findings.
- fff. Selling, general and administrative expenses costs must be determined based on records kept by the producers, unless the Authority determines that there are no sales in the ordinary course of trade, in accordance with Article 2.2.2.
- ggg. The petitioners have added customs duty, insurance and port expenses only for the purpose of inflating the normal value.
- hhh. Since RIL has previously imported the subject goods from Kuwait, it should have known that no inland freight, commission or port expenses are borne by producers in Kuwait.

- iii. Contrary to the submissions of the applicants, the channel of distribution from Kuwait is complete and all relevant entities have participated in the present investigation.
- jjj. MEGlobal Americas Inc. has no role to play in the value chain relating to exports from Kuwait and therefore its non-participation has no impact on the participation and responses of the exporters. In order to benefit from individual duty rates, MEGlobal Americas Inc. would first have to ship the goods to Kuwait and incur additional costs that would defeat the purpose of any perceived advantage and also go through the onerous task of obtaining a false certificate of origin from Kuwait.
- kkk. The non-participation of Mitsubishi International Corporation is not relevant. The guidelines issued by the Authority regarding filing the questionnaire along with its unrelated exporter is impractical since the producer does not have control over its unrelated exporters.
- lll. In past investigations, the Authority has determined the net export price based on price at which the producer has sold to exporter, and not the price at which the exporter has in turn sold to India.
- mmm. Mitsubishi Corporation is the ultimate exporter of goods and has participated and reported details of its export sales to India. Therefore, the Authority has all the information available with it for calculation of landed value and for calculation of individual dumping margin and injury margin.
- nnn. As per the response of Mitsubishi Corporation, MIC has acted only as an agent thereof.
- ooo. Export price and normal value can be established without the participation of MIC USA as MIC USA is a trader of MEG and does not manufacture or produce MEG captively. MC had purchased limited MEG consignments from MIC USA during the period of investigation which in turn were purchased from Nan Ya Plastic by MIC USA. Purchases from MIC were very in limited quantity and do not constitute substantial imports in India.
- ppp. In case the Authority is of the view that data of MIC is necessary, MC is willing to submit the same.
- qqq. Petro Rabigh has not provided its exports to third countries as normal value would be determined based on domestic sales of the group of affiliated parties.
- rrr. Petro Rabigh has participated in the present investigation, as it is related to SABIC who has exported the subject goods to India. Petro Rabigh cannot opt for filing new shipper review application in case it decides to export the goods to India in future.
- sss. The channel of distribution stated in the response of Petro Rabigh is the general channel followed by it, but it did not sell through these entities during the period of investigation.
- ttt. The petitioner has relied upon the Rubber chemical findings which is not applicable to this present investigation as Saudi Arabia is a market economy country and the producers have not imported feedstock.
- uuu. All the entities forming value chain of SABIC Group barring Itochu Corp which has traded a small volume has participated in the investigation.
- vvv. SABIC India has not imported any goods exported by SABIC and is not involved with any activities in relation to importation or sales of the subject goods.
- www. For the calculation of export price, no evidence relating to the adjustments other than ocean freight is included in the petition.

## **F.2. Submissions made by the domestic industry**

- 42. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin:
  - a. There exists a particular market situation in Saudi Arabia and Kuwait, with regard to the prices of MEG as well as the prices of raw materials and utilities.
  - b. Due to the existence of government-owned producers of MEG and input suppliers, the selling price and cost of production of MEG in Saudi Arabia and Kuwait are suppressed and are not in the ordinary course of trade.
  - c. The domestic industry is not precluded from making additional submissions regarding particular market situation post filing an application.
  - d. Since the domestic industry had claimed particular market situation prior to initiation, the producers should have provided data relating to third country exports in their response.

- e. Due to the significant presence of the government-owned or government-controlled producers in Saudi Arabia and Kuwait, the domestic selling price of MEG is distorted and prevents proper comparison with the export price.
- f. All responding producers / exporters from Saudi Arabia are held by SABIC, which has been wholly acquired by Saudi Aramco, a state-owned company.
- g. All responding producers from Kuwait are held by Petrochemical Industries Company, which in turn is a subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation, a state-owned company.
- h. Contrary to claims by other interested parties, Equate and TKOC are nothing but the manufacturing arms of Petrochemical Industries Company K.S.C. and have been listed as a part of the Core Business of PIC on its website.
- i. Existence of government control over prices itself implies that sales in that market are not suitable for determining prices, as per the Manual of Operating Procedures.
- j. Reference to regulation of prices of products by Government of India is irrelevant to the present investigation.
- k. While the domestic industry has relied on factors provided in the Canadian, EU, UK and Australian law to establish the existence of a particular market situation, the other interested parties have failed to show how such factors do not lead to conclusion of existence of particular market situation in the present case.
- l. Contrary to the claims of the interested parties, in the investigation concerning certain corrosion resistant steel flat products from Korea RP, the US DOC specifically addressed the involvement of government in providing subsidies and regulation of electricity price which led to existence of particular market situation.
- m. The term “particular market situation” includes the existence of distortions in input prices due to various reasons, as held by the WTO Panel in Australia – A4 Copy Paper and as reflected in practices of authorities in Canada, EU and UK.
- n. As evident from the Report of the Working Party on the Accession of Kingdom of Saudi Arabia to the WTO, the domestic prices of ethane, propane, butane and natural gas have been subject to price and profit control, and are fixed by Saudi Arabian Council of Ministers. Despite increase in price of ethane and propane in 2016 by Saudi Arabia, these prices continue to be subject to regulation as per the HSBC Global Research report, Trade Policy Review of Saudi Arabia and annual report of Saudi Aramco.
- o. Absence of comments with regards to particular market situation in the Report on Accession Protocol of Saudi Arabia cannot supersede the rights of WTO members under the Anti-dumping Agreement.
- p. The domestic industry has not claimed that regulation of feedstock prices is inconsistent with WTO rules, but such consistency does not preclude consideration of the issue as particular market situation.
- q. As per its annual report, where Saudi Aramco sells the inputs domestically at a price below the corresponding equalization prices, it is entitled to compensation from the Government for an amount equal to the cost of the revenues directly forgone due to compliance with the Kingdom’s current pricing mandates.
- r. The GCC market being one unified market without internal tariff barriers, the distorted prices prevailing in Saudi Arabia are likely to have influenced prices prevailing in Kuwait as well.
- s. Other interested parties must establish their claim with evidence that prices in GCC are freely determined by market and are at arm’s length.
- t. The European Commission in the investigation concerning MEG from Saudi Arabia and USA remained sub silentio on issues regarding input price distortions and particular market situation, which were not raised before it and thus, such findings cannot be relied upon.
- u. The WTO Panel has affirmed that even if a certain situation constitutes a subsidy, it can nevertheless be considered within the scope of particular market situation.
- v. Ethane is not feedstock or raw material for clear float glass, normal butanol or pentaerythritol and absence of findings of Authority with regard to particular market situation in such investigations is irrelevant to the present case. Further, determination regarding particular market situation and whether it presents proper comparison, depends on case-to-case basis, as held by WTO Panel in Australia A-4 Copy Paper.

- w. Distortion in the prices of the inputs has resulted in the distortion of the cost of production and domestic prices, but has not impacted the export prices which are in competition with other global producers.
- x. Availability of feedstock on a non-discriminatory basis is irrelevant for determination of particular market situation under the Anti-dumping Agreement.
- y. Contrary to the arguments of other interested parties, even where the same inputs are used for both domestic and exported goods, the distorted inputs prices are likely to impact domestic and export prices differently depending on the prevailing market conditions, as observed by the WTO Panel in Australia – A4 Copy Paper.
- z. The conditions of competition prevailing in Saudi Arabia and Kuwait are different from India since there is no demand for MEG in Saudi Arabia and Kuwait, there are no imports of MEG and all producers are directly / indirectly government-owned or controlled. On the other hand, there is high demand of MEG in India, there are significant imports and there are two privately owned major producers in the country.
- aa. The cost of production for producers in Saudi Arabia and Kuwait has remained unchanged while the price of exports to India declined, indicating absence of any relationship between cost and price.
- bb. Contrary to the claims made by other interested parties, prices of inputs in Saudi Arabia are not lower due to any natural advantage or abundant supply but due to price regulations and compensation received by Saudi Aramco from the government.
- cc. Despite having high reserves of natural gas, price of ethane in USA is determined as per market forces and has fluctuated significantly during period of investigation.
- dd. The domestic industry has provided information regarding price of exports of ethylene, propane and butane from subject countries and price of ethane prevailing in USA, which are all subject to same natural regional advantages as claimed by the interested parties with reference to domestic prices of such inputs. However, despite the regional advantages, the prices in USA are not low or regulated.
- ee. With regards to the purchases from affiliates, the WTO Panel in US – OCTG held that the Authority can reject the price of raw materials purchased from an affiliate which is not at arm's length.
- ff. It has been the consistent practice of the Authority to determine normal value based on facts available where the exporters failed to establish purchase of raw material from related party at arm's length. Other jurisdictions also consider whether any input procured from affiliate are valued at arm's length basis.
- gg. Since ethane is not imported into Saudi Arabia and is only supplied by Saudi Aramco in the country and all sales by Saudi Aramco to unrelated parties are also at regulated prices, such prices cannot be used to determine the arm's length price for purchase of ethane.
- hh. While the Authority is required to normally determine cost of production based on records kept by the producers if the requirements of Article 2.2.1.1 are met, costs other than records can still be relied upon in certain cases, as held by the WTO Panel in Australia – A4 Copy Paper. Similar approach was adopted by the Authority in the case of Aluminium Foil from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.
- ii. Authorities in Canada, Australia and USA also consider costs other than costs kept in records for determination of cost of production.
- jj. Since the responding producers have concealed relevant information regarding the particular market situation in their countries, the Authority can determine normal value on the basis of facts available, as held by the Supreme Court in DA vs. Haldor Topsoe.
- kk. The decisions of Ukraine – Ammonium Nitrate and EU – Cost Adjustment Methodologies do not prevent rejection of domestic selling price in case of particular market situation or rejection of cost in case of input price distortions.
- ll. Since the particular market situation prevailing in Saudi Arabia and Kuwait affects the prices of utilities and raw materials alike, the price of both must be rejected in determination of cost of production.
- mm. In addition to particular market situation for prices of inputs, all responding producers have purchased inputs from affiliated parties and thus, the cost of production of MEG for producers in Saudi Arabia and Kuwait should be adjusted for the market price of ethylene and natural gas at international prices.

- nn. There is a need for adjustment of price of ethylene since it is not possible to address all distortions even if undistorted cost of ethane, propane, butane and natural gas are considered.
- oo. Contrary to the argument of other interested parties, the Authority can consider out-of-country prices for determination of cost of production, after reasonably adjusting the same to represent the cost of production in the country, as observed by the WTO Appellate Body in EU – Biodiesel.
- pp. Considering the significant investment in ethylene cracker and major value addition involved in the production of ethylene from ethane, the full cost of ethylene, including interest and depreciation, must be considered.
- qq. Contrary to the claims of the other interested parties, the domestic industry circulated the non-confidential version of the petition along with the addendum, to all parties reflecting the change in dumping margin, pursuant to submissions regarding existence of particular market situation in Saudi Arabia and Kuwait.
- rr. Evidence regarding the domestic selling price in Saudi Arabia is not relevant since such price must be rejected in view of the particular market situation.
- ss. As held by WTO Panel in US – Softwood Lumber, the domestic industry is only required to provide information reasonably available to it, which was shared in the petition itself.
- tt. The domestic industry submitted normal value based on the information reasonably available to it in accordance with Article 5.2 of the Anti-dumping Agreement.
- uu. Such prices are based on the information available on Trade Map, which collects its data from official sources such as Central Statistical Bureau, Kuwait, UN COMTRADE and Central Department of Statistics & Information, Saudi Arabia and is, therefore, reliable.
- vv. Normal value can be determined based on cost of production of the domestic industry at the stage of initiation, as held by the Tribunal in Automotive Tyre Manufacturer's Association vs. Designated Authority.
- ww. Individual dumping margin should not be granted to producers whose related / unrelated exporters have not participated in the present investigation.
- xx. Mitsubishi International Corporation, which has sold the goods produced by Nan Ya Plastic, America to Mitsubishi Corporation, has not participated in the investigation. In absence of participation by Mitsubishi International Corporation, the Authority would be unable to determine profitability of final exports to India.
- yy. As per the Manual of Operating Procedures, every unrelated intermediary involved in the physical movement or financial transaction of the goods is required to participate in an investigation.
- zz. It is required to be examined if an exporter / trader has exported the goods at profit or loss, and in the absence of participation by such trader, the response filed by the producers should be rejected, as in the case of HFC Component R-32 from China PR.
- aaa. Itochu Corporation, which has exported the goods produced by Eastern Petrochemical Company has not participated in the investigation.
- bbb. MEGlobal Americas Inc., which is a related producer of Equate Petrochemical Company and The Kuwait Olefins Company, has not participated in the investigation.
- ccc. Considering the various intermediaries involved in exporting the goods to India from Saudi Arabia and Kuwait, the export price in the present case should be determined after considering lower of exporter's sale price or importer's purchase price, similar to practice of Canadian Authority.
- ddd. The export price must be verified from documents sought from the Customs Authorities as is the practice of authorities in European Union and GCC.
- eee. SABIC India Private Limited has provided marketing services to SABIC. The expenses incurred by the marketing entity should be adjusted in the determination of export price.
- fff. The domestic industry claimed adjustments to export price as per the consistent practice of the Authority.
- ggg. Contrary to the claims of the other interested parties, even if the exporters in Kuwait are located near their own ports and own the pipelines, they would still incur certain post ex-factory expenses for administration and maintenance, which are required to be adjusted.

- hhh. RIL had previously imported goods from Kuwait only on CFR basis and is not aware of where the exporters incurred any inland freight or port expenses.

### F.3. Examination by the Authority

43. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

44. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response:

- a. Equate Petrochemical Company, Kuwait
- b. The Kuwait Olfeins Compnay KSCC (TKOC), Kuwait
- c. Arabian Petrochemical Company (Petrokemya), Saudi Arabia
- d. Eastern Petrochemical Company (SHARQ), Saudi Arabia
- e. Jubail United Petrochemical Company (United), Saudi Arabia
- f. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
- g. Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
- h. Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet), Saudi Arabia
- i. Rabigh Refining and Petrochemical Company, Saudi Arabia
- j. Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Saudi Arabia
- k. Nan Ya Plastics Corporation, America, USA
- l. Nan Ya Plastics Corporation, Texas, USA
- m. Mitsubishi Corporation, Japan
- n. SPDC Limited, Japan
- o. ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore
- p. Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte. Limited, Singapore
- q. SABIC Asia Pacific Pte. Limited, Singapore
- r. MEGlobal International FZE, UAE

45. The normal value and export price for all producers / exporters from the subject countries have been determined as below.



46. The domestic industry has alleged that there exists a particular market situation with regard to the domestic selling price of MEG in Saudi Arabia and Kuwait, based on the fact that all producers of MEG in Saudi Arabia and Kuwait are owned or controlled by the governments in the respective countries. In this regard, the domestic industry has submitted evidence to demonstrate that all responding producers from Saudi Arabia are owned or controlled by Saudi Aramco, a state-owned entity, through SABIC. Further the domestic industry has also provided evidence to establish that the responding producers from Kuwait are owned or controlled by Kuwait Petroleum Corporation, a state-owned company, through Petrochemical Industries Company.
47. In addition, the domestic industry has also alleged that there exists a particular market situation with regard to price of ethane, propane, natural gas, butane, etc. in Saudi Arabia as the price of such inputs are distorted due to government intervention. In this regard, the domestic industry has relied upon price controls in Saudi Arabia over the supply of inputs.
48. The other interested parties have contended that the factors highlighted by the domestic industry do not permit and warrant any adjustment to the cost of production. It has been emphasized that the inputs are available to all producers on a non-discriminatory basis in Saudi Arabia. The opposing interested parties have further cited the Panel reports in Australia –A4 Copy Paper to claim that particular market situation can be concluded only when the particular market situation is such that it prevents a proper comparison of domestic sales with the export price.
49. Reference has also been made to decisions in the case of European Union – Cost Adjustment Methodologies, European Union – Biodiesel and Ukraine – Ammonium Nitrate to claim that no adjustment can be made to the cost of production, as the records of the responding producers are kept in accordance with the generally accepted accounting principles of the subject countries, and reasonably reflect the cost associated with the production and sale of the subject goods. It has also been highlighted that the Designated Authority is required to arrive at the cost of production in the country of origin.
50. In order to address the issue, the Authority finds it necessary to examine the factual aspects involved having regard to the legal principles governing the issue. The Authority notes that as per the provisions of Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, normal value is required to be determined based on the comparable price, in the ordinary course of trade, of the like article, when destined for consumption in the exporting country. However, when because of a particular market situation, such sales do not permit a proper comparison, the normal value may be determined on alternative basis.

*“(c) “normal value”, in relation to an article, means -*

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).”*

51. The first step thus is to examine whether a particular market situation exists in a particular country and if so, the next step is to examine whether the effect of the particular market situation is such that it does not permit a proper comparison between the domestic selling price and the export price. The Authority notes that in the present case, the evidence on record shows that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas, etc. are fixed by the Government of Saudi Arabia. The supply of these inputs in the country is controlled by Saudi Aramco, a government owned company. Pursuant to a series of Council of Ministers Resolutions, the Kingdom has established regulated prices for domestic sales of certain hydrocarbons, including ethane. The price of ethane has been regulated at USD 1.75 per MMBtu, while the price of natural gas is fixed at USD 1.25 per MMBtu. The prices of propane and butane have been set at a discount of 20% to the FOB Japan price. The other interested parties have also not disputed that the prices of the inputs are set in this manner. However, it is noted that the Government ownership per se does not establish particular market situation.
52. With regard to the distortion of input prices, the interested parties have contended that that after reforms in 2015-16, the prices of ethane are comparable to the prices in other oil rich countries. It has also been contended that the prices in Saudi Arabia are lower due to natural advantages. The Authority, however, notes that the very fact that prices of ethane and other inputs are regulated implies that they are not determined by free market

forces. The domestic industry has relied on the Trade Policy Review of Saudi Arabia and has stated that Saudi Aramco, a government-owned entity, is entitled to compensation from the Government if it sells crude oil and certain refined products domestically at regulated price, equal to the cost of the revenue forgone by Saudi Aramco by complying with the Government's pricing mandates. The Authority notes that once the prices are regulated by the Government, it cannot be considered that the prices are lower due to natural advantages or competitively set.

53. Therefore, the Authority concludes that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas etc. in Saudi Arabia are influenced by government intervention and to this extent particular market situation exists in Saudi Arabia. The Authority also notes the decision of the WTO Panel in the case of Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper. The Panel has specifically considered whether input price distortion can be construed as a particular market situation. The Panel noted that “capable of preventing a proper comparison” is not a necessary qualification for a situation to constitute “particular market situation”.

*“7.27 In our assessment, the phrases “particular market situation” and “permit a proper comparison” function together to establish a condition for disregarding domestic market sales as the basis for normal value. Specifically, that domestic sales “do not permit a proper comparison” must be “because of the particular market situation”. If domestic sales do permit a proper comparison, then they cannot be disregarded as the basis for normal value, regardless of the existence of the particular market situation and its effects, whatever those may be. We find no functional purpose is served by incorporating into the meaning of “particular market situation” part of the function that will necessarily be served by the terms “because of” and “not permit a proper comparison”. Accordingly, we find that “capable of preventing a proper comparison” is not a necessary qualification for a situation to constitute the “particular market situation”. Indeed, incorporating such a meaning into the term “particular market situation” would alter the functioning of this provision. Thus, we find that the term “particular market situation” does not require or contemplate an analysis relating to the capability of causing domestic sales to not permit a proper comparison in the abstract. Rather, the terms “because of” and “not permit a proper comparison” in Article 2.2 already properly and adequately fulfil this function.*

*7.28 Turning to the specific issue posited by Indonesia of a low-priced input used identically to produce merchandise for the domestic and export markets, we are again unpersuaded that a categorical disqualification from constituting the “particular market situation” can be sustained as a matter of interpretation. We understand that Indonesia is arguing that a situation that equally affects the cost of producing merchandise for sale in domestic and export markets will necessarily equally affect the sales prices in both markets and will, therefore, permit a proper comparison between domestic market sales and export sales. First, we find no legitimate interpretative basis for incorporating this proposed meaning into the term “particular market situation”, particularly where such considerations are more appropriately examined in relation to the terms “because of” and “permit a proper comparison” as suggested by the above analysis. Second, we do not accept as a given that an equal impact on cost of merchandise produced for domestic and export markets would necessarily affect sales prices in both markets equally such that a proper comparison between domestic sales and export sales would not be prevented. We consider that these assertions are not appropriate elements for an interpretation of the term “particular market situation”, but rather are better suited to an analysis of whether domestic sales do not permit a proper comparison because of a particular market situation identified by an investigating authority. We will return to these points in our examination of Indonesia’s arguments relating to the meaning of the term “permit a proper comparison”*

54. The Authority also notes the decision of the WTO Panel in the case of Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper quoted below on the issue that input price distortion can be considered as a particular market situation, even if it has some effect on the export price.

*“7.57 On the basis of the above findings, we determine that Indonesia has not demonstrated that the ADC acted inconsistently with Australia’s obligations under Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement when it found that a “particular market situation” existed in the Indonesian domestic market for A4 copy paper. Indonesia’s arguments have not persuaded us that a domestic market situation resulting in a lower cost for an input used to produce both exported and domestically sold product is necessarily excluded from constituting “the particular market situation”. Nor are we persuaded that, as a general proposition, any situation which has or may have some impact on export sales in addition to domestic market sales is necessarily excluded from constituting “the particular market situation” because we consider that, in at least some cases, differences in the impact on domestic and export sales could prevent a proper comparison. Finally, we are also not persuaded that “the particular market situation” referenced in this provision necessarily excludes any situation that arises from a subsidy or other governmental action.”*

55. The Authority further takes note of the fact that no evidence has been placed on record to substantiate that raw material prices are fixed or regulated by the Government in Kuwait. Therefore, the Authority concludes that there does not exist a particular market situation in Kuwait.

56. After reaching the conclusion that the prices of inputs such as ethane, propane, butane, natural gas etc. in Saudi Arabia are influenced by government intervention and to this extent particular market situation exists in Saudi Arabia, the next issue to be examined is whether the effect of the particular market situation is such that it does not permit a proper comparison between the domestic selling price and the export price.

57. In this regard, the Panel in Australia Copy Paper has also observed as under.

*“7.73. Where a “particular market situation” is found to exist, the investigating authority must examine whether “a proper comparison” of the domestic and the export price is permitted or not. We consider that the “proper comparison” language calls for an assessment in respect of the comparison of domestic and export prices.*

*7.74. The ordinary meaning of the term “proper” is “suitable for a specified or implicit purpose or requirement; appropriate to the circumstances or conditions; ... apt, fitting; correct, right”. The term “comparison” can be understood as “the action, or an act, of comparing, or noting the similarities and differences of two or more things”. The function of the “permit a proper comparison” test is to determine whether the domestic price can or cannot be used as a basis for comparison with the export price to identify the existence of dumping. It is implied here in Article 2.2 that the words “a proper comparison” refer to the comparison between the domestic price and the export price. Thus, the purpose of an investigating authority’s examination under the second clause of Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement is to determine whether domestic sales of the like product in the ordinary course of trade do not permit a proper comparison between the export price and the domestic sales price because of the particular market situation or the low volume.*

*7.75. While the proper comparison in Article 2.2 refers to the comparison between the domestic and export prices, a purely numerical comparison between the two prices may not reveal anything about whether the domestic price can be properly compared with the export price. Rather, it is necessary to conduct a qualitative comparison of the domestic and export prices. The phrase “because of the particular market situation” makes clear that the qualitative assessment of whether the domestic and export prices can be properly compared should focus on how the particular market situation affects that comparison. We therefore consider that the “proper comparison” language calls for an assessment of the relative effect of the particular market situation on domestic and export prices. We understand that, in certain circumstances, as a result of this assessment, the investigating authority may conclude that the particular market situation has no effect on the export prices.*

*7.76. Turning to the assessment of whether “a proper comparison” is not permitted because of the particular market situation, we note that the focus of the analysis is on whether the effect of the particular market situation is such that a proper comparison between domestic sales prices and export prices under examination is not permitted. In other words, the investigating authority must examine the domestic sales in order to determine whether a proper comparison between the two prices is permitted in spite of the effect of the particular market situation. The point is to determine if there is a comparable domestic price (i.e. if there is “the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country” in the sense of GATT 1994 Article VI:1(b) and Article 2.1 of the Anti-Dumping Agreement). That determination is fact-specific and should be made on a case-by-case basis by the investigating authority assessing the effect of particular market situation on the domestic price in relation to the effect on the export price, if any. This relative assessment is necessary because, as we explain in the following subsection, while a particular market situation may have an effect on both domestic and export prices, it does not follow that the impact on domestic and export prices will be the same. If the investigating authority finds that because of a particular market situation a proper comparison of the domestic price and the export price is not permitted, it is required to give a reasoned and adequate explanation of its conclusion.”*

58. The Authority has determined existence of particular market situation in Saudi Arabia due to lower price of inputs arising out of government intervention. The Authority has examined all the available evidence on record regarding the cost of the PUC, the domestic selling price and the export price of the PUC. The Authority notes that particular market situation due to lower prices of raw material will result in lower domestic selling price and also lower export price unless proved to the contrary. If raw material prices are lower, it will result in lower selling price of the final product generally, irrespective of whether such final product is meant for domestic market or export market unless proved otherwise. In the present case, the Authority notes that out of the 6 producers of PUC in SABIC Group who have participated in this investigation, normal value has been determined for 5 producers based on their export price to an appropriate third country and not based on domestic sales price in Saudi Arabia. Therefore, the issue of particular market situation affecting the domestic selling and thereby distorting the comparison between domestic selling price and export price for the purpose of determination of dumping margin is not of much relevance. Moreover, the Authority also notes that there is no sufficient evidence to conclude that the particular market situation prevailing in Saudi Arabia has specifically impacted domestic

selling price of the product under consideration for one producer in SABIC Group for whom normal value has been determined based on domestic selling price in such a manner that a proper comparison between domestic selling price and export price is not permitted.

59. Thus, the Authority concludes that there is no sufficient evidence on record to reject actual cost of raw material and domestic selling price of producers/exporters from Saudi Arabia for determining the dumping margin.

### **G.3.1. Determination of normal value and export price**

#### **Kuwait**

#### **EQUATE Petrochemical Company K.S.C.C. ("EQUATE"), The Kuwait Olefins Company K.S.C.C. ("TKOC") and MEGlobal International FZE ("MEGlobal") (collectively referred to as "EQUATE Group")**

#### **Normal Value**

60. EQUATE Petrochemical Company K.S.C.C. ("EQUATE") and The Kuwait Olefins Company K.S.C.C. ("TKOC") are the producers of the PUC in Kuwait. EQUATE and TKOC have exported the PUC to India and other third countries through a related exporter, MEGlobal International FZE ("MEGlobal"), based in United Arab Emirates. It has been noted by the Authority that EQUATE and TKOC have not made any sales of the PUC in the domestic market during the POI. So, it is not possible to determine the normal value on the basis of domestic sales in Kuwait.

61. Explanation (c) to Section 9A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, provides as follows:

*"Normal Value, in relation to an article, means –*

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

62. As there are insignificant (less than 5% of export quantity to India) sale of the PUC by EQUATE Group in the domestic market, the Authority has proceeded to determine the normal value based on the other permissible method provided under the Custom Tariff Act. Accordingly, both producers were requested to provide the transaction-wise details of their export sales to third countries for selection of an appropriate third country for determination of normal value as per the clause (ii)(a) of Explanation (c) to Section 9A(1) of Customs Tariff Act. The transaction-wise data of exports to third countries, provided by the responding producers, has been examined for selection of an appropriate third country. In the absence of any specific guidelines in this regard, either in the WTO Anti-Dumping Agreement or in the Customs Tariff Act or in the Anti-Dumping Rules, state of product development in the said country and volume of imports, have been taken as the guiding criteria for selection of the appropriate third country. It has been noted that the largest volume of exports by EQUATE Group are to China PR. The Authority does not consider China PR as an appropriate third country because (i) China PR does not operate under market economy conditions and (ii) Exports volumes to China PR are significantly higher than export volumes to India. The Authority notes that export volumes to Pakistan are in the closest range compared with the export volumes to India during the POI. Therefore, Pakistan has been selected as the appropriate third country and EQUATE Group's exports to Pakistan have been considered for determination of normal value for the EQUATE Group.

63. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making export sales transactions to Pakistan with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority has considered the sales price of MEGlobal and made appropriate adjustments on account of post-factory expenses, SGA expenses and other items to arrive at ex-factory prices at the producer's level. Upon conducting the ordinary course of trade test, Authority notes that more than 80% of the transactions concerning exports to Pakistan are profitable. Therefore, the Authority has considered all export transactions made to Pakistan during the POI for determination of the normal value.
64. EQUATE Group has claimed adjustments on account of shipping cost, commission, credit cost, bank charges, and credit insurance. The Authority has accepted all the adjustments claimed by EQUATE Group. The normal value at the ex-factory level for EQUATE Group has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

### **Export Price**

65. The Authority notes that EQUATE Group has exported a total quantity of \*\*\* MT of the PUC to India during the POI originating in Kuwait through the following trade channels:

Trade Channel	Quantity	% Share of total exports	Status of the trade channel
EQUATE/TKOC → MEGlobal → Customers in India	***	***	Cooperating
EQUATE/TKOC → MEGlobal → Mitsubishi Corporation → Customers in India	***	***	Cooperating
EQUATE/TKOC → MEGlobal → Global Trade well → Customers in India	***	***	Non-Cooperating
EQUATE/TKOC → MEGlobal → CPF Packaging → Customers in India	***	***	Non-Cooperating
EQUATE/TKOC → MEGlobal → Samika Global → Customers in India	***	***	Non-Cooperating
<b>Total</b>	***		

66. The Authority notes that the companies involved in more than \*\*\*% of the total exports to India have provided relevant information and are cooperating before the Authority. The information provided by EQUATE Group has been considered by the Authority for determining the export price. EQUATE Group claimed adjustments on account of shipping cost, credit cost, and bank charges. In addition, the Authority also made adjustments for SGA expenses and profit (if applicable) of MEGlobal to arrive at the ex-factory export price at producer's level.
67. With respect to the exports made to India for which the complete export chain has not participated before the Authority, the Authority has determined the export price on the basis of the facts available. Accordingly, the weighted average export price for entire exports to India by EQUATE Group has been determined, and the same is shown in the dumping margin table below.

### **All other Producers from Kuwait**

68. For all other non-cooperating producers in Kuwait, normal value, export price and dumping margin have been determined based on facts available taking into account the data of the cooperating producer and the same is shown in the dumping margin table below.

### **Saudi Arabia**

**Arabian Petrochemical Company (PETROKEMYA), Eastern Petrochemical Company (SHARQ), Jubail United Petrochemical Company (UNITED), Saudi Kayan Petrochemical Company (SAUDI KAYAN), Saudi Yanbu Petrochemical Company (YANPET) and Yanbu National Petrochemical Company (YANSAB) [collectively referred as "SABIC Group Producers"] along with related traders, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) and SABIC Asia Pacific Pte. Ltd (SAPPL)**

### **Normal Value**

69. Arabian Petrochemical Company (PETROKEMYA), Eastern Petrochemical Company (SHARQ), Jubail United Petrochemical Company (UNITED), Saudi Kayan Petrochemical Company (SAUDI KAYAN), Saudi Yanbu Petrochemical Company (YANPET) and Yanbu National Petrochemical Company (YANSAB) are related producers of the PUC in Saudi Arabia within the SABIC Group. It is noted by the Authority that during the POI, only SHARQ and YANPET have made sales of the PUC in the domestic market of Saudi Arabia. All

sales in the domestic market were made to related trader, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), who in turn sold the subject goods to unrelated domestic customers. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value for SHARQ and YANPET based on their domestic sales of the PUC during the POI.

70. The Authority notes that the domestic sales of SHARQ and YANPET are in sufficient volume when compared with exports to India. The Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of sales of the subject goods for SHARQ and YANPET. The Authority examined whether the profit-making transactions are more than 80% or not. In the present case, it is noted that more than 80% of the domestic sales of YANPET are profitable and hence all the domestic sales of YANPET have been considered to determine the normal value. In case of SHARQ, there are no profitable sales. So, it is not possible to determine the normal value for SHARQ on the basis of its domestic sales.

71. Explanation (c) to Section 9A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, provides as follows:

*“Normal Value, in relation to an article, means –*

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(b) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”*

72. As there are no domestic sales of the PUC by PETROKEMYA, UNITED, SAUDI KAYAN, YANSAB and no profitable domestic sales by SHARQ, the Authority has proceeded to determine the normal value based on the other permissible methods provided under the Custom Tariff Act. Accordingly, these five producers were requested to provide the transaction-wise details of their export sales to third countries for selection of an appropriate third country for determination of normal value as per the clause (ii)(a) of Explanation (c) to Section 9A(1) of the Customs Tariff Act. The transaction-wise data of exports to third countries, provided by these five producers, has been examined for selection of an appropriate third country. In the absence of any specific guidelines in this regard, either in the WTO Anti-Dumping Agreement or in the Customs Tariff Act or in the Anti-Dumping Rules, state of product development in the said country and volume of imports, have been taken as the guiding criteria for selection of the appropriate third country. The Authority has considered exports to third countries for all the five producers taken together for ascertaining the appropriate third country. It has been noted that the largest volume of exports by these producers are to China PR. The Authority does not consider China PR as an appropriate third country because (i) China PR does not operate under market economy conditions and (ii) Export volumes to China PR are significantly higher than export volumes to India. The Authority notes that export volumes of these producers taken together to Indonesia based on information provided by SABIC are in the closest range compared with the export volumes to India during the POI. Therefore, Indonesia has been selected as the appropriate third country and exports to Indonesia made by PETROKEMYA, UNITED and SAUDI KAYAN have been considered for determination of Normal Value for these three producers. It is noted the YANSAB and SHARQ have not exported the PUC to Indonesia during the POI.
73. To determine the normal value for PETROKEMYA, UNITED and SAUDI KAYAN, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making export sales transactions to Indonesia with reference to the cost of sales of the subject goods. If profit making transactions are more than 80%, then the Authority has considered all the export transactions to Indonesia for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable export sales transactions to Indonesia have been taken into consideration for the determination of the normal value.

74. It is noted that UNITED's profit making transactions to Indonesia are more than 80% and PETROKEMYA's & SAUDI KAYAN's profit making transactions to Indonesia are less than 80%. Accordingly, Authority has considered all the export transactions to Indonesia for UNITED and only profit-making export transaction to Indonesia for PETROKEMYA and SAUDI KAYAN for determination of normal value.
75. As regard other two producers, YANSAB and SHARQ, the Authority has selected Turkey as the appropriate third country as both these producers have not made any exports to Indonesia during the POI and exports to Turkey are in the closest range compared with the export volumes to India during the POI. It is noted that SHARQ's and YANSAB's profit making transactions to Turkey are more than 80%. Accordingly, Authority has considered all the export transactions to Turkey for SHARQ and YANSAB for determination of normal value.
76. All the producers have claimed adjustments on account of logistics expenses and credit cost. The Authority has accepted all the adjustments claimed by the producers. The normal value at the ex-factory level for the above-mentioned producers has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

### **Export Price**

77. As per the information filed by the responding producers, the Authority notes that during the POI, PETROKEMYA, SHARQ, UNITED, SAUDI KAYAN and YANPET have exported the subject goods to India through related traders SABIC, SPDC Ltd ("SPDC") and ExxonMobil Chemical Asia Pacific ("Exxon Mobil"). YANSAB has not made any exports of the subject goods to India during the POI. SABIC has further resold the subject goods to another related trader SABIC Asia Pacific Pte. Ltd ("SAPPL"), who in turn sold the subject goods to unrelated customers in India. SPDC and Exxon Mobil have further resold the subject goods to Mitsubishi Chemical Asia Pacific Pte Ltd ("MCAP") and Mitsubishi Corporation, who have finally sold to related and unrelated Indian Customers.
78. It was noted by the Authority that SABIC procures orders from customers and directs producers to effect delivery. Producers raise an invoice on SABIC at a provisional price. SABIC raises an invoice on SAPPL and SAPPL raises invoice on final customer in India. Modifications to price, after sales, are adjusted through debit or credit notes. SABIC deducts a marketing fee and all delivery related expenses from the final price charged to the customer and the balance amount is paid to the producers. Producers receive the net back payment from SABIC after the credit period and also incur certain expenses. It was examined whether marketing fee charged by SABIC and delivery related expenses retained by SABIC are sufficient to cover all expenses and provide reasonable profit. Similar arrangement is followed for exports made through SPDC and Exxon Mobil. It was noted that SABIC has incurred a loss on exports of subject goods to India manufactured by SAUDI KAYAN and SHARQ. The producers have claimed adjustments on account of inland freight (wherever applicable), handling and credit cost from the net back received from SABIC, SPDC and Exxon Mobil. The Authority has allowed the adjustments claimed by the producers and also made an additional adjustment for the losses incurred by SABIC (with respect to subject goods manufactured by SAUDI KAYAN and SHARQ) to arrive at the net ex-factory export price for the producers. Accordingly, the weighted average export price for entire exports to India by SABIC Group producers has been determined, and the same is shown in the dumping margin table below.

### **Rabigh Refining & Petrochemical Company ("Petro Rabigh")**

#### **Normal Value, Export Price and Dumping Margin for Petro Rabigh**

79. From the response filed by Petro Rabigh, the Authority notes that Petro Rabigh is a producer of MEG in Saudi Arabia. Petro Rabigh has not made any exports of the PUC to India during the POI. Therefore, the Authority is not in a position to determine individual dumping margin for Petro Rabigh.
80. From the response filed by Petro Rabigh, the Authority notes that Petro Rabigh has also not made sales of the PUC in the domestic market of Saudi Arabia during the POI. However, Petro Rabigh has made exports of the subject goods to third country markets.
81. Petro Rabigh has submitted that even though they have not exported the PUC to India during the POI, they have exported the PUC to India during 2017. It has been claimed by Petro Rabigh in their submissions filed subsequent to the filing of the questionnaire response that they are related to SABIC. Petro Rabigh has also submitted that dumping margin determined for SABIC Group Producers may be adopted for Petro Rabigh and accordingly the individual anti-dumping duty rate, if any, determined for SABIC Group Producers should be extended to Petro Rabigh as well. The Authority notes that there is no requirement for the Authority to examine the issue regarding the need for extending the anti-dumping duty rate determined for SABIC/SABIC Group producers to Petro Rabigh because the Authority has concluded that there is no injury to the domestic industry and therefore the Authority has not recommended for imposition of anti-dumping duty on import of subject goods.

**All other Producers from Saudi Arabia**

82. For all other non-cooperating producers from Saudi Arabia, normal value, export price and dumping margin have been determined based on facts available taking into account the data of the cooperating producers and the same is shown in the dumping margin table below.

**M/s Nan Ya Plastics Corporation, America (Producer/Exporter), M/s Nan Ya Plastics Corporation, Texas (Producer/Domestic Seller) and M/s Mitsubishi International Corporation (Trader)****Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

83. Nan Ya Plastics Corporation, America, is a producer and exporter of the subject goods from USA. It is noted by the Authority that during the POI, the company has no domestic sales of the subject goods. It is also observed that Nan Ya Plastics Corporation, Texas, which is a related company of Nan Ya Plastics Corporation, America, is also a producer of the subject goods in USA and during the POI, the company has sold subject goods in the domestic market only.
84. The Authority requested both the companies to provide the necessary documents for verification of the information submitted in their questionnaire response. However, both the companies failed to substantiate cost of production submitted in the exporter questionnaire response during the verification exercise. In view of this, the Authority is unable to accept exporter questionnaire response filed by Nan Ya Plastics Corporation, America and Nan Ya Plastics Corporation, Texas. Accordingly, the Authority determines the normal value, export price and dumping margin for Nan Ya Plastics Corporation, America & Nan Ya Plastics Corporation, Texas and all other non-cooperating producers from USA on the basis of facts available information and the same is indicated in the dumping margin table given below.

**A.1 Dumping Margin Table**

85. The dumping margin determined for producers/exporters from Kuwait, Saudi Arabia and USA is given in the table below:

Producer	Normal Value (USD/MT)	NEP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM %	Range
<b>Kuwait</b>					
EQUATE Petrochemical Company K.S.C.C.	***	***	***	***	0-10
The Kuwait Olefins Company K.S.C.C.	***	***	***	***	0-10
All Others	***	***	***	***	0-10
<b>Saudi Arabia</b>					
Arabian Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
Eastern Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
Jubail United Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
Saudi Kayan Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
Saudi Yanbu Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
Yanbu National Petrochemical Company	***	***	***	***	10-20
All Others	***	***	***	***	10-20
<b>USA</b>					
Any Producer/Exporter	***	***	***	***	10-20



**H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1. Submissions made by the other interested parties**

86. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- a. The petition filed by the domestic industry lacks sufficient evidence to demonstrate dumping, injury to the domestic industry and causal link between the allegedly dumped imports and injury.
  - b. The allegation of “threat of material injury to the applicant” itself provides that there is no current injury to the domestic industry.
  - c. In order to establish injury, both the parameters of significant increase in the volume of imports and its adverse impact on the economic parameters of the domestic industry need to be satisfied. However, in the present investigation there is no volume effect which is causing injury to the domestic industry.
  - d. A finding of injury can be recorded only where conditions under both paras (ii) and (iv) of Annexure II are met, which is not the case in the present investigation as conditions under both paras are not met.
  - e. The word “significant” used in Para (ii) of Annexure – II implies that mere increase in the volume of imports or negligible price undercutting is not sufficient to establish the adverse impact of dumped imports.
  - f. The Authority must examine all the factors listed in Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement before arriving at a finding of material injury as held by the Appellate Body and Panel in Thailand – H-Beams. When there is positive movement in a number of factors, a finding of injury would require a compelling explanation from the investigating authorities.
  - g. Imports from Saudi Arabia cannot be cumulatively assessed with the imports from USA and Kuwait since there is no evidence of dumping from Saudi Arabia, imports from USA increased, while that from Kuwait and Saudi Arabia declined and import prices from Saudi Arabia did not undercut the domestic prices while import prices from USA and Kuwait did.
  - h. Nan Ya Plastics corporation only started exporting MEG to India during 2019-20 and the period of investigation. Further, export by Nan Ya to India decreased by 12% whereas exports to other countries increased by 17%. Further, Nan Ya Plastics Corporation, America is operating at more than 90% capacity during the period of investigation and the domestic industry is operating at 112% during the period of investigation.
  - i. The volume of imports in absolute and relative terms has declined in the period of investigation compared to the previous years and the market share of the domestic industry has increased while that of subject imports has declined.
  - j. Increase in demand has been captured by Reliance Industries displacing imports from all sources.
  - k. The decline in imports cannot be only due to Covid-19, as the decline in imports exceeds the decline in demand and sales of the domestic industry.
  - l. The domestic industry has proposed a potential demand analysis which is based on unsubstantiated evidence. It has alleged an expected increase in demand by 6% without any basis.
  - m. The imports in relation to demand-supply gap calculated by the domestic industry is based on the assumption that the domestic producers are operating at full capacity and Indian users are buying only domestically produced MEG. Such assumption is contrary to general economic principles and indicates the protectionist intention of the domestic industry.
  - n. As per the original claim of the domestic industry, the imports from Saudi Arabia are not undercutting the prices of the domestic industry and thus, such imports must be excluded from the investigation as per the practice of Authority in Linear alkyl benzene from China, Iran and Qatar.
  - o. There is no significant price undercutting by the imports from Kuwait and the domestic industry have themselves submitted that the price undercutting is marginal.
  - p. The selling price has moved independently of the landed price and there is no price suppression or depression attributable to the subject imports.
  - q. The domestic industry was earning high profits when the price undercutting was high and thus, loss of profits is only due to increase in interest, depreciation and amortizations costs due to setting up of additional capacities.
  - r. The applicants have not submitted evidence regarding decline in landed price being more than the decline in price of ethylene.

- s. The performance of the domestic industry has improved with regard to installed capacity, production, capacity utilization, sales and productivity.
- t. The market share of imports from Kuwait has remained stable in the period of investigation compared to the base year while the market share of the domestic industry has increased by 13%.
- u. The domestic industry has acknowledged in its annual report that MEG market has improved.
- v. Inventory have declined in the period of investigation as compared to 2019-20.
- w. The number of employees, wages and productivity of the domestic industry have increased over the injury period, implying no injury with respect to such parameters.
- x. Ability to raise capital investments of the domestic industry has not been impacted as it has been able to expand its capacities
- y. The profitability of the domestic industry has increased significantly during the period of investigation, as compared to the years 2018-19 and 2019-20, which were part of the period of investigation in the previous investigation.
- z. RIL has reported an increase of 52% in prices and 27% in margins for the product after the end of period of investigation.
- aa. The low profitability is on account of high depreciation and amortisation expense, and finance cost.
- bb. Actual cost of production of ethylene must be considered while determining the non-injurious price. Since ethylene is produced captively, the cost of production must be normated.
- cc. Trends of average capital employed does not support such a huge variation in depreciation and amortization expenses.
- dd. The applicants have calculated return on investment as a percentage of 'normative cost of sales for its most recent plants' since the old plants have depreciated, in violation of para 4 (viii) Annexure III, which has led to inflated injury margin.
- ee. The domestic industry has failed to provide the legal basis for their request to consider the production and sales ratio of earlier years for apportionment of the finance cost, discounts, administrative expenses, selling & distribution cost and then normate the costs.
- ff. The contention of the domestic industry that a return on depreciated plants be allowed based on the benchmark of the return allowed on new plant cannot be accepted as Annexure – III provides that revaluation of fixed assets is not to be considered in the calculation of capital employed.
- gg. Consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate.
- hh. During an era of global recession allowing such a high return to domestic industry is totally incorrect and is never heard of in any sector.
- ii. Merely because DGTR has been adopting 22% return for many years is no ground for claiming reasonability.
- jj. The return of 22% is based on Drug (Prices Control) Order, 1987. However, various factors such as corporate tax rate and rate of interest have changed since then.
- kk. The issue of reasonableness of 22% return on capital employed was examined by Hon'ble CESTAT in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing & others Vs. Designated Authority and in Hyosung Corporation Vs. Designated Authority wherein it was held that adoption of 22% return has coloured the injury determination.
- ll. European Union follows the practice of considering the return earned by domestic industry during the part of the injury period in which dumped imports did not have a negative impact on the domestic industry. In case of EFMA vs. Council, the Court held that the target price should be limited to the profit margin which the industry could reasonably count on in the absence of injury.
- mm. The Authority is required to assess the actual cost of finance incurred by the domestic industry and objectively assess the reasonable rate of interest vis-à-vis the return on capital employed, similar to the practice followed by the European Union.
- nn. Since RIL is a vertically integrated producer, in order to obtain an accurate picture of its actual performance, it is important to assess the overall performance of the entire value chain and allocation of resources across the value chain, as it may have allocated raw material to more profitable products.

- oo. The Authority and the domestic industry are requested to explain the impact on the injury and causal link analysis on the statement made by RIL regarding that they do not have the option of “not producing MEG”.
- pp. The domestic industry should clarify whether they transfer captive raw material at market price or cost.
- qq. Due to different production process adopted for manufacturing MEG by India Glycols Limited and Reliance Industries Limited, the injury parameters and injury margin of both the companies cannot be clubbed.
- rr. Allegation of both material injury and threat of material injury cannot be made in the same investigation. In terms of Rule 4 of the Anti-Dumping Rules the Authority shall submit its findings on material injury or threat of material injury. It has been held in *State of Punjab v. Ram Singh Ex-Constable* and in *Indian Medical Association v. UOI*, that the term ‘or’ cannot be read as ‘and’ is regarded as disjunctive and independent. Further, the Manual of Operating Practices provides that an allegation of threat of injury can be made when the domestic industry has not suffered injury.
- ss. There is no threat of material injury to the domestic industry as the exporters do not have freely disposable capacity for exports to India and the prices of MEG have significantly increased since the end of period of investigation.
- tt. The claim of the domestic industry that there exists no demand for MEG in Saudi Arabia is contrary to the publicly available information.
- uu. Contrary to the submissions of the applicants, the demand for subject goods in Middle East is lesser than Asia Pacific region as India and China are leading producers of textiles, due to which the Chinese producers are expanding capacities.
- vv. Natural and geographical advantage to any producer cannot be construed as threat to the domestic industry.
- ww. The contention that there are freely disposable capacities in the subject countries and global oversupply is incorrect as the volume of imports has declined while the prices have increased since the end of period of investigation.
- xx. The responding producers in Saudi Arabia are operating at 98% capacity utilization and hence do not have any underutilized capacities.
- yy. While there may be a global overcapacity, the global consumption is also expected to increase, as is evident from the journal relied on by the domestic industry.
- zz. Mere establishment of one of the factors does not lead to determination of threat of material injury.
- aaa. The significant captive consumption of the domestic industry must be taken into account and segregated for the purposes of injury analysis.
- bbb. Share of captively consumed product has increased in the recent period with the acquisition by RIL of Alok Industries, JBF Industries and Subhalakshmi Polyester Limited. RIL now consumes 70% of its production captively, which would further reduce the availability of MEG in the market.
- ccc. The profits are declining due to the exponential increase in the depreciation due to the increase in the capacity enhancement by 28%. The domestic industry has also stated that some of its plants are depreciated.
- ddd. RIL imports ethane, which needs to be compressed for the purpose of transportation, leading to exorbitant transportation costs. The impact of the same should be segregated.
- eee. Domestic industry lost profits in 2018-19 even when price undercutting was negative, implying that import prices have no impact on profitability of RIL.
- fff. Injury suffered by Reliance is self-inflicted since it is importing Ethane by incurring exorbitant freight and insurance costs which puts it in a significant cost disadvantage as compared to Saudi producers who do not have to incur such costs. In addition, the usage of Naptha for production of Ethylene as compared to Ethane also puts it at a significant cost disadvantage as compared to Saudi producers.
- ggg. The domestic industry did not invest enough in requisite infrastructure to store the subject goods, and as a result it is suffering injury. Since the domestic industry is vertically integrated, it can use ethylene for production of other products and is not forced to produce subject goods continuously and sell at lower prices.

- hhh. RIL had a joint venture with Ensign Natural Resources in US for shale gas assets. As per its annual report, the management of RIL has carried out an impairment assessment. It must be ensured that such extraordinary loss is excluded for computation of non-injurious price.
- iii. Injury to RIL is because of the fact that when the country was facing a dearth of oxygen supply for people affected with Covid-19, RIL provided 1000 MT of oxygen, which is a raw material of MEG. Diversion of oxygen affected the profit of MEG due to shortage of raw material.
- jjj. The annual report of RIL shows that its profits declined due to weaker demand of MEG in well-supplied markets.
- kkk. The domestic industry has failed to assess the effects of the significant increase in exports in the period of investigation at low profitability. The annual report for RIL shows that while the demand of MEG in the domestic market declined due to COVID-19, RIL successfully diverted the surplus volume to the export markets.
- lll. The price of crude oil and natural gas directly affect the pricing of the downstream products like ethylene and MEG which is evident from the annual report of RIL and IGL.
- mmm. The export of MEG produced from fossils (Natural gas) cannot be the cause of injury to the bio-MEG producer in India who suffers from its own inherent cost disadvantages.
- nnn. As per annual report of IGL, the increased price gap between green “petrochemicals” and conventional crude based petrochemicals had a direct adverse impact on the business volume of Bio-MEG.
- ooo. IGL has mentioned in its annual report that it is shifting focus to the export market, as one of its key areas of growth.
- ppp. It can be seen from the annual report of IGL, the performance of the domestic industry has declined due to low volume due to COVID-19 and lower price of Bio MEG globally. IGL plants in Dehradun and Kashipur were shut down for six months due to the pandemic.
- qqq. There exists no causal link between the volume of imports from Saudi Arabia and alleged injury to the domestic industry as the volume of such imports and market share of imports have declined over the period during which the domestic industry was allegedly injured.
- rrr. Demand for MEG decreased by 7% in the period of investigation due to the global pandemic which is evident from the annual reports of the domestic industry.
- sss. Injury suffered by the domestic industry is because of US-China trade war and low crude prices, which is clearly stated in their annual reports.
- ttt. The performance of the domestic industry in 2019-20 was impacted by volatility in the market, lower price realizations and weak demand, causing an unprecedented slump in the market, as is evident from annual reports of RIL.
- uuu. Profitability of the domestic industry may also be impacted due to price fluctuation of ethylene and such impact must be examined.
- vvv. The increase in the average stock of the domestic industry is due to the large MEG set up in China PR which is evident from the annual report of the domestic industry.
- www. The prices and margins of the domestic industry are based on CFR China spot prices of MEG as published by ICIS or Platts. However, there is an oversupply in the Chinese market, as admitted by the domestic industry.
- xxx. The domestic industry has remained silent on the significant price increase of MEG in 2021.
- yyy. The responding producers have sufficient storage capacities and have no need to dump the subject goods in India.
- zzz. The base year in the present investigation is entirely abnormal as in 2017 China announced a ban on its import of plastic waste, due to which the demand for MEG shot up. This is also acknowledged by RIL in its Annual Report for the year 2017-18. Therefore, using 2017-18 as base year exacerbated how injury is reflected. The base year should be ignored or adjusted, as was done in the investigation concerning imports of Phenol from Thailand and USA.

## **H.2. Submissions of the domestic industry**

- 87. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to injury and causal link.

- a. The domestic industry has been forced to match the prices of the subject imports which have allowed the domestic industry to maintain its volume parameters but have severely impacted its profitability.
- b. Owing to the manner in which production process is structured, there is a compulsion on the part of the applicant to produce ethylene and thereby MEG.
- c. MEG can be stored only in specific storage capacities and due to such capacities being limited, the producers are forced to sell the product at available prices.
- d. The producers in the subject countries are also forced to sell MEG due to production chain related to other products, as a result of which they resort to dumping in India to dispose their production while selling at high prices in their own markets.
- e. Price is an important factor for users of MEG and thus producers engage in price competition.
- f. Since MEG is a petrochemical product, it largely operates on pass-through basis. However, the mark-up of landed price over materials cost has declined in the present case, forcing the domestic industry to reduce its prices.
- g. The domestic industry has suffered injury since 2019-20 which has continued in the period of investigation.
- h. The demand for the subject goods increased throughout the injury period but has declined in the period of investigation due to effect of Covid-19 pandemic.
- i. While the volume of imports was high initially, it declined in 2018-19 due to the capacity expansion by the domestic industry. However, the volume of imports increased in 2019-20, but declined again during period of investigation, due to the Covid-19 pandemic.
- j. The volume of imports exceeds the demand supply gap in the country. Further, while the demand-supply gap has reduced over the period, the imports in excess of such gap have increased.
- k. The imports from the subject countries account for 95% of total imports in the period of investigation, while the imports from other countries have declined.
- l. The landed price of the imports has declined significantly and was the lowest during the period of investigation.
- m. The decline in landed price has outpaced the decline in price of ethylene, due to which mark-up of landed price over ethylene has declined over the period.
- n. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, despite the domestic industry having reduced its prices to compete with the imports.
- o. With reference to claim regarding change in the price undercutting, minor linking error regarding price undercutting for Saudi Arabia was identified and rectified before initiation by the Authority.
- p. The profitability of the domestic industry was higher in 2017-18, when the price undercutting was high indicating absence of competition. However, the domestic industry was forced to reduce its prices to compete with imports, resulting in marginal price undercutting.
- q. The imports are depressing the prices of the domestic industry.
- r. Due to reduction of domestic prices, the profitability of the domestic industry has declined significantly. Further, there is a direct link between the decline in mark-up of import price over raw material price and decline in profits of domestic industry.
- s. The cash profits and return on capital employed earned by the domestic industry have declined significantly when compared to that in the beginning of the injury period. Further, the domestic industry has earned very low returns during the period of investigation.
- t. The domestic industry is being forced to export at losses due to significant injury being caused by the subject imports.
- u. The domestic industry has merely sought that return allowed on depreciated plants be based on return for new plant. Such approach is not precluded under Annexure-III, which only requires that reasonable return be provided, which in this case is higher than 22%. Further, non-injurious price determined on the basis of depreciated assets would only address the situation of RIL, resulting in discrimination against any new producers, as held by the Supreme Courts in Reliance Industries Limited vs. Designated Authority. It is the consistent practice of the Authority to allow a return of 22% to the domestic industry, unless the interested parties demonstrate with evidence the need for consideration of different return, as held by the Tribunal in numerous cases.

- v. In the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing vs. DA, the interested parties placed evidence to demonstrate that lower returns were earned globally by producers.
- w. As regards the reliance on European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) v Council , the domestic industry submits that it has no objection if the Authority adopts the higher returns earned by it in the past for the determination of non-injurious price, in accordance with the submissions of the interested parties.
- x. While the low demand for the subject goods would have been sufficient for the domestic industry to utilize its entire capacity, but it was unable to do so due to significant competition from imports.
- y. With regard to the claim for examination of performance of entire value chain of products of RIL, it is submitted that since information regarding all economic parameters of the domestic industry is available for the like article itself, reference to a broader basket of products is impermissible under Para (vi) of Annexure – II. Further, allocation of resources to other products clearly indicates that production of like article has become unviable due to injury. In any case, the production of MEG has increased during the period of investigation and thus diversion of ethylene to other products is not required.
- z. Since RIL operates on SBU ( Standalone Business Unit ) basis, any expenses pertaining to other products, including any impairment expenses, have not been considered for the purpose of determining cost of production or the non-injurious price.
- aa. With regard to the claim that the Authority must examine both volume and price effects of dumped imports, it is submitted that the Authority is only required to examine whether imports had a volume or price effect to determine injury caused to the domestic industry. Such approach was followed by the Authority in the case of Caustic Soda from Japan, Iran, Qatar and Oman.
- bb. Contrary to the claims of the other interested parties, the Authority is not required to analyze every parameter provided under Para (vii) of Annexure II and existence of one or more parameters can be considered for determination of threat, as observed by WTO Panel in US – Softwood Lumber.
- cc. Contrary to the claims of the interested parties, the Authority is not required to conduct country-wise volume and price analysis as pre-condition to cumulative analysis, as observed by the Appellate Body in EC –Tube or Pipe Fittings.
- dd. As regards the claim for exclusion of 2017-18 since it was as exceptional period, it is submitted that the performance of the domestic industry has declined in the period of investigation when compared to 2016-17 or 2018-19, even if the data for the 2017-18 is excluded. Further, Para (v) of Annexure II requires segregation of injury caused due to other factors but there is no requirement for segregation of improved performance due to other factors.
- ee. The injury to the domestic industry is not caused due to other factors.
- ff. There exists a causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry.
- gg. The Authority is not required to conduct non-attribution analysis regarding features inherent to the domestic industry that have remained unchanged, such as raw material used, as held by the Appellate Body in EU – Biodiesel. Further, injury to the domestic industry must be seen as it exists.
- hh. Bio-MEG and petrochemical based MEG compete in the same market and thus, decline in the price of imports would force IGL to reduce its prices, leading to decline in profitability.
- ii. IGL has been unable to fully utilize its production capacities due to presence of cheap imports in the market and has been forced to export goods.
- jj. The other interested parties have failed to demonstrate the impact of Covid-19 on the performance of domestic industry with evidence.
- kk. IGL had closed its plant for only a brief period during Covid-19 pandemic, while RIL continued operating its plants despite decline in demand since cost of shutting down would have cascading impact on upstream plant. Further, RIL was forced to export significant quantities despite sufficient domestic demand, due to continuous dumped imports.
- ll. The domestic industry has suffered injury since 2019-20 which was prior to the pandemic. Further, low crude prices and pandemic are universal factors, the effects of which are not limited to the domestic industry.
- mm. Contrary to the claims of the other interested parties, decline in prices of MEG is not due to Covid-19 since shut-downs caused due to the same would have led to increase in costs and as a result increase in prices. However, the price of the subject imports declined during the period of investigation.

- nn. The domestic industry has claimed injury only on account of low profits in domestic sales. Further, profitability of the domestic industry would likely increase if the price of feedstock as available to exporters is considered.
- oo. The injury claimed cannot be attributed to export sales, and relates only to performance in the domestic market.
- pp. Injury to the domestic industry is not on account of investments since the EBIDTA of the domestic industry has reduced.
- qq. Performance of the domestic industry declined in 2019-20 on account of lower price realization and volatility caused by the dumping of the subject goods. For this reason, the domestic industry had previously filed a petition in December 2019.
- rr. The domestic industry did not suffer any injury due to shortage of raw materials. Further, provision of Oxygen during Covid-19 by RIL was not at the cost of its own production.
- ss. Oversupply in the market coupled with increase in capacities in China PR in 2019-20 sparked a price competition which forced the producers in the subject countries to reduce their prices, resulting in dumping.
- tt. MEG is globally sold at prices benchmarked to CFR China prices. However, producers in the subject countries offer discount at such prices when exporting to India, forcing the domestic industry to also reduce its prices, thereby causing price injury.
- uu. RIL has not acquired JBF Industries and Shubhlakshmi Polymers. Further, acquisition of Alok Industries by RIL cannot have any impact on the demand or supply of the product.
- vv. Decline in prices of MEG in other countries is not relevant to the present investigation.
- ww. Increase in prices of MEG post-period of investigation is temporary caused due to increase in freight container rates.
- xx. The US-China trade issues did not cause injury during the period of investigation since exports of MEG from US to China PR increased during such period.
- yy. There exists threat of further material injury to the domestic industry.
- zz. The producers in the subject countries have underutilized capacities which may be utilized to increase the volume of exports to India. Further, such unutilized capacities total upto 95% of the total demand in India.
- aaa. Limited demand for MEG coupled with significant production has led to global oversupply, as a result of which the producers have resorted to unhealthy trade practices by reducing their price to increase their market share.
- bbb. There exists minimal demand for MEG in the subject countries, which indicates that the total production in such countries is intended for exports.
- ccc. The producers in the subject countries have expanded their capacities in the period of investigation which is likely to come into full effect from 2021.
- ddd. In addition to the subject countries, producers in China PR have also enhanced their capacities, implying reduced demand for subject imports in the Chinese market.
- eee. The positive price undercutting implies that imports are likely to suppress and depress the prices of the domestic industry if duties are not imposed.
- fff. Producers in Kuwait and Saudi Arabia have received inputs at unfairly low prices, resulting in lower prices in their domestic markets as compared to other markets.

### H.3. Examination by the Authority

- 88. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

### I. Cumulative assessment

- 89. Article 3.3 of the WTO Agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
90. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
  - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - c. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
91. With regards to the argument raised by the other interested parties that imports from Kuwait, Saudi Arabia and USA cannot be cumulatively analyzed as price of imports from Saudi Arabia has declined while price of imports from Kuwait and USA has not, the Authority notes that Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement as well as Para (iii) of Annexure II expressly provide the conditions to be satisfied before the conducting cumulative analysis of the imports from all subject countries. Such provisions do not require the Authority to undertake a country-wise analysis of prices prior to such cumulation. Such view has also been taken the Appellate Body report in EC – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [DS/129/AB], wherein it was held as follows –
- “110. We find no basis in the text of Article 3.3 for Brazil's assertion that a country-specific analysis of the potential negative effects of volumes and prices of dumped imports is a pre-condition for a cumulative assessment of the effects of all dumped imports. Article 3.3 sets out expressly the conditions that must be fulfilled before the investigating authorities may cumulatively assess the effects of dumped imports from more than one country. There is no reference to the country-by-country volume and price analyses that Brazil contends are pre-conditions to cumulation. In fact, Article 3.3 expressly requires an investigating authority to examine country-specific volumes, not in the manner suggested by Brazil, but for purposes of determining whether the 'volume of imports from each country is not negligible'.”*
92. In view of the above, the Authority holds that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from Kuwait, Saudi Arabia and USA cumulatively.
93. The other interested parties have claimed that both significant volume and price effect must exist to conclude material injury. It is noted that with regards to determination of injury to the domestic industry, para (i) of Annexure-II to the Rules provides that the Authority must examine both, volume of dumped imports and price effect of dumped imports on the domestic prices and the impact of such imports on the domestic industry. The term “both”, in context to para (i) refers to examination of volume and price effect on one hand and the examination of impact of dumped imports on the domestic industry. However, such provision does not mandatorily require the Authority to determine existence of injury to domestic industry only where the volume of imports has increased and the dumped imports have had an adverse price effect.
94. With regards to the contention that overall performance of the value chain should be considered, the Authority notes that as per the provisions of para (vi) of Annexure – II to the Anti-Dumping Rules quoted below, the effect of imports on parameters of the domestic industry shall be assessed in relation to the like article only.
- “(vi) The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like article when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.”*
95. In the present case, separate data for the performance in terms of production, sale and profitability of the like article has been provided by the domestic industry which shall form basis of the injury analysis, in accordance with the provisions of para (vii) above. Accordingly, the performance of the applicant in its overall value chain including upstream or downstream products is not relevant.



96. The other interested parties have also claimed that since 2017 was an exceptional year for MEG industry, the same should be excluded from the injury analysis. In this regard, reliance has been placed on the findings of the Authority in the case of Phenol from Thailand and USA. The Authority has conducted injury examination by comparing base year to the period of investigation as well as by conducting a year-on-year analysis.
97. The other interested parties have also claimed that since IGL produces Bio-MEG using a different production process, injury parameters for RIL and IGL cannot be clubbed. The Authority finds that injury analysis is required to be conducted having regard to the domestic industry for the like product. As noted above, Bio-MEG and MEG produced from ethane/butane/propane are like product, and therefore, shall be included in the injury analysis. Further, both products compete in the same market and are used interchangeably by the users. Thus, any changes in the demand or prices of MEG produced from ethane/butane/propane would have an impact on Bio-MEG and vice-versa. Thus, arguments made by other interested parties in this regard are not tenable.
98. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
99. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and the other interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

## II. Assessment of demand / Apparent consumption

100. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Including captive consumption					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	146	133
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	97	97
Subject imports	MT	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
Other imports	MT	1,60,583	91,173	78,587	27,747
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	109	93
Excluding captive consumption					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	168	176	156
Sales of domestic producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	97	97
Subject imports	MT	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
Other imports	MT	1,60,583	91,173	78,587	27,747
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	103	85

101. It is seen that the sales of domestic industry, demand for the product under consideration (including captive consumption) was increasing steadily till 2019-20 but has declined in the period of investigation which the domestic industry has submitted that it may be due to COVID-19. Further, the volume of subject imports has also been decreased substantially.

### III. Volume effect of dumped imports

102. With regards to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Subject imports	MT	9,05,364	5,41,087	7,07,961	5,23,864
Kuwait	MT	***	***	***	***
Trend		100	80	100	89
Saudi Arabia	MT	***	***	***	***
Trend		100	42	49	23
USA		***	***	***	***
Trend		100	55	1,15,850	86,403
Other imports	MT	1,60,583	91,173	78,587	27,747
Subject imports in relation to					
Production	%	***	***	***	***
Trend		100	45	61	44
Consumption	%	***	***	***	***
Trend		100	58	72	62
Total Imports	%	***	***	***	***
Trend		100	101	106	112

103. It is noted that the volume of subject imports has reduced during the POI in absolute terms and in relation to production and consumption in India. This decrease may be due to COVID-19 as admitted by the domestic industry. However, the volume of imports seems to have not adversely affected the performance of the domestic industry.

### IV. Price effect of the dumped imports

104. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject countries with the net sales realization of the domestic industry for the subject goods.

#### Price undercutting

105. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	Kuwait	Saudi Arabia	USA	Subject countries
Net selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed price	Rs./MT	***	***	***	***

Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10	0-10	10-20	0-10

106. It is noted that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting ranges from \*\*\*% in case of Kuwait and Saudi Arabia from where maximum dumped import took place.

**i. Price suppression / depression**

107. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	104	87
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	70	65
Landed Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	72	62

108. It is seen that both cost of sales and selling price of the domestic industry have declined over the injury period.
109. With regards to the domestic industry's submission that injury must be analyzed either in terms of volume or price effects, the Authority notes that injury must be assessed based on the overall state of the domestic industry, and not merely on the effect that the imports have on the price. The domestic industry has not demonstrated injury in terms of volume parameters but has stated that it is suffering injury on account of the low prices of the subject imports. Notwithstanding, the Authority has analyzed the price effects of imports on the domestic industry.
110. As regards the submission that the domestic industry was forced to match the prices of the subject imports in order to maintain its market share, the Authority has examined the said claim of the domestic industry. It is noted that cost of sales of domestic industry has declined during the injury investigation period and selling price of the domestic industry is above its cost of sales. The gap between selling price and cost of sales is about 20% during POI as compared to about 8% during 2019-20. Domestic industry cannot solely rely on reduction in gap between its cost of sales and selling price in the POI as compared to base year to claim that it is suffering price suppression or price depression due to imports from subject country. Also, the market share and the sales of the domestic industry have improved from the base year to the POI.
111. The domestic industry has also claimed that: (a) landed price of the imports has declined significantly and was lowest during the POI; (b) decline in landed price has outpaced the decline in price of ethylene. The Authority has already noted that there is decline in cost of sales of domestic industry and selling price of domestic industry is above the cost of sales. Further, cost of sales has been reduced by about 16% during POI as compared to 2019-20 where as landed value has been reduced by about 14% only in the same period. Comparison with base year may always not give true picture. Therefore, decline in landed price of imports cannot be said to be causing price suppression or depression.

**V. Economic parameters of the domestic industry**

112. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

**i. Capacity, production, capacity utilization and sale**

113. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	128	128
Adjusted capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	128	127
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	136	139
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	106	109
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	168	176	156
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	157	66	223
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	124	116
Captive consumption in relation to domestic sales	%	***	***	***	***

114. It is noted that:

- The capacity of the domestic industry increased in 2018-19 due to capacity expansion by the domestic industry and has remained constant thereafter.
- The production and capacity utilization of the domestic industry declined in 2019-20 but has increased in the period of investigation. The production has been increased by more than 2% during POI.
- The domestic sales of the domestic industry increased over the injury period and have declined only in the period of investigation as a result of decline in demand on account of Covid-19 pandemic.

**ii. Market share**

115. Market share of the domestic industry and other Indian producers is as below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
<b>Including captive consumption</b>					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	134	143
Other producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	89	104
Subject countries	%	***	***	***	***
Other countries	%	6.60	3.65	2.97	1.22
<b>Excluding captive consumption</b>					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	181	171	184

Other producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	94	114
Subject countries	%	***	***	***	***
Trend		100	64	76	68
Other countries	%	***	***	***	***
Trend		100	61	47	20

116. It is noted that the market share of the domestic industry has increased during the POI. This indicates that the dumped imports have not adversely affected the market share of the domestic industry.

### iii. Inventories

117. Inventories with the domestic industry over the injury period are as below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	144	196	156

118. It is noted that the inventories with the domestic industry increased significantly till 2019-20 but declined in the period of investigation. The average inventory of the domestic industry has substantially reduced during the POI as compared to the previous year (i.e. 2019-20) which is an important indicator of financial improvement of domestic industry.

### iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

119. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	104	87
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	70	65
Profit/ (Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	14	28
Profit/ (Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	25	44
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	51	60
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	45	61

120. The domestic industry has claimed that there is a significant decline in profitability parameters during the POI as compared to the base year. However, it is seen that the profits of domestic industry reduced till 2019-20 but have increased during the POI. The percentage of profit earned during the POI on the cost of sales is about \*\*\*% (as compared to \*\*\* during 2019-20). Although, the selling price has reduced during the POI as compared to 2019-20, but the reduction in cost of sales is much higher during the same period. Further, cash profits have increased significantly during the POI as compared to 2019-20. Return on capital employed has also improved during the POI as compared to 2019-20. Due to extensive capital investment, the ROCE is about

\*\*\*% during POI; which happens during initial period investment as the fixed market size of the product cannot absorb such huge burden of investment during the initial years. For conducting wholistic and objective assessment of economic parameters, Authority is also required to consider intervening trends during the injury investigation period and cannot rely merely only on end-to-end comparison.

**v. Employment, wages and productivity**

121. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
No. of employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	93	82
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	136	139
Productivity per employee	MT/Employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	146	169
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	190	173	147

122. It is seen that the number of employees and wages paid by the domestic industry have declined in the period of investigation. The productivity per day and productivity per employee have increased in the period of investigation, as the production of the domestic industry has increased.

**vi. Growth**

123. The trend of volume and profit parameters of the domestic industry are as under:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	%	-	41	-4	2
Domestic sales	%	-	68	5	-11
Profit per MT	%	-	-52	-71	102
Cash profits	%	-	-6	-46	18
Return on capital employed	%	-	8	-59	37

124. It is noted that all volume parameters except domestic sales have shown improvement during the POI. It is further noted that profitability parameters have also shown improvement during the POI.

**vii. Ability to raise capital investment**

125. The Authority notes that the domestic industry has already increased capacity. From the examination of facts on record, it cannot also be considered that the ability of the domestic industry to raise further capital investment has been hampered.

**viii. Factors affecting prices**

126. From the examination of facts on record, there is no conclusive evidence to show that imports have adversely affected the price of domestic industry.

**ix. Magnitude of dumping**

127. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

**I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

128. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include,

inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

129. The Authority has concluded that there is no injury to the domestic industry and therefore there is no further requirement to examine whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

#### **J. OVERALL ASSESSMENT OF INJURY**

130. On the basis of information on record and detailed analysis conducted hereinabove, the Authority concludes the following as regards injury to the domestic industry-
- There is decline in volume of imports of subject goods in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
  - The landed price of the subject imports as well as cost of sales of the domestic industry have declined during the injury investigation period.
  - There is no conclusive evidence to show that the imports have had a significant depressing effect on the prices of the domestic industry.
  - The production, capacity utilization and market share of the domestic industry have increased over the injury period.
  - Profits, Cash profits and Return on Capital Employed of the domestic industry have increased in the POI. There is no impact on the ability of the domestic industry to raise fresh investment.
131. In view of the foregoing, the Authority, concludes that the domestic industry has not suffered material injury due to the dumped imports.

#### **K. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS**

##### **L.1. Submissions made by the other interested parties**

132. The interested parties have reiterated their submissions with regard to the product under consideration and inclusion of bio-MEG, confidentiality, initiation of investigation after recent termination, particular market situation and proper comparison, injury to the domestic industry, causal link. These facts have already been considered while issuing essential facts. These interested parties have provided no new legal or factual basis to justify why the facts considered by the Authority and proposed determination stated in the disclosure statement on these accounts were inappropriate. Additionally, the parties have submitted as follows:
- Petro Rabigh reiterates its submissions that it is related to SABIC through Saudi Aramco, which holds significant shares in both the companies. Therefore, a single weighted average rate of dumping margin should be granted to these related parties, regardless of whether Petro Rabigh has exported to India. The shareholding is sufficient to constitute relationship under Trade Notice No. 9/2018.
  - The fact that SABIC did not acknowledge relationship with Petro Rabigh is not the relevant consideration for determination of relationship.
  - The Authority has not provided reasons for considering export price to third countries for determination of normal value instead of considering cost of production plus SGA and reasonable profit as per its consistent practice.
  - Even the European Commission has not used the third country methodology for computation of normal value for Kuwait. The European Union and Australia also consider cost of production, and not export price to third countries for normal value.
  - Pakistan cannot be chosen as an appropriate third country for normal value determination since it is not 'similar' to Kuwait, therefore the prices would not be "representative". The economic conditions of the country of export (i.e., Kuwait) must be compared with the appropriate third country and not those in India. Based on such conditions, Oman would have been an appropriate third country for determination of normal value. Similarly, consideration of Indonesia was not appropriate.
  - Selection of Pakistan as an appropriate third country for Kuwait on the basis of similarity in export volumes to Pakistan and India is not sustainable in law or logic.
  - For selection of appropriate country, the criteria provided in para 7 of Annexure I should be applied.
  - The rejection of China PR as a third country is erroneous since the export price to China PR would not be impacted by the non-market economy status.

- i. ExxonMobil Chemical Asia Pacific stated that it is only a related trader for YANPET and not other entities mentioned in the disclosure statement.
- j. The support letter filed by Indian Oil Corporation Limited should not be accepted since it is not in the appropriate form as required in Trade Notice 13/2018, and the support letter was not circulated to interested parties.
- k. The injury to the domestic industry is on account of import of raw material at high cost and captive consumption of the domestic industry.
- l. The volume parameters of the domestic industry have improved. The decline in sales is due to the decline in demand. Despite decline in the selling price of the domestic industry, profitability of the domestic industry has increased during the period of investigation as a result of reducing cost of sales.
- m. The profitability of the domestic industry was adversely impacted due to increase in interest and depreciation cost.
- n. The profitability of the domestic industry would likely have increased in case there was adequate demand in the market.
- o. Rejection of PCN merely because the contention was raised in the rejoinder is inconsistent with the law.
- p. The Authority has not conducted a causal link analysis, and has conducted only a non-attribution analysis.
- q. The Authority has not examined the injury with regard to statements in annual reports concerning impact of Covid-19 on demand, diversion of oxygen, and increase in inventories due to capacity expansion in China PR.
- r. When the demand for the product declined during the period of investigation, the domestic industry exported large volumes, which indicates that the injury is on account of a shift in interests of the domestic industry.
- s. The disclosure statement, the dumping margin table and confidential calculations shared by the Authority do not satisfy the requirements of Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement.
- t. The Authority has not appropriately disclosed how the export price has been calculated for non-cooperative channels of EQUATE Group.
- u. It should be recorded that MIC had filed a response to the questionnaire (post objection raised by the domestic industry).
- v. Despite detailed submissions regarding public interest by users, the same have not been examined in the disclosure statement.
- w. The Authority should consider non availability of international quality raw material at international competitive prices, impact of Covid-19, closure of units due to unavailability of such raw material, loss of livelihood to downstream industry, reduction in export of finished goods by MSME sector, market asymmetry likely to be established by the imposition of duties.

## **L.2. Submissions made by the domestic industry**

133. The domestic industry reiterated its submissions with regard to public interest. The following submissions, concerning injury, causal link and normal value have been made by the domestic industry in response to the disclosure statement:
  - a. The injury analysis is required to be conducted over the entire injury period and actual intervening trends are required to be considered, as observed by WTO Panel in Pakistan – BOPP and EC – Tubes and Pipes, whereas the disclosure statement leans heavily between the period of investigation and preceding year for price parameters, due to which the analysis is not objective.
  - b. Comparison limited to the period of investigation and the preceding year defeats the purpose of considering an injury period of four years.
  - c. The observation that profitability improved in the period of investigation implies an assumption that the domestic industry should have started suffering injury only in the period of investigation.
  - d. The Authority had earlier initiated an anti-dumping investigation in 2019, finding prima facie evidence of dumping, injury and causal link. The domestic industry had started suffering injury due to imports in 2019-20, and thus some improvement compared to 2019-20 does not show that the domestic industry has not suffered injury. An improvement as compared to a period of injury cannot lead to a sound conclusion.



- e. While the subject imports have declined, the same is on account of increased capacities of the domestic industry. The imports increased in 2019-20 before declining again in the period of investigation, due to Covid-19, but have increased post POI.
- f. Since only imports in excess of demand-supply gap are injurious to the domestic industry, only such imports should be considered for examination of volume of imports. Imports in excess of the demand-supply gap have increased over the period, thus establishing that whereas the imports were largely occurring due to demand-supply gap, these are now occurring due to dumped prices.
- g. In a situation of demand exceeding supply, the prices would not be under pressure and the producers would be able to adjust their prices at least to the extent of changes in raw materials costs. Even then, the landed price of the subject imports has declined steeply over the injury period and was the lowest during the period of investigation.
- h. A comparison of the landed price with demand-supply gap shows that the exporters have reduced the landed price during the period where they have sought to increase the volume far in excess of market need due to demand-supply gap.
- i. The decline in landed price has coincided with the increase in capacities of the domestic industry, which shows a clear intent to prevent the domestic industry from capturing an increased market share.
- j. The mark-up of the landed price over prevailing ethylene prices had reduced and became negative during 2019-20 and the period of investigation, which is directly reflected in the profitability of the domestic industry.
- k. In 2017-18, the domestic industry was able to get higher than import price. In 2018-19, the domestic industry increased its capacities and had to reduce its prices, in order to compete with the much lower import price. In 2019-20, having lost significant share in 2018-19, the exporters reacted to retain their market, by reducing their prices. This allowed them to increase their volume and market share. Again, during the period of investigation, the exporters reduced their prices more than raw materials costs, forcing the domestic industry to reduce prices.
- l. It has not been considered that the price of imports is even lower than the cost of raw material used to produce the subject goods based on international prices of ethylene. Even though the disclosure statement records the decline in raw material cost, the trends of the same vis-à-vis the selling price and landed price have been ignored.
- m. The decline in selling price over the injury period is much higher than the decline in cost of sales of the domestic industry.
- n. India Glycols Limited was already in losses in the period of investigation. While Reliance Industries Limited had been able to maintain its profitability during the period of investigation, it has also started suffering losses in the recent period.
- o. The profitability of the domestic industry should be compared to the period when it was not suffering injury due to dumping, that is, 2017-18 and 2018-19.
- p. The improvement in profits of the domestic industry is largely attributable to the inherent improvement in cost efficiencies, and not any improvement in market situations, as the conversion cost declined in the period of investigation.
- q. Profits, profit per unit, cash profits and return on investment have declined compared to 2018-19 and the base year.
- r. The EBIDTA has declined in period of investigation, even in relation to preceding year, which shows that the cost of the domestic industry not impacted by capacity expansion leading to higher interest and depreciation cost.
- s. Due to the decline in profitability, the domestic industry has earned low returns on its investment during the period of investigation and preceding year, especially considering that this is return before allowing for interest cost and taxes of the domestic industry. The return was lower than that considered reasonable.
- t. Owing to the inability to sell the subject goods in the domestic market, the domestic industry was forced to resort to exports, even at loss.
- u. Had the domestic industry not exported the subject goods in significant quantities, its performance would have shown a sharper decline, since the higher volume allowed it to reap benefits of economies of scale. While such losses in exports have been segregated, the resultant higher profits of the domestic industry are being held against the domestic industry.

- v. The Authority should consider post POI data in the present case, which shows the following
  - i. The imports have increased significantly in 2021-22 imports in Q1 2022-23 (Annl.) are double than that in the period of investigation, even though demand increased by 42%.
  - ii. The imports in relation to domestic production have returned to almost the same levels as that prior to capacity expansion by the domestic industry.
  - iii. The imports have also increased in relation to consumption, resulting in the domestic industry facing a decline in market share by 23%.
  - iv. While the raw material cost and cost of sales of the domestic industry increased, it was forced to match the prices of the domestic industry post POI due to which it has suffered losses, cash losses and negative returns.
  - v. The volume parameters of the domestic industry have also declined post POI.
  - vi. Despite a demand-supply gap in the country, the domestic industry has faced under-utilized capacities post POI.
- w. During POI, the raw material price had reduced due to Covid-19 pandemic, which is why the domestic industry had been able to maintain its profitability. However, post POI, the raw material price increased, due to which the domestic industry suffered loss.
- x. The Authority has considered post POI data in a number of original investigations in the past as well, such as Front Axle Beam, Carbon Black, Viscose Staple Fibre, Nitrocellulose, HR 304, etc.
- y. It is not necessary that the domestic industry must suffer losses before it can be considered as suffering material injury, since the law requires examination of whether there has been a decline in profits.
- z. In a number of cases in the past, such as Décor Paper, Polyester Spun Yarn, LDPE, PET Resin etc., the Authority has found that the domestic industry has suffered material injury in a number of cases, in view of the decline in profits of the domestic industry, even though the domestic industry did not suffer losses.
- aa. For a conclusion that material injury exists, it is not necessary that all factors listed in law must show deterioration. The WTO Panel in Pakistan – BOPP, it was noted that while an investigating authority must assess all factors, there is no requirement that all factors be required to show a decline. Same view was taken by Tribunal in Reliance Industries Limited vs. Designated Authority.
- bb. When faced with dumped imports, any domestic producer has two options – (a) either maintain its prices, in which case the customers may shift to cheaper imports, or (b) reduce its prices, to retain the customer. In the present case, the domestic industry did not have the option of letting its customers shift since it would have impacted the upstream operations, and operations relating to other products dependent on such upstream operations.
- cc. The parameters listed under the law are only minimum parameters, and not exhaustive, as held by the Tribunal in Lubrizol (India) Private Limited vs Designated Authority. However, other parameters identified by the domestic industry have not been considered in the disclosure statement.
- dd. Profits are of a paramount importance to a business enterprise, as no business can hope to survive without sufficient profits. The Hon'ble Tribunal in the case of Forum of Acrylic Fibre Manufacturers v. Designated Authority had also emphasized the importance of profits.
- ee. A possible finding that there is no injury to the domestic industry would be inconsistent with the past findings of the Authority (such as LDPE) on similar facts relating to economic parameters of the domestic industry, the Authority found injury. Indeed, it would be discriminatory. Any quasi-judicial authority cannot keep taking different views on similar set of facts, as held by High Court of Delhi in the case of Interglobe Aviation Ltd. vs. Union of India.
- ff. There have been several cases (such as PSY, Silicone Sealants, Plan MDF Board, Persulphates) wherein the Authority concluded that the domestic industry had suffered injury, in terms of decline in profitability over the injury period; notwithstanding an improvement in profits as compared to preceding year.
- gg. In the initiation notification, the Authority had recorded prima facie evidence regarding such threat, but the same has not been examined.
- hh. The information given with regard to threat of further injury in its submissions has not been considered in the disclosure statement. The following show threat of injury
  - i. While the volume of subject imports has briefly declined during the period of investigation, such volumes have increased significantly post POI and are higher than at the beginning of the injury period.

- ii. On a quarterly basis, the imports have shown a consistent increase in each quarter post April-June 2020, till April-June 2022.
- iii. Even during injury period, the imports in excess of the demand-supply gap (which are injurious to the domestic industry) had increased, and were 4 times the demand-supply gap during the POI.
- iv. The producers in the subject countries have significant idle capacities, almost equivalent to 95% of the demand in India, and are undertaking fresh expansion.
- v. There is a global oversupply for MEG, due to which the producers resort to dumping to clear their stock.
- vi. While producers in the subject countries account for 38% of the global production, they constitute a mere 7% in demand, showing that the production is meant for exports.
- vii. There is no or insignificant demand in Kuwait and Saudi Arabia. In case of USA, 57% of the capacities are set up for exports.
- viii. While China PR was one of the largest importers of MEG globally, there have been multiple capacity expansions there in the last three years. Exports to China would now be redirected to the next largest consumer in Asia, that is, India.
- ix. The positive price undercutting during the period of investigation indicated that the imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices.
- x. The imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. As noted by Tribunal in *Forum of Acrylic Fibre Manufacturers vs. Designated Authority*, imports below non-injurious price would be a barometer in a likelihood analysis, ringing an alarm.
- xi. The landed price and cost of sales of the domestic industry showed that in the absence of duty, it would be forced to match the import price, and sell at much lower profits.
- xii. Post POI, the threat has materialized as the volume of imports increased and the volume parameters of the domestic industry showed a decline. Further, the profitability of the domestic industry deteriorated, and it started incurring losses.
- ii. The significant increase in the volume of imports in the post-POI period is most relevant for determination of threat of injury since such increase relates to the most recent period.
- jj. As held by WTO Panel in *US – Softwood Lumber*, the parameters provided under Para (vii) of Annexure II to Anti-Dumping Rules are to be examined by the Authority, but it is not necessary that every parameter exist, before making a determination of threat of further injury.
- kk. The Authority had initiated the investigation after examining accuracy and adequacy of evidence provided, and satisfaction of the Authority regarding the existence of injury. Even if it only a prima facie opinion is formed at the stage of initiation, the same still does not imply that the observations were made superficially. As held by High Court of Delhi in *D.T.C V. Delhi Administration*, prima facie means sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted. In the absence of any adverse evidence post stage of initiation, the observations made at the stage of initiation should hold good.
- ll. At the stage of initiation, the Authority noted that performance of the domestic industry was adversely impacted in respect of profits, cash profits and return on investment. On the same trends and the same facts, a different view cannot be taken at the stage of findings.
- mm. As regards contention of the interested parties that the volume of imports have declined while the volume parameters of the domestic industry have improved, it is submitted that the same is clearly an effect of the increase in capacity of the domestic industry. As noted by the Designated Authority in the case of Phenol, decline in imports is a natural consequence of such an increase in capacities in the country.
- nn. In a number of cases, the Authority has found that the domestic industry has suffered injury, where the volume parameters had shown improvement and imports had declined; owing to the adverse price effect of imports.
- oo. The interested parties have contended that the injury to the domestic industry is due to use of naphtha, instead of the “cost effective” ethylene route. However, the domestic industry was having higher profitability when the domestic industry was earlier producing proportionately more through naphtha route. As the production increased through ethane route, profits fell sharply. In any case, non-attribution analysis is not required to be conducted for factors inherent to the domestic industry.
- pp. Even if it is assumed that the domestic industry has partly suffered injury due to use of naphtha, it would not impact the quantum of duty, since injury margin is lower.

- qq. As noted by the Authority, the particular market situation in the subject countries allows exporters to procure raw materials and inputs such as natural gas at unfair prices. Despite the same, they have resorted to dumping.
- rr. While the interested parties have claimed that the year 2017-18 is abnormal due to higher demand, the demand has increased thereafter in 2018-19 and 2019-20, before declining due to Covid-19 in the period of investigation. Further, the mark-up of landed price over the prevailing cost of raw material was in fact, lower in 2017-18 than in 2018-19.
- ss. Even if the period of 2017-18 is ignored, the performance of the domestic industry has shown a decline as compared to 2018-19. Further, the data relating to 2016-17 is also available before the Authority, which shows that the profitability during the period of investigation is lower than that in 2016-17 as well.
- tt. Since various aspects and factors showing the injury suffered by the domestic industry have not been considered in the disclosure statement, the domestic industry requests another hearing to explain the same.
- uu. While the producers from Saudi Arabia and Kuwait claimed that they have sufficient domestic sales for determination of normal value, the disclosure statement shows the contrary. This clearly shows that the producers willfully misled the Authority at the stage of filing response, and their response should be rejected.
- vv. Even if the data pertaining to exports to third country was submitted at a later stage, no non-confidential version of the same was even circulated.
- ww. The domestic industry has not been given complete disclosure of non-injurious price and is thus unable to give adequate comments on the same.

### **L.3. Examination by the Authority**

- 134. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that most of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are however examined below.
- 135. Petro Rabigh has reiterated its claim that individual rate of dumping margin determined for SABIC/SABIC group producers should be extended to Petro Rabigh. The Authority has not recommended imposition of anti-dumping duty and therefore there is no need to examine if individual rate of dumping margin determined for SABIC/SABIC group producers should be extended to Petro Rabigh in the facts of the present case.
- 136. The EQUATE Group has claimed that the normal value determined is not appropriate for the reasons that (a) the Authority has deviated from its practice of considering cost of production (b) the Authority has disregarded China since it is a non-market economy, (c) the Authority has considered export price to Pakistan as appropriate price (d) the Authority did not consider export price to Oman as appropriate price, (e) the provisions of Para-7 should be applied to determine appropriate country. In this regard, the Authority notes that Anti-dumping Rules provides for two alternative methods for determination of normal value when the normal value cannot be determined based on domestic selling price. The first alternative is that the normal value can be determined based on export price to third countries. The second alternative is that the normal value can be determined based on cost of production in the country of origin plus SGA expenses and profit. The Authority has determined normal value based on first alternative and there is no departure from its consistent practice.
- 137. In the subject investigation, as per the information available on record, producer/exporter in Kuwait had exported MEG to 4 countries namely, China PR, India, Pakistan & Oman. Highest export volume of MEG from Kuwait was to China PR. Second highest export volume from Kuwait was to India. Third highest export volume from Kuwait was to Pakistan and lowest export volume from Kuwait was to Oman.
- 138. China PR was not considered as appropriate third country and export price to China PR was not considered as representative because China PR is considered as 'non-market economy' country for the purpose of anti-dumping investigations. Any price of exports to China would be in response to the prices prevailing within China, and therefore are likely to be adversely impacted by the factors of non-market economy. Pakistan was considered as an appropriate third country and export price to Pakistan was considered as representative because export volume from Kuwait to Pakistan was the highest after China PR and India. Exports to Oman from Kuwait were the lowest among all 4 countries and therefore Oman cannot be considered as 'appropriate' country for comparison and export price from Kuwait to Oman cannot be considered as representative.
- 139. As regards alleged inappropriateness of Pakistan, the Authority notes that comparability of export volumes is most appropriate basis, considering that the prices are influenced by the associated volumes.

140. The Authority also notes that Para-7 of Annexure-I is applicable for determination of normal value in case of anti-dumping investigation on imports from non-market economy country.
141. With regard to submission of the interested parties that the injury to the domestic industry is caused due to import of raw material, the Authority notes that it is well settled that injury to the domestic industry is required to be seen as the domestic industry exists. As noted by the Appellate Body as well, in European Union – Biodiesel, no non-attribution analysis is required to be conducted with regard to inherent features of the domestic industry, such as access to raw material.
142. Insofar as the injury with regard to captive consumption of the domestic industry is concerned, the Authority notes that profitability parameters, and volume parameters of domestic sales and market share of the domestic industry relate only to its merchant domestic sales.
143. With regard to submissions of the interested parties concerning the injury suffered by the domestic industry, the Authority notes that the volume parameters of the domestic industry have improved in the POI. Also, both cost of production and selling price declined. Therefore, it cannot be said that decline in selling price is due to imports of subject goods. Profitability of the domestic industry has also improved in POI as compared to preceding year. The Authority has found that the domestic industry is not suffering injury due to imports of the subject goods.
144. The interested parties have claimed that the domestic industry has suffered decline in profitability due to increase in interest and depreciation costs. The Authority has concluded that there is no material injury to the domestic industry. The domestic industry has also claimed that injury analysis is required to be conducted over the entire injury period, whereas the Authority has relied on the trends between the POI and the preceding year for the profitability parameters. The Authority has conducted wholistic and objective assessment of economic parameters for the injury investigation period to examine the status of the industry as a whole. Authority has not limited its examination to any single economic parameter and has not limited its examination of economic parameters based only on end-to-end comparison. Increase in profitability from the year 2019-20 to the POI is a significant factor in the injury analysis.
145. With respect to the claim of the domestic industry that there is a significant decline in profitability parameters during the POI as compared to the base year, the Authority notes that the profits of the domestic industry have declined from the base year till 2019-20, thereafter, there has been an improvement in profitability during the POI. The Authority also notes that there is a reasonable percentage of profit earned during the POI in comparison to the cost of sales. During the POI, the percentage of profits earned on cost of sales is \*\*%, as against \*\*% during the year 2019-20. It is seen that from the year 2019-20 to the POI, the decline in cost of sales is higher than the decline in the selling price. Cash profits and return on capital employed improved in the POI as compared to 2019-20. Due to extensive capital investment, the ROCE is about \*\*% during POI; which happens during initial period investment as the fixed market size of the product cannot absorb such huge burden of investment during initial years. In order to conduct a wholistic and objective analysis of the injury parameters, the Authority is required to observe the trends throughout the injury investigation period.
146. With respect to the claims of the domestic industry regarding the decline in landed price, the Authority notes that it has addressed the same in the relevant section of these findings and a separate examination is not warranted.
147. As regards the submissions of the domestic industry, they are primarily based on the following – (a) the injury examination should not be restricted to comparison with preceding year only, (b) decline in profits shows that the industry has suffered injury, (c) the Authority had noted at the stage of initiation that there is *prima facie* injury in the form of decline in profitability, (d) the Authority had *prima facie* found that the domestic industry suffered injury in the POI of the previous investigation and, 2019-20 was also a period of injury, and therefore it was inappropriate to do comparison with the immediate previous year. Since Authority has examined in detail in these findings the issue of existence of material injury in the relevant section of this findings, further separate examination of these arguments of the domestic industry is not warranted. The observations made by the Authority at the stage of initiation were only *prima facie* observations, and would not amount to conclusive determinations by the Authority. The Authority has arrived at its conclusion in the instant final findings after detailed consideration of all injury parameters.
148. The domestic industry has also submitted that the decline in prices of imports is lower than the cost of raw material used to produce the goods, and that the decline in selling price is higher than the decline in cost of sales. The Authority has examined this contention in the relevant sections of these findings, and therefore a separate examination is not warranted.
149. With respect to the claim that the domestic industry was forced to shut down its plants due to lack of sales, it is seen that throughout the injury period and POI, the capacity utilization of the domestic industry is at a high level despite an increase in production capacity in the year 2018-19. Moreover, the volume of sales of the domestic industry have been significant.

150. The domestic industry has also claimed that it has been forced to rely on export markets. However, it is clear that prices in the domestic market are more remunerative than the export market and therefore it cannot be said that domestic industry was forced to export to third countries. It is also noted that the capacity utilization and the market share of the domestic industry have been at significantly high levels, which indicates good domestic performance. The export sales of the domestic industry were highest during the POI, when the total domestic demand in India was at the lowest level.
151. With regard to PCN-wise comparison, it is noted that the initiation notification made it clear that no PCN-wise analysis was proposed at that stage. The initiation notification also provided that interested parties should make submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed. Any submissions regarding need for PCN should be made at this stage itself, since in case a PCN methodology is adopted, the Authority would have to call for necessary information from all interested parties. However, the interested parties did not make any submission regarding need for PCN at this stage, or even during the oral hearing or written submissions filed pursuant to the same.

#### **L. CONCLUSION**

152. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported from subject countries at a price below the normal value, thus resulting in dumping.
  - There is decline in volume of imports of subject goods in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Share of subject imports in total demand has reduced during the injury investigation period.
  - The cost of sales of the domestic industry has declined during the injury investigation period and selling price of the domestic industry is above its cost of sales.
  - The production, capacity utilization and market share of the domestic industry have increased over the injury period.
  - Examination of available information shows that the imports did not have significant suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.
  - Profits, Cash profits and Return on Capital Employed of the domestic industry have increased in the POI. There is no impact on the ability of the domestic industry to raise fresh investment.

#### **M. RECOMMENDATIONS**

153. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link thereof in terms of Rules.
154. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury in terms of the provisions enshrined under the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries. Therefore, in terms of Section 9A and 9B of the Customs Tariff Act read with Rule 14(b), Rule 17(1)(a)(ii) and Rule 11(2) of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No. F. No. 6/8/2021-DGTR, dated 28<sup>th</sup> June 2021.

#### **N. FURTHER PROCEDURE**

155. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in M/s Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority W.P. (Civil) No. 8202/2017.

ANANT SWARUP, Designated Authority